राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 3] तेरहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र का इक्कीसवां दिवस [संख्या : 15

सोमवार;

27 जुलाई, 2009

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़ ।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्षजी, हम किसी भी कीमत पर नहीं चाहते ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): प्रश्न संख्या 258.

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ...(व्यवधान) बिलकुल नहीं बोलने देंगे ...(व्यवधान) हम सुनेंगे नहीं ...(व्यवधान) इस सदन में इनको बिलकुल नहीं सुनेंगे ...(व्यवधान)...

(सत्तापक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन में हंगामा)

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन में हंगामा)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ...(व्यवधान) इन्होंने व्यवहार किया है ...(व्यवधान) इस तरह का माहौल इन्होंने खराब किया है ...(व्यवधान) हमने कोई माहौल खराब नहीं किया ...(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हम बिलकुल नहीं सुनेंगे, बिलकुल नहीं सुनेंगे ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने यह फैसला किया है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सवाल पूछना हमारा अधिकार है ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): गृह मंत्रीजी की आवाज को दबाना चाहते हैं ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): हमने यह फैसला किया (व्यवधान)... गुलाबजी कटारिया और राजेन्द्र राठौड़ को नहीं सुनेंगे ...(व्यवधान) हमने यह फैसला किया हम इन तीनों नेताओं को नहीं सुनेंगे ...(व्यवधान)

श्रीगंगानगर एवं बांसवाड़ा जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं का भारतीय खाद्य निगम का अवैध बेचान

258. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला श्रीगंगानगर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से ए.पी.एल. परिवारों को वितरित किए जाने वाले गेहूं को भारतीय खाद्य निगम को फर्जी काश्तकार के नाम से बेचे जाने का प्रकरण सरकार की जानकारी में आया है? यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला बांसवाड़ा में फर्जी काश्तकारों के नाम से भारतीय खाद्य निगम को समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचे जाने का प्रकरण सरकार की जानकारी में आया है तथा इस संदर्भ में सी.बी.आई. द्वारा कोई जांच भी की गई है? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई?

राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (श्री बाबूलाल नागर): (1) जी हां। जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन पर दिनांक 30.05.2009 को सूचना दी गई थी कि घड़साना तहसील के गेहूं खरीद क्रय केन्द्र 365 हैड पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूं फर्जी काश्तकारों के नाम से भारतीय क्षाद्य निगम को बेचा गया है। इस सम्बन्ध में जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा संबंधित क्षेत्रीय प्रवर्तन निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार, घड़साना को मौके पर तुरन्त जाकर जांच करने हेतु निर्देश दिये गये। संबंधित अधिकारियों द्वारा प्राथमिक जांच रिपोर्ट में यह पाया गया कि श्री अरविन्द कुमार निवासी 1, केवाइडी द्वारा मैसर्स स्वामी ब्रदर्स के मार्फत भारतीय खाद्य निगम को 1150.50 क्विंटल गेहूं का बेचान किया गया है तथा

(श्री बाबूलाल नागर)

संदेह अनुसार यह गेहूं खाजूवाला क्षेत्र के निकट स्थित होने से उस क्षेत्र की सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूं श्री अरविन्द कुमार द्वारा भारतीय खाद्य निगम को समर्थन मूल्य पर बेचा गया है।

इस रिपोर्ट पर जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 01.06.2009 को जिला कलक्टर, बीकानेर को खाजूवाला क्षेत्र के समस्त राशन थोक एवं खुदरा विक्रेताओं के गेहूं आबंटन एवं वितरण के सम्बन्ध में विस्तृत जांच हेतु निवेदन किया गया (परिशिष्ट-1)। जिला कलक्टर, बीकानेर द्वारा दिनांक 05.06.2009 को निष्पक्ष जांच करने के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला को तत्काल जांच करने के लिखित में निर्देश दिये गये (परिशिष्ट-2)।

उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला द्वारा उनके क्षेत्र की तीनों तहसील खाजूवाला, पूगल एवं छत्रगढ़ के थोक एवं खुदरा राशन विक्रेताओं की विस्तृत जांच तहसीलदार एवं प्रवर्तन स्टाफ के साथ की गई। विस्तृत जांच में इस क्षेत्र के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहू का अवैध बेचान होने के प्रमाण नहीं पाये गये।

इस सम्बन्ध में जिला रसद अधिकारी कार्यालय श्रीगंगानगर द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम, श्रीगंगानगर को उपरोक्त गेहूं के बेचान की जांच करने हेतु दिनांक 30.05.2009 को लिखा गया है। इस सम्बन्ध में भारतीय खाद्य निगम द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधक, श्रीगंगानगर द्वारा की गई जांच में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाया जाना बताया है।

(2) जी हां। बांसवाड़ा में फर्जी काश्तकारों के नाम से भारतीय खाद्य निगम को समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचे जाने का प्रकरण सरकार की जानकारी में आया है। सी.बी.आई. कार्यालय, जोधपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार सी.बी.आई. द्वारा दिनांक 23.04.2009 को भारतीय खाद्य निगम के बांसवाड़ा जिले में स्थित 8 खरीद केन्द्रों पर जांच कार्यवाही की गई। भारत सरकार का उपक्रम होने के कारण इस संबंध में सी.बी.आई. द्वारा भारतीय खाद्य निगम के निम्न अधिकारियों/कार्मिकों एवं फर्मों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किये गये :-

श्री योगेश द्विवेदी व श्री एम.एल. पगरिया, प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम।

(श्री बाबूलाल नागर)

श्री ए.के. शर्मा, श्री के.एस. मीणा, श्री नियाज अहमद, श्री आर.पी. जैन सभी सहायक भारतीय खाद्य निगम।

फर्म:- अनुपम ट्रेडर्स, तलाती मीठालाल पन्नालाल वर्द्धमान फूड प्रोडक्ट्स व नेमीनाथ ट्रेडर्स।

उपरोक्त के खिलाफ चार प्रकरण संख्या 3/09, 4/09, 5/09 एवं 6/09 दर्ज किये गये हैं। इन सभी मामलों में जांच प्रारम्भिक अवस्था में है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह सदन को चलने नहीं देना चाहते हैं। इस तरह के लोगों को इस सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ...(व्यवधान) मेरा आपसे अनुरोध है आप बैठकर के बात करें, फैसला लें ...(व्यवधान) इसके बाद आप व्यवस्था दें ...(व्यवधान) व्यवस्था आपको देनी है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, यह लोकतंत्र के हत्यारे हैं, हमारे गृह मंत्रीजी की आवाज को दबाना चाहते हैं, संसदीय कार्य मंत्री को बोलने नहीं देना चाहते हैं, हम ऐसे लोगों को इस सदन में नहीं सुनेंगे, बिलकुल नहीं सुनेंगे। हम इनको सुनेंगे नहीं अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): हम इनको बिलकुल नहीं सुनेंगे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया प्रश्नकाल को चलने दें। माननीय सदस्य विराजें ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, ऐसे लोगों को बिलकुल नहीं सुनेंगे, हम ऐसे लोगों को बिलकुल नहीं सुनेंगे ...(व्यवधान)

(सत्तापक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन में हंगामा)

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन में हंगामा)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी उत्तर दे रहे हैं, उत्तर आने दें। सदन की कार्यवाही कृपया चलने दें। (व्यवधान) कैसे चलेगा सदन इस प्रकार से? कृपया प्रश्नकाल चलने दें।

मैं सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.02 बजे एक घंटे के लिए स्थगित हुई)

(शेष तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर तथा अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया पृष्ठ-25 पर देखें)

(समय : 12.02 बजे)

(पुन: समवेत् होने पर)

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष पदासीन)

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ...(व्यवधान) हजारों की तादाद में गुर्जर पड़ाव डाले हुए हैं, डेरा डाले हुए हैं और आपकी सरकार हमारे सम्पूर्ण बहुमत से ...(व्यवधान)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. श्रीमती अनिता सिंह एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से जिला भरतपुर एवं अलवर में धार्मिक स्थलों पर हो रहे अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2. श्री हनुमान बेनीवाल सदस्य की ओर से राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लोकतंत्र में ...(व्यवधान) रखने वाले लोग हैं। इन्होंने राजस्थान के गृह मंत्री को तीन दिन से इस सदन में बोलने नहीं दिया है लगातार संसदीय कार्य मंत्री का ये बहिष्कार कर रहे हैं। उनको बोलने से रोक रहे हैं, उनके विशेषाधिकार का हनन कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन दिन से जो लोग सदन नहीं चलाने देना चाहते हैं वो लोग राजस्थान का माहौल खराब कर रहे हैं। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं आप व्यवस्था दें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के बाहर

(डा. रघु शर्मा)

जिस तरह की बयानबाजी और जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना प्रतिपक्ष का रवैया है ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): और हमारे गृह मंत्री को जो लोग नहीं सुनना चाहते तो हम भी उन लोगों को नहीं सुनना चाहते।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ...(व्यवधान) ऐसे लोगों को इस सदन में नहीं सुनेंगे।

(भारतीय जनता पार्टी के अनेक माननीय सदस्य सदन कूप में आकर बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष: ... एम.बी.ए. द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के बीच मात्र 60 दिन का अन्तर होने से छात्रों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में। (व्यवधान) ये क्या तमीज है? (व्यवधान) बोलो तो सही।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा राजस्थान इनका कृत्य देख रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.04 बजे एक घंटे के लिए स्थगित हुई)

(समय : 13.04 बजे)

(पुन: समवेत् होने पर)

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आरक्षण विधेयक, 2008 में विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत और आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिये 14 प्रतिशत ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सदन में जिस तरह का रवैया प्रतिपक्ष के नेता ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अभी कुछ चालू ही नहीं हुआ, ...(व्यवधान) अभी कुछ शुरू ही नहीं हुआ ।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) आरक्षण देने का प्रावधान था। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जिस तरह की

(डा. रघु शर्मा)

बात, जिस तरह का रवैया ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह हरगिज नहीं चलेगा।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) यह दोनों एक ही बिल के अंग हैं। ...(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): हमारे गृह मंत्रीजी को नहीं बोलना देना चाह रहे हैं । (व्यवधान) यह अराजकता पैदा करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): राज्य सरकार दोनों ही वर्गों के लिये बने आरक्षण बिल, 2008 पर महामहिम ...(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में लगातार नारेबाजी)

(सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में लगातार नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) कुछ भी अंकित नहीं होगा।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

(श्रीमती वसुन्धरा राजे, नेता प्रतिपक्ष द्वारा सदन पटल पर एक कागज रखा गया)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): ×××

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ×××

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): ×××

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में लगातार नारेबाजी)

(सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में लगातार नारेबाजी)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री अध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्तावों को पढ़ा हुआ मान लिया गया। 295 के प्रस्तावों को पढ़ा हुआ मान लिया गया। हां, ये बेकार जाएंगे। (व्यवधान)

(295 के तहत पढ़े हुए माने गये विशेष उल्लेख के प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दों पर व्यवस्था

आज दिनांक 27 जुलाई, 2009 को शून्य काल में बोलने हेतु 16 पर्चियां प्राप्त हुई, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गयी हैं :-

(1) श्रीमती संजना आगरी

(2) श्री ओम जोशी

(3) श्री केसाराम चौधरी

(4) श्री रामहेत सिंह

श्रीमती संजना आगरी। (बोलने के लिए खड़ी नहीं हुई)

श्री ओम जोशी। (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

श्री केसाराम चौधरी। (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

श्री रामहेत सिंह। (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.14 बजे एक घंटे के लिए स्थगित हुई)

(समय : 14.14 बजे)

(पुन: समवेत होने पर)

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय .... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): (व्यवधान)... +++ लोग आज गुर्जरों के हमदर्द बन गये। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्ष महोदय, जिस तरह का माहौल है ... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): +++ ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया आज विराज जायें। सदन की कार्यवाही चलने दें। (व्यवधान) कृपया सदन की कार्यवाही चलने दें माननीय सदस्य। ...(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश एवं भारी शोरगुल)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आज यह घडियाली आंसू बहा रहे हैं। (व्यवधान) इस सदन की कार्यवाही ...(व्यवधान) जिन लोगों ने .... (व्यवधान) जिस तरह का माहौल ...(व्यवधान) बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में भारी शोरगुल एवं नारेबाजी)

(सत्तापक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन में भारी शोरगुल एवं नारेबाजी)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य, श्री रामलाल गुर्जर आसन के पास जाकर सो गये)

श्री अध्यक्ष: बेहोश हो गये क्या? (व्यवधान) अगर बेहोश हो गये तो बाहर ले जाने दो। (व्यवधान) बेहोश गये हैं क्या ? तब तो बाहर भिजवाऊं। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): 70 गुर्जरों को ... (व्यवधान) आप लोगों ने गोलियां चलाईं। आप भले नहीं हो जाओगे। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में भारी शोरगुल एवं नारेबाजी)

(सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन में भारी शोरगुल एवं नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.19 बजे 15 मिनट के लिये स्थगित हुई)

(समय : 14.34 बजे)

(पुन: समवेत होने पर)

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, यह रवैया बिलकुल ठीक नहीं है। ...(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा वैल में प्रवेश एवं नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: चला तो रहा हूं। विराजो तो सही। (व्यवधान) याचिकाओं का उपस्थापन।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अमरारामजी। (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

श्री मंगलारामजी गोदारा।

इंद्रपालसर सांखलान (तहसील श्रीडूंगरगढ़) के प्राथमिक विद्यालय का क्रमोन्नयन

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम पंचायत मुख्यालय इंद्रपालसर सांखलान तहसील-श्री डूंगरगढ़ में प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने बाबत् एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अन्जू खन्गवाल। (बोलने के लिए खड़ी नहीं हुई)

श्री पेमाराम। (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

श्री पवन कुमार दुग्गल। (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

श्री महेन्द्र चौधरी।

वैकल्पिक विद्यालय, कालिया के बास को पुन: शुरू करने बाबत्

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र नावां की ग्राम पंचायत देवली कलां के ग्राम कालिया के बास स्थित वैकल्पिक विद्यालय को पुन: शुरू करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री कालीचरण सराफ। (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

श्री राजपाल सिंह शेखावत। (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए) ...(व्यवधान)

श्री करण सिंह राठौड़। (बोलने हेतु खड़े नहीं हुए)

(श्री अध्यक्ष)

परिवतर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2009-2010 अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। श्री शांति कुमार धारीवाल, गृह मंत्री एवं श्री रामकिशोर, कारागार मंत्री।

(सदन के वैल में शोरगुल एवं नारेबाजी)

अनुदान की मांग वर्ष 2009-10

मांग संख्या 16-पुलिस की प्रस्तुति

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 16-पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 19,63,71,12,000 (उन्नीस अरब तिरेसठ करोड़ इकहत्तर लाख बारह हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

मांग संख्या 17-कारागार की प्रस्तुति

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 17-करागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 72,45,86,000 (बहत्तर करोड़ पैंतालीस लाख छियासी हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(मांग संख्या 16 एवं 17 पर ग्राह्य कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: वाद-विवाद में भाग लेंगे।

डा. परम। (बोलने के लिए खड़ी नहीं हुए)

श्री रघु शर्मा। (बोलने के लिए खड़े नहीं हुए)

श्री शांति कुमार धारीवाल उत्तर देंगे।

मांग संख्या 16 व 17 पर विचार

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं कटमोशंस के जवाब माननीय सदस्यों को शीघ्रातिशीघ्र भेज दूंगा तथा उनको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा सुझाव जो मुझे प्रेषित किये गये हैं उन सुझावों पर सरकार विचार करेगी। मेरा अनुरोध है कि मेरा वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जावे और कार्यवाही का अंश बनाया जावे तथा मांग संख्या 16 को पारित किया जावे।

(वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में हो रहे लगातार अवरोध एवं व्यवधान के कारण अनुदान की मांग संख्या-17 के सम्बन्ध में सदन में राज्य सरकार की ओर से उत्तर एवं नवीन घोषणाएं नहीं कर पा रहा हूं। अत: मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे इस उत्तर एवं महत्वपूर्ण घोषणाओं को विधान सभा की कार्यवाही में शामिल किया जावे।

महोदय, आपकी अनुमति से इस जवाब एवं मांग की प्रति मैं सदन के पटल पर रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मांग संख्या-17 को पारित किया जावे। धन्यवाद।

(वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

मांग संख्या 16-का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 16-पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 19,63,71,12000/- (रुपये उन्नीस अरब तिरसेठ करोड़ इकहत्तर लाख बारह हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 17-कारागार का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 17 कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल

(श्री अध्यक्ष)

महोदय को 72,45,86,000/- (रुपये बहत्तर करोड़ पैंतालिस लाख छियासी हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई। (व्यवधान)

पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक।

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2009. श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री।

श्रीमती बीना काक (प्रभारी मंत्री)(महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2009 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं। (व्यवधान)

प्रस्ताव करती हूं। प्रस्ताव हो गया, बस। प्रस्ताव करती हूं, पढ़ दिया, पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

(भारतीय जनता पार्टी के मा. सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

मुखबंद

अनुदान की शेष मांगों का पारण

श्री अध्यक्ष: मुखबंद।

मांग संख्या-1 राज्य विधान मण्डल

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या-1- राज्य विधान मंडल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 25,98,93,000/- (पच्चीस करोड़ अठानवे लाख तिरानवे हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-2 मंत्री परिषद

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या-2- मंत्रिपरिषद के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त

(श्री अध्यक्ष)

राज्यपाल महोदय को रुपये 7,29,62,000/- (सात करोड़ उनतीस लाख बासठ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-3 सचिवालय

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या -3- सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,30,22,38,000/-(एक अरब तीस करोड़ बाइस लाख अड़तीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-4 जिला प्रशासन

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या-4- जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,73,02,14,000/- (दो अरब तिहत्तर करोड़ दो लाख चौदह हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-5 प्रशासनिक सेवाएं

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या-5- प्रशासनिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 88,03,61,000/- (अठयासी करोड़ तीन लाख इकसठ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

मांग स्वीकार की गयी।

(भारतीय जनता पार्टी के मा. सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

मांग संख्या-6 न्याय प्रशासन

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या-6- न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,13,65,79,000/- (तीन अरब तेरह करोड़ पैसठ लाख उनयासी हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-8 राजस्व

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या-8- राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,27,51,75,000/- (चार अरब सत्ताइस करोड़ इक्यावन लाख पिचहत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-9 वन

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या-9- वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,76,06,55,000/- (चार अरब छिहत्तर करोड़ छह लाख पचपन हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-10 विविध सामान्य सेवाएं

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या-10- विविध सामान्य सेवाएं के

(श्री अध्यक्ष)

सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 22,66,87,000/- (बाइस करोड़ छियासठ लाख सत्यासी हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-11 विविध सामाजिक सेवाएं

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या-11- विविध सामाजिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 25,84,72,000/- (पच्चीस करोड़ चौरासी लाख बहत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-12 अन्य कर

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या-12- अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,27,72,32,000/- (एक अरब सत्ताइस करोड़ बहत्त्तर लाख बत्तीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-13 आबकारी

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या-13- आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 78,67,80,000/- (अठहत्तर करोड़ सडसठ लाख अस्सी हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(भारतीय जनता पार्टी के मा. सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

मांग संख्या-14 बिक्रीकर

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या-14- बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,37,43,28,000/- (एक अरब सैंतीस करोड़ तियालीस लाख अट्ठाइस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-15 पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या-15- पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 45,53,59,85,000/- (पैतालीस अरब तिरेपन करोड़ उनसठ लाख पिचयासी हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-18 जन सम्पर्क

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या-18- जन सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 23,24,46,000/- (तेईस करोड़ चौबीस लाख छियालीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या-19 लोक निर्माण कार्य

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या-19- लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,80,16,71,000/- (चार अरब अस्सी करोड़ सोलह लाख इकहत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-20 आवास

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या-20- आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 45,55,06,000/- (पैतालीस करोड़ पचपन लाख छह हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-21 सड़कें एवं पुल

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या-21- सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 16,38,47,06,000/- (सोलह अरब अड़तीस करोड़ सैंतालीस लाख छह हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(भारतीय जनता पार्टी के मा. सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

मांग संख्या-22 क्षेत्र का विकास

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या-22- क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त

(श्री अध्यक्ष)

राज्यपाल महोदय को रुपये 2,67,38,65,000/- (दो अरब सड़सठ करोड़ अड़तीस लाख पैंसठ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-23 श्रम और रोजगार

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या -23- श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,25,72,11,000/- (एक अरब पच्चीस करोड़ बहत्तर लाख ग्यारह हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-25 कोषागार व लेखा प्रशासन

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या-25- कोषागार व लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,15,73,44,000/- (एक अरब पन्द्रह करोड़ तिहत्तर लाख चवालीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या-29- नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15,83,03,82,000/- (पन्द्रह अरब तिरासी करोड़ तीन लाख बयासी हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?'

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-32 नागरिक आपूर्ति

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या-32- नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 56,50,66,000/- (छप्पन करोड़ पचास लाख छियासठ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(भारतीय जनता पार्टी के मा. सदस्यों द्वारा सदन कूप में भाषण एवं नारेबाजी)

मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या-33- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,68,81,11,000/- (तेरह अरब अड़सठ करोड़ इक्यासी लाख ग्यारह हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-35 विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या-35- विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 89,12,48,000/- (नवासी करोड़ बारह लाख अड़तालीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या-38 लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या-38- लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,22,02,62,000/- (एक अरब बाइस करोड़ दो लाख बासठ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-40 राजकीय उपक्रम

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या-40-राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,22,58,000/- (एक करोड़ बाइस लाख अट्ठावन हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(भारतीय जनता पार्टी के मा. सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

मांग संख्या-41 सामुदायिक विकास

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या-41- सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,71,08,34,,000/- (बारह अरब इकहत्तर करोड़ आठ लाख चौंतीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-43 खनिज

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या-43- खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 72,71,29,000/- (बहत्तर करोड़ इकहत्तर लाख उनतीस

(श्री अध्यक्ष)

हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-44 लेखन सामग्री एवं मुद्रण

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या-44- लेखन सामग्री एवं मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 26,63,11,000/- (छब्बीस करोड़ तिरेसठ लाख ग्यारह हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-45 राज्य कर्मचारियों को ऋण

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या-45- राज्य कर्मचारियों को ऋण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,000/- (नौ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-48 विद्युत

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या-48- विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 31,81,33,77,000/- (इकतीस अरब इक्यासी करोड़ तैंतीस लाख सतहत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या-49 स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या-49- स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,14,77,000/- (ग्यारह करोड़ चौदह लाख सतहत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(भारतीय जनता पार्टी के मा. सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

मांग संख्या-51 अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना

'प्रश्न यह है कि मांग संख्या-51- अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,57,86,75,000/- (पांच अरब सत्तावन करोड़ छियासी लाख पिचहत्तर हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2009

विधायी कार्य। पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक।

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2009. श्री अशोक गहलोत।

श्रीमती बीना काक (प्रभारी मंत्री) (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2009 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(भारतीय जनता पार्टी के मा. सदस्यों द्वारा सदन कूप में भाषण एवं नारेबाजी)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्षजी, इनका चेहरा पूरा राजस्थान देख रहा है, असली चेहरा सामने आ गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2009 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2009 को पुर:स्थापित करती हूं।

(भारतीय जनता पार्टी के मा. सदस्यों द्वारा सदन कूप में भाषण व नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: आधे घंटे की चर्चा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी। श्री घनश्याम तिवाड़ी। ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): हिम्मत हो तो चर्चा में भाग ले लो न, फैसला हो जायेगा कौन ...(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के मा. सदस्यों द्वारा सदन कूप में भाषण व नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 28 जुलाई, 2009 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.58 बजे मंगलवार, दिनांक 28 जुलाई, 2009 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

बिलाड़ा (जोधपुर) में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

259. श्री अर्जुन लाल (बिलाडा) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने के क्या मानदण्ड हैं?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के तहसील मुख्यालय बिलाड़ा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने हेतु रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा निर्धारित मानदण्ड परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। सरकार की लैंगिंग एरिया स्कीम 2006-07 के तहत प्रावधान है कि राज्य की प्रत्येक पंचायत समिति में एक राजकीय/निजी आई.टी. आई./आई.टी.सी. होनी चाहिए।

पंचायत समिति क्षेत्र बिलाड़ा में राजकीय आई.टी.आई. पिपाड़सिटी में स्थापित है। अत: बिलाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में राजकीय आई.टी.आई. खोलने की वर्तमान में राज्य सरकार की मंशा नहीं है।

भविष्य में वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने की स्थिति में एवं गुणावगुण के आधार पर ही बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र के तहसील मुख्यालय पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का विचार किया जा सकेगा।

(मानदण्ड विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखे गये)

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंक प्रणाली में भिन्नता

260. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्राप्तांक देने के मानदण्ड अलग-अलग हैं? यदि हां, तो तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

(2) क्या यह भी सही है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के विद्यार्थियों के प्राप्तांक हमेशा ही कम आते हैं? यदि हां, तो क्या इसका कारण उन छात्रों की अयोग्यता है अथवा प्राप्तांक देने की प्रणाली में कमियां हैं?

(3) राजस्थान में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मेरिट में प्रथम पांच स्थान पर आये छात्रों के प्राप्तांक कितने हैं और राजस्थान बोर्ड के प्रथम पांच स्थान पर आये छात्रों के प्राप्तांक कितने हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त विरोधाभास को देखते हुये राजस्थान बोर्ड की परीक्षा के पैटर्न को बदलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार आगामी कक्षाओं में प्रवेश हेतु राजस्थान बोर्ड के छात्रों को बोनस अंक देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सामान्यत: कोई अन्तर नहीं है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में उत्तीर्णता का मापदण्ड 33 प्रतिशत है।

(2) जी नहीं।

(3) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कोई मेरिट सूची प्रकाशित/घोषित नहीं की जाती है, परन्तु अंकों के आधार पर कक्षा 10 व 12 में आने वाले छात्रों के प्राप्तांकों का विवरण परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में कक्षा 10 व 12 में मेरिट सूची में प्रथम पांच स्थान पर आने वाले विद्यार्थियों के प्राप्तांक परिशिष्ट-'ख' पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। परीक्षा प्रणाली में बदलाव का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(5) जी नहीं। बोनस अंक देने की व्यवस्था का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(प्राप्तांक का विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

छात्रावासों में देय सुविधाओं में वृद्धि

261. श्री जगसीराम (रेवदर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री जगसीराम)

(1) सरकारी छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को वर्तमान में क्या-क्या सुविधाएं देय हैं तथा प्रत्येक छात्र-छात्रा को कक्षावार वर्ष पर्यन्त कितनी-कितनी राशि छात्रवृति के रूप में देय है?

(2) क्या सरकार पहले से निर्धारित उक्त सुविधाओं एवं छात्रवृति के मानदण्डों में सुधार कर दी जा रही सुविधाओं एवं छात्रवृति राशि को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क आवास, भोजन, स्कूल यूनिफार्म, तेल-साबुन, पानी-बिजली, पत्र-पत्रिकाऐं आदि हेतु 725 रुपये मैस भत्ता प्रति छात्र प्रतिमाह निर्धारित है। सरकारी छात्रावासों में अध्ययनरत छात्रों को नि:शुल्क सुविधाऐं देय हैं, अत: छात्रवृत्ति देय नहीं है।

(2) जी हां। वित्तीय वर्ष 2009-10 के बजट प्रस्ताव में मैस भत्ते की राशि को 725 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति छात्र/छात्रा प्रति माह किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

राजस्थान को आपरेटिव डेयरी फैडरेशन द्वारा दिल्ली मिल्क योजना को भेजा गया दूध पाउडर

262. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि राजस्थान को आपरेटिव डेयरी फैडरेशन (आर.सी.डी.एफ.) द्वारा दिल्ली मिल्क स्कीम को भेजे गये 800 मैट्रिक टन दूध पाउडर (स्किम्ड मिल्क पाउडर) में कीड़े एवं ग्लुकोज मिला, जिसके कारण फैडरेशन को करोंड़ो रुपये का नुकसान हुआ ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण की जांच की गई ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। दिल्ली मिल्क सप्लाई को 800 मैट्रिक टन एस.एम.पी. पाउडर बीकानेर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर, हनुमानगढ़ एवं रानीवाड़ा जिला संघों से सप्लाई किया गया तथा सम्बद्ध जिला दुग्ध संघों को उनके द्वारा भेजे गये दूध पाउडर (एस.एम.पी.) का पूर्ण भुगतान डी.एम.एस. से प्राप्त हो चुका है।

(डेयरी मंत्री)

डी.एम.एस. द्वारा कुछ पाउडर बैग्स (104) में डले (लम्प) पाये जाने की शिकायत पर उक्त 104 बैग्स की क्षतिपूर्ति संबंधित आउटसोर्स फर्म (मैसर्स करनाल मिल्क फूड्स) से की गई एवं कोई आर्थिक हानि नहीं हुई है।

नोडल एजेन्सी जिला दुग्ध संघ, हनुमानगढ़ द्वारा संघ से आउटसोर्स फर्म पर नियुक्त दो अधिकारियों श्री एस.के. सेतिया, सहायक प्रबन्धक (संयंत्र) एवं श्री प्रदीप कुमार शर्मा, सहायक प्रबन्धक (गुण नियंत्रण) की, 104 पाउडर बैग्स में लम्प (डले) बनने के लिए, प्रथम दृष्टया लापरवाही पाये जाने पर निलम्बित किया गया है।

प्रकरण की जांच हेतु आरसीडीएफ के वरिष्ठ अधिकारी महाप्रबन्धक (गुण नियंत्रण) को आदेशित किया गया है एवं जांच प्रक्रियाधीन है।

राजगढ़ (चूरू) में संचालित उचित मूल्य की दुकानों में व्याप्त अनियमितताएं

263. श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला चूरू की तहसील राजगढ़ में कुल कितने उचित मूल्य (राशन) की दुकानें संचालित हैं? प्रत्येक दुकान का नाम, नम्बर संचालक का नाम, पता एवं उस दुकान से लाभान्वित होने वालों की संख्या मय क्षेत्र के नाम के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त तहसील में गत तीन वर्षों में कुछ राशन विक्रताओं (डीलर्स) को निलम्बित किया गया था एवं उनके विरुद्ध अनियमितता के गम्भीर आरोप होने के पश्चात भी उन्हें बहाल कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों? निलम्बन के आदेश, बहाल करने के आदेश व जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला चूरू की तहसील राजगढ़ में कुल 190 उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं। प्रत्येक दुकान का नाम, नम्बर, संचालक का नाम, पता एवं उस दुकान से लाभान्वित होने वालों की संख्या मय क्षेत्र के नाम के विवरण परिशिष्ट-1 पर सलंग्न है।

(2) यह सही है कि पिछले तीन वर्षों में चूरू जिले की राजगढ़

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

तहसील में 14 उचित मूल्य दुकानों के प्राधिकार पत्र प्रथम दृष्टया अनियमितता पाये जाने के कारण निलम्बित किये गये हैं परन्तु राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन), आदेश 1976 के खण्ड 8 (2) के अन्तर्गत नियमानुसार सुनवाई का अवसर प्रदान कर, विभागीय कार्यवाही की जांच के दौरान अनियमितताऐं, पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं होने के फलस्वरूप 5 प्राधिकार पत्र अन्तिम निस्तारण के साथ तथा 3 प्राधिकार पत्र जांच रखते हुए बहाल किये गये हैं। गम्भीर अनियमितताऐं पाये जाने पर 2 प्राधिकार पत्र निरस्त किये गये है। शेष निलम्बित 4 प्रकरणों में जांच विचाराधीन है। उक्त 14 निलम्बित प्रकरणों में निलम्बन के आदेश एवं 8 प्रकरणों में बहाल करने के आदेश व जांच की प्रतिलिपि परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

बागदरा (बांसवाड़ा) में स्वयंसेवी संस्था द्वारा निर्मित एनीकट

264. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बांसवाड़ा में बागदरा स्वयंसेवी संस्था को कितने एनीकटों के निर्माण की स्वीकृति जनजाति क्षेत्रीय विकास मद से जारी की गई? वर्ष 2007-08 व 2008-09 का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सह सही है कि पंचायत समिति सज्जनगढ़ की ग्राम पंचायत मच्छरासाभ के गांव रावता साभ में एनीकट स्वीकृत हुआ था?

(3) क्या यह सही है कि उक्त एनीकट का निर्माण कार्य पूर्ण बताकर राशि भी भुगतान कर दी गई है?

(4) क्या सरकार उक्त कार्य की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) बागदरा स्वयंसेवी संस्थान को बांसवाड़ा जिले में जनजाति विकास मद से वर्ष 2007-08 में कोई एनिकट स्वीकृत नहीं किया गया है एवं 2008-09 में 3 एनीकट निर्माण कार्यों की स्वीकृति जारी की गयी है जो कि परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(3) जी नहीं। एनीकट निर्माण कार्य हेतु प्रथम किश्त की राशि दी गई थी जिसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात कार्य प्रगति पर होने से द्वितीय किश्त की राशि बतौर अग्रिम दी गई है। अन्तिम किश्त की राशि का भुगतान शेष है, जो कार्य पूर्ण होने पर एवं सक्षम स्तर से मूल्यांकन होने उपरान्त जारी की जावेगी।

(4) जी नहीं।

परिशिष्ट-अ

बागदरा संस्थान को बांसवाड़ा जिले में स्वीकृत एनीकट कार्यों का विवरण

क्र. सं.	मद	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति की दिनांक	स्थान	पंचायत समिति	स्वी. राशि	भौतिक स्थिति
1.	संविधान की धारा 275(1)	2008-09	15-4-08	पाली बडी सुलिया नाले के पास	सज्जनगढ़	10.00	पूर्ण
2.	संविधान की धारा 275(1)	2008-09	15-4-08	रावतासाथ ग्राम पंचायत मच्छारासाथ	सज्जनगढ़	8.00	प्रगति पर
3.	विशेष केन्द्रीय सहायता	2008-09	14-10-08	सलरिया ग्राम पंचायत देवता कुल लागत 9.50 लाख	घाटोल	3.80	प्रगति पर

कोटा जिले में सर्वशिक्षा अभियान में कार्यरत शिक्षकों को छठे वेतन आयोग का परिलाभ

265. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज तथा सर्वशिक्षा अभियान में कार्यरत शिक्षकों को नियमित रूप से बजट आबंटित नहीं होने के कारण समय पर वेतन, एरियर एवं चिकित्सा व्यय बिलों का भुगतान नहीं होता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शिक्षकों के कल्याणार्थ

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

एक मुश्त वार्षिक बजट आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला कोटा में सर्वशिक्षा अभियान में कार्यरत शिक्षकों को अभी तक छठे वेतन आयोग के एरियर का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिए बजट आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा पंचायतराज के अध्यापकों के लिये उपलब्ध प्रावधानान्तर्गत 10 माह का बजट आबंटित किया जाता है, तथा 02 माह का बजट आबंटन, संशोधित बजट अनुमान के पश्चात किया जाता है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतन के भुगतान के लिये सभी जिलों में ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों को माह जून, 2009 तक के वेतन के भुगतान की राशि का हस्तान्तरण किया जा चुका है, किन्तु टोंक जिले एवं उदयपुर जिले के सलूम्बर ब्लॉक में उक्त राशि से एरियर का भुगतान कर देने से माह जून, 2009 के वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। अतः उन्हें अतिरिक्त राशि हस्तान्तरित की जा रही है। शिक्षकों को चिकित्सा व्यय बिलों का पुनर्भरण, वेतन मद से करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार से राशि किश्तों में प्राप्त होती है। अतः अगली किश्तें प्राप्त होने पर राशि की उपलब्धता एवं बजट प्रावधान के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) जी हां। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत अगली किश्ते प्राप्त होने पर राशि की उपलब्धता एवं बजट प्रावधान के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी।

जोधपुर जिले के लम्बित पेंशन प्रकरण

266. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जोधपुर में वर्तमान में विधवा, विकलांग व वृद्धावस्था पेंशन कितने लोगों को कितनी-कितनी दी जा रही है? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) तहसील शेरगढ़ में दिसम्बर, 2003 से अब तक विधवा, विकलांग व वृद्धावस्था पेंशन के कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए तथा उनमें से

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

कितनों को पेंशन स्वीकृत की गई व कितने शेष हैं? क्या सरकार शेष आवेदकों को पेंशन स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार एड्स, केंसर, लकवा, दमा, मधुमेह की बीमारी से पीड़ित महिला व पुरूषों को भी पेंशन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार पंचायत समिति मुख्यालयों पर भी शिविर लगाकर योग्य पात्र व्यक्तियों व आवेदनकर्ताओं को मौके पर पेंशन स्वीकृत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में दी जा रही विधवा, विकलांग व वृद्धावस्था पेंशन की संख्या सूची निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	**पेंशन का प्रकार**	**लाभान्वितों की संख्या**	**पेंशन की दर (प्रतिमाह)**
1.	विधवा	12191	रु. 400/-
2.	विकलांग	3356	रु. 400/-
3.	वृद्धावस्था		
	(क) 65 वर्ष से अधिक आयु के	19071	रु. 400/-
	(ख) 58 वर्ष से 65 वर्ष के आयु वर्ग के पुरुष	847	रु. 100/-
	(ग) 55 वर्ष से 65 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं	1120	रु. 200/-
	(घ) संयुक्त पेंशन (पति-पत्नी दोनों को)		
	दोनों की आयु 65 वर्ष से कम	74	रु. 300/-
	दोनों में से किसी एक की आयु 65 वर्ष से अधिक	164	रु. 500/-
	दोनों की आयु 65 वर्ष से अधिक	2101	रु. 600/-

(2) तहसील शेरगढ़ में दिसम्बर, 2003 से अब तक विधवा, विकलांग व वृद्धावस्था पेंशन के प्राप्त, स्वीकृत एवं शेष आवेदन पत्रों का विवरण निम्नानुसार है:-

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

क्र. सं.	नाम पेंशन योजना	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या	निरस्त आवेदन पत्रों की संख्या	शेष आवेदन पत्रों की संख्या
1.	वृद्धावस्था	2415	2369	13	06
2.	विधवा	1169	1161	01	07
3.	विकलांग	184	168	16	-

शेष आवेदन पत्रों का जांच पश्चात् नियमानुसार शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण कर दिया जाएगा।

(3) वर्तमान राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम, 1974 के अन्तर्गत दिनांक 28.02.2009 से एच.आई.वी./एड्स से ग्रसित विधवाऐं जो कि स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी में पंजीकृत हैं, को बिना शर्त राशि रु. 400/- प्रति माह पेंशन देय है। शेष बीमारी यथा, कैंसर, लकवा, दमा, मधुमेह के आधार पर पेंशन देय नहीं है।

(4) जी हां। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर चलाये जाने वाले अभियानों में शिविर लगाकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत करने का कार्य किया जाता रहा है।

चूरू जिले में फसल बीमा योजना से लाभान्वित कृषक

267. श्री अशोक पींचा (सरदारशहर) एवं **श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार राज्य में कृषि उद्योग नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक?

(2) क्या सरकार फसल बीमा योजना में ग्राम पंचायत को इकाई बनाने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) मौसम आधारित फसल बीमा योजना में रवि 2008 में चूरू जिले के कितने किसानों को कितना-कितना मुआवजा दिया गया तथा नियमानुसार मुआवजा नहीं मिलने पर कितने ज्ञापन जिला प्रशासन को प्राप्त हुये एवं उक्त पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) कृषि उत्पादों का किसानों को वाजिब मूल्य मिले, इस दृष्टि से 'कृषि व्यवसाय एवं उद्योग नीति' बनाई जाएगी। इस नीति के अन्तर्गत विभिन्न उत्पादों के मूल्य संवर्धन के लिए कृषि व्यवसाय एवं उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य में इस नीति के लागू होने से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे एवं काश्तकारों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा। इस नीति को बनाने का कार्य किया जा रहा है।

(2) सरकार द्वारा तय किए गए संकल्पों में यह समाहित है कि फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत को भारत सरकार के सहयोग से इकाई बनाए जाने का प्रयास करेगी। इस हेतु प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(3) मौसम आधारित फसल बीमा योजना रबी 2008-09 में केवल गैर ऋणी कृषकों के लिए लागू की गई थी। इस योजनान्तर्गत चूरू जिले में 219 कृषकों को 7,77,818/- रुपये का मुआवजा दिया गया था। उपलब्ध सूचना के अनुसार मौसम आधारित फसल बीमा योजना रबी 2008 विशेष में मुआवजा नहीं मिलने पर जिला प्रशासन को ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

सीकर जिले में गैस एजेन्सियों द्वारा अनियमितता

268. श्री पेमाराम (धोद) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला सीकर में गैस आपूर्ति के लिए कितनी व कौन-कौनसी गैस एजेन्सियां कार्यरत हैं?

(2) उक्त गैस एजेन्सियों में उपभोक्ताओं की दिनांक 01 जनवरी, 2005 से अब तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या सरकार द्वारा दोषी गैस एजेन्सियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(4) गैस उपभोक्ता के लिये नया कनेक्शन लेने के लिये सिलेण्डर की सरकारी दर क्या है व सीकर जिले के उपभोक्ता से क्या दर वसूली जा रही है?

(5) क्या सरकार एक माह तक सिलेण्डर नहीं देने वाली एजेन्सियों के विरुद्ध कोई कदम उठाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) सीकर जिले में गैस आपूर्ति के लिए कुल 14 गैस एजेन्सियां हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त गैस एजेन्सियों में उपभोक्ताओं की 01 जनवरी, 2005 से अब तक 153 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 91 का निस्तारण कर दिया गया है। 3 एजेन्सियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा 2 गैस एजेन्सियों के विरूद्ध अनियमितताएं पाये जाने पर एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई। शेष शिकायतें विचाराधीन हैं।

(3) राज्य सरकार द्वारा दोषी डीलरों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 3 एजेन्सियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा 2 गैस एजेन्सियों के विरूद्ध अनियमितताएं पाये जाने पर एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई।

इसके अतिरिक्त 1. भारत पेट्रोलियम कम्पनी द्वारा डीलरों के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर 4 प्रकरणों में एजेन्सियों के विरूद्ध आर्थिक दण्ड एवं 3 में चेतावनी दी गई।

2. आईओसी कम्पनी द्वारा डीलरों को दोषी पाये जाने पर 5 प्रकरणों में आर्थिक दण्ड एवं 3 प्रकरणों में चेतावनी दी गई।

3. एचपीसी कम्पनी द्वारा डीलरों को दोषी पाये जाने पर 3 प्रकरणों में आर्थिक दण्ड एवं 1 प्रकरण में चेतावनी दी गई।

(4) सिलेण्डर विक्रय की वस्तु न होकर गैस कम्पनी की धरोहर है। राजस्थान में नये कनेक्शन लेने पर निम्न दर निर्धारित है:-

प्रति सिलेण्डर सिक्योरिटी राशि	1250.00
डीपीआर सिक्योरिटी राशि	150.00

रिफिल चार्जेज स्थानीय बाजार के आधार पर निर्धारित दर के अनुसार

प्रशासनिक प्रभार	25.00
डीजीसीसी चार्जेज	25.00
हाटप्लेट चेंकिग चार्जेज	150.00

(यदि हाटप्लेट वितरक से नहीं खरीदी गई हो)

सीकर जिला मुख्यालय में उपभोक्ता से रिफिल हेतु प्रति सिलेण्डर 317/- रुपये की राशि वसूल की जाती है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

(5) जी नहीं। गैसे एजेन्सियों द्वारा उपभोक्ता की मांग एवं कम्पनी से प्राप्त आपूर्ति के आधार पर वरियता क्रम में उपभोक्ताओं को रिफिल सिलेण्डर उपलब्ध करवाया जाता है।

परिशिष्ट-1

क्र.सं.	नाम गैस एजेन्सी	कम्पनी का नाम	स्थान
1.	मैसर्स अम्बिका गैस एजेन्सी	एच.पी.सी.	रामगढ़ शेखावाटी
2.	मैसर्स फतेहपुर गैस एजेन्सी	एच.पी.सी.	फतेहपुर शेखावाटी
3.	मैसर्स लक्ष्मणगढ़ गैस एजेन्सी	आई.ओ.सी.	लक्ष्मणगढ़
4.	मैसर्स भगवती गैस एजेन्सी	बी.पी.सी.	सीकर शहर
5.	मैसर्स देव गैस एजेन्सी	एच.पी.सी.	सीकर शहर
6.	मैसर्स विक्रम गैस एजेन्सी	बी.पी.सी.	सीकर शहर
7.	मैसर्स शिव गैस एजेन्सी	बी.पी.सी.	सीकर शहर
8.	मैसर्स सुधीर गैस एजेन्सी	बी.पी.सी.	पिपराली
9.	मैसर्स विजय गैस एजेन्सी	बी.पी.सी.	लोसल
10.	मैसर्स इण्डेन गैस एजेन्सी	आई.ओ.सी.	दांतारामगढ़
11.	मैसर्स पवन गैस एजेन्सी	बी.पी.सी.	रींगस
12.	मैसर्स सागर गैस एजेन्सी	बी.पी.सी.	खण्डेला
13.	मैसर्स मारूतीनन्दन गैस एजेन्सी	एच.पी.सी.	श्रीमाधोपुर
14.	मैसर्स मोन्टू गैस एजेन्सी	आई.ओ.सी.	नीमकाथाना

विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में करवाये गये विकास कार्य

269. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में वर्ष 2000 से 20 जून, 2009 तक की अवधि में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए

(श्री रामलाल गुर्जर)

जनजाति क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्य कराये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में विभाग द्वारा जनजाति परिवारों को लाभान्वित करने हेतु वर्ष 2000 से जून, 2009 तक संविधान की धारा 275 (1) व विशेष केन्द्रीय सहायता योजनान्तर्गत क्रमश: राशि 31.17 लाख रूपये एवं राशि 8.05 लाख रुपये कुल 39.22 लाख रुपये के कार्य स्वीकृत किये गये है । कार्यो की सूची परिशिष्ट–अ पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

सीकर जिले में माध्यमिक विद्यालय रहित पंचायत मुख्यालय

270. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सीकर में ऐसे कौन-कौन से ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं जहां पर अभी तक माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त माध्यमिक विद्यालय विहिन ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर माध्यमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला सीकर में 144 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं, लेकिन 92 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं तथा जिले के 52 मुख्यालय ऐसे हैं जहां पर माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर का विद्यालय संचालित नहीं है । विधान सभा क्षेत्रवार ग्राम पंचायत मुख्यालयों का विवरण परिशिष्ट-क संलग्न है।

(2) जी हां। सरकार बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर विद्यालय क्रमोन्नत करने हेतु निर्धारित मादण्डानुसार समग्र स्थिति का गुणावगुण के आधार पर आंकलन करने के पश्चात् ही विद्यालय क्रमोन्नति की स्वीकृति प्रदान करती है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

तहसील बयाना (भरतपुर) के वृद्धावस्था/विधवा की पेंशन पर रोक

271. श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि तहसील बयाना जिला भरतपुर में वृद्धावस्था, विधवा, पेंशनरों की पेंशन जीवित होने एवं 18 वर्ष से कम उम्र की संतान होने पर भी उप कोषाधिकारी कार्यालय, बयाना द्वारा रोक दी गई है? यदि हां, तो क्यों और किन कारणों से? अब सरकार उक्त को शीघ्र पेंशन कब तक जारी कर देगी?

उत्तर

जी नहीं। उप कोषाधिकारी, बयाना द्वारा सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी स्वीकृति एवं पी.पी.ओ. के अनुसार समस्त वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशनरों को माह जून, 09 तक की पेंशन का धनादेश के माध्यम से दिनांक 01.07.2009 एवं 02.07.2009 को भुगतान किया जा चुका है।

निवाई विधान सभा क्षेत्र में दुकानों पर नकली खाद बीज

272. श्री कमल बैरवा (निवाई) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में खाद, बीज, दवाइयों के कुल कितने लाइसेंसधारी विक्रेता हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त दुकानों का संबंधित अधिकारियों द्वारा कब-कब निरीक्षण किया गया? निरीक्षण के परिणाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र निवाई में ऐसी दुकानों पर नकली खाद बीज आदि भी पाया गया था? यदि हां, तो ऐसे दुकानदारों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) निवाई विधान सभा क्षेत्र में बीज के 59, उर्वरक के 70 एवं कीटनाशी रसायनों के 32 लाइसेंसधारी विक्रेता हैं। बीज, उर्वरक एवं कीटनाशी लाइसेंसधारी विक्रेताओं की सूची परिशिष्ट 1, 2 एवं 3 पर संलग्न है।

(2) निवाई विधान सभा क्षेत्र अर्न्तगत बीज, उर्वरक एवं कीटनाशी विक्रेताओं का निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण किये जाकर नमूने संग्रहित कर विश्लेषण हेतु प्रयोगशालाओं को भिजवाये जाते रहे है। कीटनाशी नमूने परिणाम में अमानक पाये जाने पर नियमानुसार न्यायिक कार्यवाही की गई है।

उर्वरक नमूनों के अमानक आने पर न्यायिक कार्यवाही हेतु परिवाद की तैयारी की जा रही है।

(कृषि मंत्री)

निवाई विधान सभा क्षेत्र के अन्‍र्तगत निरीक्षकों द्वारा किये गये निरीक्षण का विवरण परिशिष्ट 4, 5 व 6 पर संलग्न है।

(3) उपलब्ध सूचना के अनुसार निवाई विधान सभा क्षेत्र में नकली खाद, बीज का कोई मामला नहीं पाया गया है। उर्वरक का एक नमूना तथा कीटनाशी के तीन नमूने मानक से नीचे के स्तर के घोषित किये जाने पर 2 कीटनाशी नमूनों में सम्बधित विक्रेता एवं निर्मामा के विरूद्ध परिवाद-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है तथा शेष अमानक उर्वरक व एक कीटनाशी नमूने की न्यायिक कार्यवाही हेतु परिवाद की तैयारी की जा रही है।

अमानक नमूनों पर कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-7 पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

<u>स्थागित प्रश्न</u>

(दिनांक 20 जुलाई, 2009)

कस्बा नवलगढ़ में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना

161. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य में राजकीय क्षेत्र में नए सीनियर सैकण्डरी विद्यालय खोलने व क्रमोन्नत करने के मानदण्ड/नियम निर्धारित हैं? यदि हां, तो नियम/मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) दिनांक 1 जनवरी, 2004 से अब तक राज्य में कितने नए सीनियर सैकण्डरी विद्यालय खोले गये और कितने सैकण्डरी विद्यालयों को सीनियर सैकण्डरी में क्रमोन्नत किया गया? विधान सभा क्षेत्रवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में कहां-कहां नए सीनियर सैकण्डरी विद्यालय खोले गये व किन-किन सैकण्डरी विद्यालयों को सीनियर सैकण्डरी में क्रमोन्नत किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नए सीनियर सैकण्डरी विद्यालय खोलने/क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के नवलगढ़

(डा. राजकुमार शर्मा)

कस्बे में सरकारी क्षेत्र में कोई सीनियर सैकण्डरी स्कूल नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कस्बे में एक-एक सहशिक्षा व बालिका सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोलने/क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में माध्यमिक शिक्षा में सीधे नये सीनियर सैकण्डरी विद्यालय खोलने का प्रावधान नहीं है। संचालित राजकीय माध्यमिक विद्यालय की उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर पर क्रमोन्नत करने का प्रावधान है, जिसके मानदण्डों के विवरण का **परिशिष्ट-क** संलग्न है।

(2) राज्य में 1 जनवरी, 2004 से अब तक कोई भी सीधा सीनियर सैकण्डरी विद्यालय नहीं खोला गया है। सैकण्डरी से सीनियर सैकण्डरी में 1 जनवरी, 2004 से अब तक क्रमोन्नत किये गये विद्यालयों का विधान सभा क्षेत्रवार संख्या विवरण का परिशिष्ट-ख संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में उक्त अवधि में 08 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया, जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्र.सं.	नाम विद्यालय	क्रमोन्नति वर्ष
1.	बड़वासी	2004-05
2.	भोजनगर	2005-06
3.	जाखल	2005-06
4.	चिराना	2005-06
5.	खिरोड़	2007-08
6.	सोन्थली	2007-08
7.	बा. बासवा	2007-08
8.	बा. माण्डासी	2007-08

(शिक्षा मंत्री)

(4) जी नहीं। वर्ष 2009-10 में रामावि को राउमावि में क्रमोन्नति हेतु वित्तीय प्रावधान नहीं रखे गये हैं।

(5) जी हां। वर्ष 2009-10 में रामवि को राउमावि में क्रमोन्नति हेतु वित्तीय प्रावधान नहीं रखे गये हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संचालित संकाय

273. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में कितने सीनियर सैकण्डरी स्कूल कहां कहां संचालित हैं? उक्त संचालित विद्यालयों में कौन-कौन से संकाय हैं और उक्त में कितने छात्र-छात्रएं अध्ययनरत हैं ? विद्यालयवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्कूलों में से कितनों में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय स्वीकृत नहीं हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जिन स्कूलों में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय नहीं हैं, वहां उक्त संकाय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में संचालित सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों, उनमें संचालित संकाय एवं अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के विवरण परिशिष्ट-'क' पर संलग्न हैं।

(2) जिन विद्यालयों में दोनों संकाय यथा विज्ञान एवं वाणिज्य संचालित नहीं है, का विवरण इस प्रकार से है:-

01. राउमावि. भैंसावा

02. राउमावि. बाघावास

03. राउमावि. जैतपुरा

04. राउमावि. बधाल

05. राउमावि. भादवा

06. रामजीपुरकलां

(शिक्षा मंत्री)

07. राउमावि. काजीपुरा

08. राउमावि. मण्ढ़ाभीमसिंह

09. राबाउमावि. सांभरलेक

10. राबाउमावि. फुलेरा

11. राबाउमावि. किशनगढ़ रेनवाल

(3) राज्य सरकार उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुए अतिरिक्त संकाय खोलने के प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मानदण्डों के तहत गुणाव-गुण के तहत समग्र स्थिति को आंकलन करने के पश्चात ही संकाय खोलने की स्वीकृति प्रदान करती है।

परिशिष्ट–'क'

क्र. सं.	**नाम विद्यालय**	**संचालित संकाय**	**अध्ययनरत**		
			छात्र	**छात्रा**	**योग**
1	राउमावि. सांभरलेक	कला	71	00	71
		विज्ञान	54	27	81
		वाणिज्य	157	36	193
2	राउमावि. फुलेरा	कला	153	-	81
		विज्ञान	169	29	123
		वाणिज्य	276	29	305
3	राउमावि. किश्नगढ़ रेनवाल	कला	93	17	110
		विज्ञान	46	09	55
		वाणिज्य	170	03	173
4	राउमावि. भैसलाना	कला	35	24	59
		वाणिज्य	48	06	54
5	राउमावि. भैंसावा	कला	167	139	306
6	राउमावि. बाघावास	कला	195	291	486
7	राउमावि. जैतपुरा	कला	107	142	249
8	राउमावि. बधाल	कला	189	116	305
9	राउमावि. भादवा	कला	169	149	318
10	राउमावि. रामजीपुरकलां	कला	81	74	155

क्र. सं.	नाम विद्यालय	संचालित संकाय	अध्ययनरत		
			छात्र	छात्रा	योग
11	राउमावि. काजीपुरा	कला	185	175	360
12	राउमावि. मण्डाभीमसिंह	कला	112	63	175
13	राबाउमावि. साभरलेक	कला	-	737	737
14	राबाउमावि. फुलेरा	कला	-	726	726
15	राबाउमावि. किशनगढ़रेनवाल	कला	-	323	323

छात्रवृत्ति स्वीकृति/वितरण में भिन्नता

274. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सभी वर्गों के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में भिन्नता/भेदभाव हैं? यदि हां, तो क्यों और छात्रों को दी जा रही छात्रवृत्ति की दरें क्या हैं?

(2) क्या सरकार उक्त सहायता राशि में हो रहे भेदभाव/भिन्नता को दूर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कैसे व कब तक?

उत्तर

(1) विभिन्न वर्गों के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में भिन्नता है, परन्तु भेदभाव नहीं है। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की दरें, उस वर्ग विशेष की आवश्यकताओं, छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु पात्रता की शर्तों, योजना की प्रकृति, कक्षा व पाठयक्रम समूह को दृष्टिगत रखकर भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा जारी नियमों द्वारा निर्धारित की जाती है। संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की निर्धारित दरें परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। भिन्नता योजनाओं के प्रकार एवं उद्देश्य की दृष्टि से स्वाभाविक है। अत: भेदभाव करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

स्थगित प्रश्न

(बुधवार, दिनांक 15 जुलाई, 2009)

जोधपुर जिले के मृत राज्य कर्मियों के आश्रितों को राज्य सेवा में नियुक्ति

98. श्री बाबू सिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को राज्य सेवा में नियुक्ति देने के नियम बने हुए हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2004 से जून, 2009 तक जोधपुर जिले से संबंधित मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों के कितने आवेदन-पत्र सरकार को प्राप्त हुए तथा उक्त से कितनों को नियुक्ति दे दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार शेष रहे मृतक आश्रितों को शीघ्र नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। नियमों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2004 से जून 2009 तक जोधपुर जिले के विभिन्न कार्यालयों में कुल 656 आवेदन पत्र मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों के प्राप्त हुए जिनमें से 487 को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दी गई एवं 42 प्रार्थना पत्र निरस्त किये गये। वर्तमान में विभिन्न कार्यालयों में कुल 127 प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं जिसकी विभागवार सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार आवेदन पूर्ण होने एवं निर्धारित प्रक्रिया तथा शर्तों की पूर्ति होने पर नियुक्ति प्रदान करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

देशी गौवंश के संरक्षण/संवर्द्धन हेतु कार्य योजना

275. श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में देशी गौवंश के संवर्द्धन एवं संरक्षण के उपाय किये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या-क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री प्रभुलाल सैनी)

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा देशी गौवंश यथा राठी, थारपारकर, गिर व कांकरेज गौवंश के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु योजना बनाकर स्वीकृति जारी की गई हैं? यदि हां, तो अब तक उक्त स्वीकृति की क्रियान्विति/प्रगति की स्थिति क्या रही? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में देशी गौवंश के संवर्द्धन व संरक्षण हेतु कृत्रिम गर्भाधान, उन्नत सांड वितरण, दुग्ध अभिलेखन कार्य किये जा रहे हैं।

प्रदेश की 4 देशी नस्ल (कांकरेज, गीर, थारपारकर एवं राठी) के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में नवीन फार्म की स्थापना एवं राज्य स्तरीय ब्रीड कन्फर्मेशन केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश की देशी नस्लों के नस्ल सुधार हेतु फ्रोजन सीमन बैंक, बस्सी (जयपुर) में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त एक जर्म प्लाज्म स्टेशन नारवां खिचियान (जोधपुर) का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(2) जी हां। देशी गौवंश यथा: राठी, थारपारकर गीर व कांकरेज के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008 09 में कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से 4 गाय फार्म एवं एक राज्य स्तरीय ब्रीड कन्फर्मेशन केन्द्र स्थापित करने हेतु रू. 941.42 लाख स्वीकृत किये गये थे, जिसमें से रु. 486.00 लाख विश्वविद्यालयों को उपलब्ध करवा दिये गये हैं। जिसका विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट-अ

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत प्रदेश की देशी नस्ल सुधार हेतु वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए स्वीकृत एवं आबंटन

प्रोजेक्ट का नाम	नस्ल	स्थान	स्वीकृत राशि (लाखों में)	आबंटित राशि (लाखों में)	किसके द्वारा कार्य किया जाना है
गीर गाय प्रजजन फार्म	गीर	बल्लभनगर (उदयपुर)	344.68	121.50	महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर
कांकरेज गाय प्रजनन फार्म	कांकरेज	बीकानेर	172.08	121.50	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

प्रोजेक्ट का नाम	नस्ल	स्थान	स्वीकृत राशि (लाखों में)	आबंटित राशि (लाखों में)	किसके द्वारा कार्य किया जाना है
राठी गाय प्रजनन फार्म की	राठी	बीकानेर	171.33	121.50	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर
थारपारकर गाय प्रजजन फार्म	थारपारकर	बीकानेर	173.33	101.00	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर
स्टेट ब्रीड कन्फर्मेशन सेन्टर		बीकानेर	80.00	20.00	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों हेतु वैकल्पिक व्यवस्था

276. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में प्रधानाध्यापक एवं अध्यापकों के जिलेवार कितने पद रिक्त हैं और रिक्त पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है?

(2) सरकार द्वारा रिक्त पद वाले विद्यालयों में अध्यापन की क्या व्यवस्था की जा रही है?

(3) जिन विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापक नहीं हैं अथवा जाने को तैयार नहीं हैं क्या सरकार वहां अप्रशिक्षित अध्यापकों को लगाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) राज्य में शिक्षा विभाग के अधीन संचालित राजकीय विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों के रिक्त पदों का जिलेवार विवरण का परिशिष्ट -''क'' संलग्न है।

रिक्त पदों का विभागीय पदोन्नति समिति एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर भरा जा सकेगा।

(2) रिक्त पदों वाले विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था की जाकर अध्यापन कार्य सुचारू किया जाता है।

(3) अध्यापकों की नियुक्ति पदस्थापन किये जाने पर पदस्थापित स्थान पर ही कार्यग्रहण करना होता है, किसी भी अध्यापक द्वारा पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करने से मना किये जाने का प्रकरण विभाग के ध्यान में नहीं आया है।

अप्रशिक्षित अध्यापक लगाने का नियमों में प्रावधान नहीं है।

परिशिष्ट-क

(संदर्भ तिथि 30.06.09)

क्र. सं.	जिले का नाम	प्राचार्य	प्र.अ.	व्या.	शाशि I	व.अ.	शाशि II	अध्या.	शाशि III
1	उदयपुर	43	68	366	00	391	18	196	04
2	राजसमन्द	31	46	297	02	378	13	75	07
3	डूंगरपुर	14	78	199	02	122	04	63	01
4	चित्तौड़गढ़	46	50	288	00	282	18	100	02
5	बांसवाड़ा	21	83	238	01	135	10	88	05
6	अजमेर	36	107	301	10	313	20	95	01
7	भीलवाड़ा	33	178	328	01	406	21	84	03
8	नागौर	71	221	437	02	512	39	119	18
9	टोंक	03	116	203	02	252	11	84	02
10	जोधपुर	37	184	332	13	404	13	75	04
11	जालौर	32	121	158	01	251	13	31	06
12	बाड़मेर	31	196	230	01	238	18	62	04
13	जैसलमेर	10	43	93	00	89	07	10	02
14	सिरोही	12	60	153	02	122	11	62	08
15	पाली	44	152	303	03	270	24	120	07
16	जयपुर	40	170	315	08	474	27	267	13
17	सीकर	44	141	367	04	539	16	141	07
18	अलवर	59	180	413	09	528	19	164	08
19	दौसा	19	70	127	00	195	06	71	04
20	कोटा	18	46	160	05	118	01	75	01

क्र. सं.	जिले का नाम	प्राचार्य	प्र.अ.	व्या.	शाशि I	व.अ.	शाशि II	अध्या.	शाशि III
21	बारां	26	98	163	01	143	08	57	09
22	बूंदी	14	60	147	01	116	01	65	02
23	झालावाड़	34	156	245	02	189	05	58	07
24	चूरू	43	116	300	04	382	22	110	02
25	झुंझुनूं	32	108	340	02	396	17	110	00
26	श्रीगंगानगर	42	106	232	01	260	10	60	07
27	बीकानेर	28	92	201	13	322	11	93	00
28	हनुमानगढ़	26	79	197	05	315	14	113	10
29	भरतपुर	30	119	256	02	392	11	91	01
30	धौलपुर	13	72	83	01	159	02	33	02
31	स. माधोपुर	19	64	117	00	156	10	63	04
32	करौली	13	82	105	01	112	04	57	04
		964	**3462**	**7694**	**99**	**8761**	**424**	**2891**	**155**

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में प्र.अ. एवं अध्यापकों के रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	जिला	प्र.अ.	रिक्त पद
1	चूरू	359	1505
2	बीकानेर	138	1751
3	झुंझुनूं	301	410
4	श्रीगंगानगर	454	1545
5	हनुमानगढ़	253	544
6	जोधपुर	627	2027
7	पाली	526	1394
8	जैसलमेर	135	1017

क्र.सं.	जिला	प्र.अ.	रिक्त पद
9	जालौर	262	1618
10	बाड़मेर	387	1396
11	सिरोही	140	998
12	जयपुर	287	705
13	दौसा	241	404
14	अलवर	564	877
15	सीकर	469	678
16	अजमेर	421	865
17	टोंक	266	879
18	भीलवाड़ा	474	1920
19	नागौर	670	3092
20	भरतपुर	383	1336
21	धौलपुर	193	524
22	सवाई माधोपुर	119	380
23	करौली	149	494
24	उदयपुर	460	2436
25	बांसवाड़ा	162	1262
26	डूंगरपुर	153	886
27	चित्तौड़गढ़	362	2952
28	राजसमन्द	178	1159
29	कोटा	155	204
30	बूंदी	50	758
31	बारां	149	1239
32	झालावाड़	257	1248
	योग	**9744**	**38503**

तारांकित प्रश्न संख्या-277

(स्थगित)

बाली विधान सभा क्षेत्र में पशु बीमा योजना से लाभान्वित पशुपालक

278. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (वाली) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2005 से अब तक पशु बीमा योजना, आविका कार्ड योजना, भेड़-बकरी बीमा योजना तथा पशुपालन बीमा योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र वाली में कितने पशुपालकों को लाभान्वित किया गया?

(2) क्या यह सही है कि आज भी भेड़-बकरी बीमा कराने के उपरान्त इनके पालकों को भेड़-बकरी मृत्यु के उपरांत बीमा क्लेम की राशि नहीं मिल पाई हैं? यदि हां, तो कितने पशुपालकों को एवं क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त सभी योजनाओं को प्रभावशाली एवं पशुपालकों के लिए सरलीकृत कर त्वरित भुगतान कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) वर्ष 2005-06 से अब तक वाली विधान सभा क्षेत्र बाली में बीमा योजनाओं से लाभान्वितों की वांछित सूचना परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

वर्तमान में बकरी एवं पालकों का राजकीय अनुदानित बीमा नहीं किया जाता है।

(2) जी हां। भेड़ बीमा कराने के उपरान्त 165 भेड़ों की मृत्यु उपरान्त बीमा क्लेम का भुगतान पशुपालकों को नहीं मिला है। लम्बित क्लेम के प्रकरणों की जांच का कार्य प्रगति पर है।

(3) जी हां। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा बीमा कम्पनियों के साथ नियमित बैठक कर बीमा योजनाओं में आ रही कठिनाइयों के समाधान के प्रयास निरन्तर किये जा रहे हैं। बीमा हेतु अनुदान राशि के भुगतान में होने वाले विलम्ब के समाधान के लिए राशि रु. 20,000/- राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के माध्यम से अग्रिम सभी जिला उपनिदेशकों को उपलब्ध करवाये गये हैं।

परिशिष्ट–अ

वाली विधान सभा क्षेत्र, जिला-पाली

क्र. सं.	योजना का नाम	विभाग द्वारा बीमित				
		वर्ष 2005-06	वर्ष 2006-07	वर्ष 2007-08	वर्ष 2008-09	योग
1	अविका कवच	1425	425	400	100	2350
2	अविका पाल	201	50	25	2	278
3	अविरक्षक	548	58	200	7	813
4	कामधेनू	82	72	74	88	316
5	गौपालक	122	38	171	113	444
6	गौरक्षक	94	52	258	80	484
7	ऊंट बीमा, ऊंट रक्षक व ऊंट पालक बीमा योजनायें	-	-	-	-	-
8	अविका क्रेडिट कार्ड	-	-	-	-	-

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पेंशनर्स को छठे वेतनमान का केन्द्र के समान लाभ

336. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र 2008 के पृष्ठ संख्या 20 पर बिन्दु संख्या 13 कर्मचारी एवं पेंशनर्स कल्याण के प्रथम संकल्प में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का केन्द्र सरकार के निर्णयों के अनुरूप क्रियान्वयन कर दिया गया है?

(2) क्या सरकार 7 लाख कर्मचारियों के हित में इसका क्रियान्वयन करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 12.09.2008 के द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिये राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 जारी किये गये हैं, जो दिनांक 01.09.2006 से प्रभावी हैं। छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें, जिन पर राज्य सरकार ने बाद में निर्णय लेने का निर्णय लिया है, का परीक्षण वेतन उच्चीकरण एवं विसंगति निवारण समिति द्वारा किया जा रहा है।

(2) समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा इसका परीक्षण किया जाकर उचित निर्णय लिया जा सकेगा।

राज्य कर्मियों के पे-बैण्ड में संशोधन हेतु गठित समिति

337. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सागांनेर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार राज्य कर्मियों को केन्द्र के समान जनवरी, 2006 से दिसम्बर, 2006 तक का एरियर देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार कर्मचारियों के पे-बैण्ड (वेतन श्रृंखला) को केन्द्र के अनुरूप करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने उक्त संबंध में कमेटी गठित की है? यदि हां, तो उक्त कमेटी ने अब तक क्या-क्या कार्यवाही की एवं इसकी कब-कब बैठकें आयोजित की गई? समिति की बैठकों की कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य कर्मचारियों के वेतनमान दिनांक 01.09.2006 से संशोधित किये गये हैं। अत: नियमानुसार दिनांक 01.01.2009 से एरियर दिये जाने का कोई आधार नहीं बनता है।

(2) प्रश्न स्पष्ट नहीं है। वेतनमान विसंगतियों के प्रकरण वेतन उच्चीकरण एवं विसंगति निवारण समिति के परीक्षणाधीन है।

(3) उक्त समिति का कार्य निरन्तर है। समिति के प्रतिवेदन के प्राप्त होने एवं उस पर मंत्रिमण्डल द्वारा विचार करने के पश्चात् प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा जा सकेगा।

सूचना अधिकार के तहत रिक्त पदों पर पदस्थापन

338. श्री अशोक पींचा (सरदारशहर) : क्या प्रशासनिक सुधार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त कितने व कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं? क्या यह सही है कि सूचना आयोग में वर्ष 2006 से एक सूचना आयुक्त जो मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर भी पदस्थापित हैं, के अतिरिक्त सभी पद रिक्त हैं? यदि हां, तो सरकार कब तक उक्त पदों पर नियुक्तियां करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) राजस्थान राज्य सूचना आयोग में कितने सूचना आयुक्तों के पद आम जन के लिए, कितने अधिवक्ताओं के लिए एवं कितने सेवानिवृत्त आई.ए.एस. तथा सेवानिवृत्त न्यायाधिपतियों के लिए आरक्षित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सूचना आयोग में एक मात्र सूचना आयुक्त होने की वजह से परिवाद एवं अपील की सुनवाई में अनावश्यक रूप से विलम्ब होता है? यदि हां, तो कितना एवं अपील की पुन: सुनवाई हेतु कितना समय औसतन लगता है? वर्ष 2008 से दिनांक 25 जून, 2009 तक कितनी अपीलों की सुनवाई दुबारा नियत की गई व कितने समय बाद सुनवाई की गई व कितने मामलों में तीन माह से अधिक समय की सुनवाई की दिनांक दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त

(प्रशासनिक सुधार मंत्री)

अन्य 17 पद स्वीकृत हैं। जो आदेश के अनुसार क्रमिक पदस्थापित हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	पदनाम	पद संख्या
1	सचिव	01
2	निजी सचिव	01
3	रजिस्ट्रार कम.ओ.एस.डी	01
4	प्रशासनिक अधिकारी	01
5	निजी सहायक	02
6	लेखाकार	01
7	रीडर	01
8	वाहन चालक	01
9	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (संविदा पर)	04
10	कम्प्यूटर मय ऑपरेटर	04
	योग	**17**

(2) जी नहीं। अधिवक्ताओं, सेवानिवृत्त आई.ए.एस तथा सेवानिवृत्त न्यायाधिपतियों के लिये कोई कोटा आरक्षित नहीं है।

(3) सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त का एक पद ही स्वीकृत है। पूर्व में मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा अपील की सुनवाई हेतु एक से डेढ माह की पेशी दी जाती थी। वर्तमान में अपीलों एवं परिवादों की संख्या बढ़ने से चार से पांच माह तक की पेशी दी जा रही है। वर्ष 2008 से जून 2009 तक प्रकरणों की स्थिति निम्न प्रकार से है:-

अपीलों की स्थिति

गत वर्ष के लम्बित	नये प्रकरण	कुल	निपटारा	लम्बित
348	2082	2430	1674	756

वर्ष 2008 से जून 2009 तक के परिवादं स्थिति

माह	पंजीयक	निपटरा	शेष
जनवरी, 2009	387	20	1123
फरवरी, 2009	196	000	1319

(प्रशासनिक सुधार मंत्री)

माह	पंजीयक	निपटरा	शेष
मार्च, 2009	176	66	1429
अप्रैल, 2009	189	177	1441
मई, 2009	295	173	1563
जून, 2009	340	241	1662

राजस्थान लेखा सेवा एवं पुलिस सेवा में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति का अनुपात

339. श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) एक सेवा से दूसरी सेवा में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से नियुक्त कार्मिकों का अनुपात कुल संख्या के आधार पर संधारित करने हेतु कार्मिक विभाग द्वारा प्रस्तुत मंत्रिमण्डल ज्ञापन दिनांक 04 अक्टूबर, 1996 के अनुमोदन उपरान्त अधिसूचना कब जारी की गई?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अधिसूचना राजस्थान लेखा सेवा एवं राजस्थान पुलिस सेवा पर समान रूप से लागू है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त अधिसूचना के आधार पर राजस्थान लेखा सेवा एवं पुलिस सेवा में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति कोटे के कार्मिकों का अनुपात राजस्थान प्राशासनिक सेवा में संधारित हो रहे अनुपात की भांति कुल संवर्ग संख्या के आधार पर संधारित नहीं किए जाने के कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कार्मिक विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक प. 7(2)कार्मिक/क-2/81 दिनांक 13.11.1996 को जारी की गई।

(2) जी हां। उक्त अधिसूचना राजस्थान लेखा सेवा एवं राजस्थान पुलिस सेवा पर भी लागू है।

(3) राजस्थान पुलिस सेवा नियम 1954 के नियम 7 के अनुसार राजस्थान पुलिय सेवा में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति का क्रमश: 50:50 का प्रावधान है। कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में रिक्त पदों का निर्धारण उक्त अनुपात के अनुसार कुल संवर्ग संख्या के आधार पर किया जाता है।

(कार्मिक मंत्री)

राजस्थान लेखा सेवा में नियम 7(1) के नीचे दिये गये परन्तुक के अनुसार केवल लेखाधिकारी (साधारण वेतन श्रृंखला) के केडर के कुल पदों पर ही 50:50 सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से भरने का प्रावधान है। राज. प्रशासनिक सेवा नियमों में उक्त परन्तुक (Proviso) नहीं है।

शासन सचिवालय जयपुर में आशुलिपिक एवं निजी सहायकों की पदोन्नति प्रकरण

340. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) शासन सचिवालय में वर्ष 1997 से 2004 के मध्य कितने आशुलिपिकों की नियुक्ति की गई? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा शासन सचिवालय में आशुलिपिकों के पदों को निजी सहायक के पद में मर्ज (समायोजित) कर दिया गया है? यदि हां, तो ऐसे कितने आशुलिपिक हैं, जिनको निजी सहायक के समकक्ष मान लिया गया है? नाम, नियुक्ति तिथि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2004 से 2007 के मध्य कितने आशुलिपिकों की पदोन्नति की गई तथा कितने आशुलिपिकों को 9-18-27 वर्ष का चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि आशुलिपिकों की सेवा अवधि 9 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व ही 26-ए का लाभ देकर 9-8-27 चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया है? यदि हां, तो ऐसे कितने आशुलिपिक हैं, जिनको 9 वर्ष की सेवा अवधि पूर्व ही लाभ दिया गया ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शासन सचिवालय में वर्ष 1997 से 2004 के बीच कुल 31 आशुलिपिकों की नियुक्ति की गई है।

(सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न है।)

(2) जी नहीं। आशुलिपिकों के पदों को निजी सहायक के पद में मर्ज (समायोजित) किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) वर्ष 2004 से 2007 के मध्य कुल 43 आशुलिपिकों को निजी

(कार्मिक मंत्री)

सहायक के पद पर पदोन्नति दी गई है (सूची परिशिष्ट-''ख'' पर संलग्न है) तथा 41 आशुलिपिकों को 9-18-27 का चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया है।

(सूची परिशिष्ट-''ग'' पर संलग्न है।)

(4) जी नहीं।

परिशिष्ट-क

शासन सचिवालय में वर्ष 1997 में आशुलिपिक के पदों पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों की सूची

क्र.सं.	सर्वश्री नाम	क्र.सं.	सर्वश्री नाम
1.	सुनीता खत्री	17.	मनमोहन टांक
2.	मो. जमील बेग	18.	जयसिंह यादव
3.	मो. साजिद	19.	महेन्द्र सिंह लोधा
4.	मुकेश कुमार जैन	20.	ओमप्रकाश कुमावत
5.	सुशील माथुर	21.	निरंजनलाल सैनी
6.	सुनील कुमार अग्रवाल	22.	नरेन्द्र कुमार
7.	सुनील कुमार शर्मा	23.	शंकर सोनी
8.	बृजमोहन अग्रवाल	24.	कंवरपाल बंशीवाल
9.	रमेश कुमार शर्मा-1	25.	वेदप्रकाश महावर
10.	हरीश कुमार लेखयानी	26.	राजेन्द्र कुमार मौर्य
11.	कैलाश चंद गुर्जर	27.	किशनलाल रैगर
12.	रमेश कुमार शर्मा-।।	28.	शम्भूदयाल घरबारिया
13.	विजय कुमार प्रधान	29.	कल्लाराम मीणा
14.	प्रमोद कुमार गोयल	30.	बृजलाल मीणा
15.	राकेश कुमार शर्मा	31.	देवीनारायण मीणा
16.	श्री कृष्ण शर्मा		

शासन सचिवालय में वर्ष 1997 के पश्चात् आशुलिपिक के पद पर कोई नियुक्ति नहीं हुई है।

परिशिष्ट-ख

वर्ष 2004 से 2007 के मध्य आशुलिपिक के पद से निजी सहायक के पद पर पदोन्नत व्यक्तियों की सूची

वर्ष 2004-05

वर्ष 2004-05 में कोई पदोन्नति नहीं हुई।

वर्ष 2005-06

वर्ष 2005-06 में कोई पदोन्नति नहीं की गई।

वर्ष 2006-07

क्र.सं.	सर्वश्री नाम	क्र.सं.	सर्वश्री नाम
1.	सुश्री निर्मला नरूका	21.	प्रवीण कुमार बाछावत
2.	योगेश कुमार शर्मा	22.	हरिकिशन सैनी
3.	नरेश चंद विजय	23.	अशोक भट्ट
4.	सत्यवीर सिंह जांगिड़	24.	महेन्द्र सिंह कविया
5.	अजीत कुमार जैन	25.	पन्ना लाल शर्मा
6.	महेन्द्र तोषावर	26.	सुदेश पारीक
7.	सुधीर कुमार मेलवानी	27.	बजरंगसिंह बारेठ
8.	रमेश चन्द कुमावत	28.	विश्वनाथ श्रीमाली
9.	मदनलाल शर्मा	29.	गणेश कुमार कुमावत
10.	बोदूराम बागड़ा	30.	मुकेश चन्द शर्मा
11.	मधुसूदन कालुण्डिया	31.	राजेश डाबी (अजजा)
12.	प्रहलाद कुमार शर्मा	32.	कंवर पाल बंशीवाल (अजा)
13.	शंकर लाल नरियानी	33.	वेदप्रकाश महावर (अजा)
14.	सत्यनारायण शर्मा/रामपाल	34.	राजेन्द्र कुमार मौर्य (अजा)
15.	महेन्द्र कुमार शर्मा	35.	किशन लाल बैरवा (अजा)
16.	भुवनेश कुमार माथुर	36.	शम्भूदयाल घरबारिया (अजा)
17.	सीताराम शर्मा/मुरलीधर	37.	कल्लाराम मीणा (अजजा)
18.	चन्द्रप्रकाश वासवानी	38.	बृजलाल मीणा (अजजा)
19.	मुकुट बिहारी शर्मा	39.	देवीनारायण मीणा (अजजा)
20.	रमेश चन्द टेकवानी		

वर्ष 2007-08

क्र.सं.	नाम
1.	मूलचन्द कुमावत
2.	पुष्पेन्द्र कुमार भट्ट
3.	दिनेश कुमार शर्मा
4.	हनुमान श्रृंगी

परिशिष्ट-ग

9-18-27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किये गये आशुलिपिकों की सूची

क्र.सं.	सर्वश्री नाम	क्र.सं.	सर्वश्री नाम
1.	सुरज्ञानी शर्मा	22.	सुशील कुमार
2.	राकेश गौड़	23.	मुकेश कुमार जैन
3.	लता शर्मा	24.	सुशील माथुर
4.	राघवेन्द्र पारीक	25.	सुनील कुमार अग्रवाल
5.	लेखराज सैनी	26.	सुनील कुमार शर्मा/श्रीकृष्ण शर्मा
6.	मुकेश जोशी	27.	बृजमोहन अग्रवाल
7.	अशोक कुमार वर्मा	28.	रमेश कुमार शर्मा-I
8.	गजेश गुप्ता	29.	हरीश कुमार लेखयानी
9.	सुनीता खत्री	30.	कैलाश चन्द गुर्जर
10.	सुनील शर्मा/श्री सत्यनारायण	31.	रमेश कुमार शर्मा-II
11.	जनक दुलारी शर्मा	32.	विजय कुमार प्रधान
12.	विशाल राणावत	33.	प्रमोद कुमार गोयल
13.	महेश चन्द शर्मा	34.	राकेश कुमार शर्मा
14.	बद्रीनारायण सैनी	35.	मनमोहन टांक
15.	अनिल कुमार जैन	36.	जयसिंह यादव
16.	संजय पारीक	37.	महेन्द्र सिंह लोधा
17.	सुनील पालीवाल	38.	ओमप्रकाश कुमावत
18.	नरेन्द्र राजपूत	39.	निरंजनलाल सैनी
19.	पूनमचन्द प्रजापति	40.	नरेन्द्र कुमार
20.	मो. जमील बेग	41.	शंकर सोनी
21.	मो. साजिद		

आसीन्द विधान सभा क्षेत्र में खेल गतिविधियां

341. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में वर्तमान में युवा मामले एवं खेल से संबंधित क्या-क्या गतिविधियां कहां-कहां पर संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार की खेलों को प्रोत्साहित करने की कोई योजना है? यदि हां, तो क्या? प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के लिए आधारभूत अवसंरचना के निर्माण एवं आवश्यक खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से वर्ष 2008-09 में प्रारम्भ की गई केन्द्रीय प्रवर्तित योजना ''पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान (PYKKA)'' के अन्तर्गत आसीन्द विधान सभा क्षेत्र की ब्लाक पंचायत आसीन्द एवं ग्राम पंचायत बदनोर में खेल मैदान तैयार करवाये जा रहे हैं।

(2) प्रदेश में खेलों के विकास की योजना का विवरण संलग्नक-1 पर संलग्न है।

संलग्न-1

प्रदेश में खेलों को प्रोत्साहित हेतु योजना का विवरण

स्टेडियम (खेल सुविधाऐं) विकास कार्यक्रम :-

खेल सुविधाओं के विस्तार व खिलाड़ियों/प्रशिक्षकों को सभी खेलों में ऐसा वातावरण प्रदान करने की दृष्टि से, जिससे वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर उत्कृष्ट परिणाम दे सकें, स्टेडियम विकास कार्यक्रम तैयार किया गया है। कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्भाग मुख्यालय, जिला मुख्यालय, तहसील ब्लाक/ग्राम पंचायत व ग्राम स्तर पर खेल सुविधा विकसित करवाने एवं विभिन्न स्तर की खेल सुविधाओं में योजनाबद्ध तरीके से समन्वय स्थापित करना है।

स्टेडियम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में सीकर, झुन्झुनूं, भरतपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रपातगढ़, दौसा, हनुमानगढ़, जालौर, सवाई माधोपुर, नागौर, बूंदी, चूरू, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, बारां, ब्यावर (अजमेर), फतेहगढ़ (जैसलमेर), सोजत (पाली), कैथून (कोटा), मांगरौल (बारां), छबड़ा (बारां), छीपाबड़ौद (बारां) मे स्टेडियम निर्माणाधीन/प्रस्तावित हैं।

इनके अतिरिक्त जयपुर शहर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में विभिन्न खेलों हेतु आधारभूत अवसंरचना के सृजन के साथ-साथ विधाधर नगर में नवीन स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है।

पंचायत युवा क्रीडा एवं खेल अभियान योजना (PYKKA) :-

भारत सरकार की केन्द्रीय प्रवर्तित योजना पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान (PYKKA) राष्ट्रीय खेल नीति 2001 व ड्राफ्ट कम्प्रिहेंसिव स्पोर्ट्स पालिसी, 2008 के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में ग्रामीण खेल आधारभूत संरचना एवं सुविधाएं विकसित कराने की दृष्टि से यह योजना प्रारम्भ की गयी है। वर्ष 2008-09 से प्रारम्भ इस योजना के अन्तर्गत प्रथम 4 वर्षो में प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत ग्राम पंचायतों/ब्लाक पंचायतों और अगले 5 वर्षो में प्रत्येक वर्ष 12 प्रतिशत ग्राम पंचायतों/ब्लाक पंचायतों का चयन कर पंचायत ब्लॉक स्तर पर खेल मैदान तैयार कराना, खेल सुविधाएं व अंशकालीन खेल प्रशिक्षक उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

अन्य कार्यक्रम:-

प्रशिक्षकों के माध्यम से खिलाड़ियों को नियमित प्रशिक्षण देना।

केन्द्रीय आवासीय ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन।

केन्द्रीय आवासीय ग्रामीण ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन।

केन्द्रीय जनजाति ग्रीष्मकालीन आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन।

ग्रामीण, जनजाति एवं महिला खेलों का आयोजन।

खेल संघों द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं/प्रशिक्षण शिविरों हेतु यात्रा दैनिक भत्ता उपलब्ध कराना।

राज्य की महिला बास्केटबाल खिलाड़ियों का चयन कर महिला बास्केटबाल अकादमी (जयपुर) में उच्च प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना।

राज्य की महिला हाकी खिलाड़ियों का चयन कर महिला हाकी अकादमी (जयपुर) में उच्च प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना।

राज्य की महिला बास्केटबाल खिलाड़ियों का चयन कर महिला

बास्केटबाल अकादमी (जयपुर) में उच्च प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना।

राज्य के बास्केटबाल खिलाड़ियों का चयन कर बालक छात्रावास (जैसलमेर) में उच्च प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना।

राज्य के एथलेटिक्स, वालीबाल, फुटबाल, कबड्डी एवं बास्केटबाल खेल के लिए खेल विद्यालय कोठियारी (सीकर) प्रारम्भ किया गया है।

जेल कर्मियों द्वारा कैदियों के परिजनों से अवैध वसूली

342. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गत वर्षों में राज्य की जेलों में केदियों को नाश्ता, खाना व अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने के नाम पर जेल अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से वसूली की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो जिला जयपुर व अलवर में गत पांच वर्षों में उक्त प्रकार के कितने प्रकरण सामने आये?

(2) उक्त प्रकरणों में सरकार द्वारा जेल अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? जिलेवार एवं जेलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार राज्य की जेलों में कैदियों एवं उनके परिजनों से होने वाली अवैध वसूली को रोकने हेतु जन-प्रतिनिधियों की कोई निगरानी समितियां गठित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि राज्य की जेलों में कैदियों को नाश्ता, खाना व अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने के नाम पर जेल अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से वसूली की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। गत पांच वर्षों में जिला जयपुर व अलवर में सामने आये प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट ''ए'' पर संलग्न है।

(2) उक्त प्रकरणों मे दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट ''ए'' पर संलग्न है।

(कारागार राज्य मंत्री)

(3) राजस्थान राज्य की कारगृहों में निरूद्ध बंदियों की समस्याओं के निराकरण करने हेतु राजस्थान कारागार नियम 1951 के पार्ट-23 में सरकारी दर्शक एवं गैर सरकारी दर्शक तथा दर्शक मण्डल (विजिटर्स बोर्ड) का गठन किये जाने का प्रावधान है, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त/मनोनित किये जाते हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीगंगानगर जिले की मण्डियों को आबंटित बारदाना

343. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गेहूं का उठाव न होने के कारण श्रीगंगानगर सहित जिले की कई मंडियों में जनवरी, 2009 से अब तक तनाव की नौबत आई है? यदि हां, तो मण्डीवार ऐसी कब-कब व कहां-कहां कितनी घटनाएं हुई तथा सरकार ने उक्त व्यवस्था को सुचारू करने के लिए क्या कदम उठाए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार ने जिला श्रीगंगानगर में जनवरी, 2009 से अब तक कितना बारदाना उपलब्ध करवाया और किस-किस मण्डी में कितना कितना बारदाना आबंटित किया? मण्डीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। श्रीगंगानगर में गेहूं के उठाव की रबी विपणन वर्ष 2009-2010 के दौरान किसी भी मण्डी में तनाव की नौबत नहीं पैदा हुई है। तथापि इस वर्ष गेहूं की बम्पर पैदावार होने के कारण मण्डियों से गेहूं के उठाव को लेकर कृषकों द्वारा कभी कभार रोष प्रकट किया गया, जिसे स्थानीय प्रशासन द्वारा समुचित व्यवस्थाएं करवा कर व समझाइश कर शांत किया गया।

(2) समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले गेहूं हेतु बारदाना भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। जिला श्रीगंगानगर में रबी विपणन वर्ष 2009-2010 में खरीद हेतु भारतीय खाद्य निगम द्वारा बारदाना उपलब्ध करवाया गया है। मण्डीवार बारदानें की भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'अ'

क्र.सं.	मण्डी का नाम	उपलब्ध करवाये गये बारदानें की मात्रा (प्रत्येक गांठ में 500 कट्टे)	
		गांठों की संख्या	खुले कट्टों की संख्या
1	श्रीगंगानगर	2226	32
2	श्रीविजयनगर	1663	6974
3	केसरीसिंहपुर	615	229
4	सादुलशहर	1548	460
5	श्रीकरनपुर	612	2575
6	पदमपुर	703	0
7	गजसिंहपुर	396	8112
8	रायसिंहनगर	546	100
9	सूरतगढ़	1086	234
10	जैतरार	433	0
11	रिडमलसर	151	7000
12	रामसिंहपुर	145	0
13	अनूपगढ़	1260	0
14	घड़साना	1002	5000
15	रावला	585	871
16	आरडी 365	143	0

तेवड़ी ग्राम पंचायत (विराटनगर) के राशन डीलर द्वारा अनियमितताएं

344. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति विराटनगर के ग्राम पंचायत तेवड़ी के डीलर द्वारा जनवरी, 2002 से दिसम्बर, 2008 के दौरान अकाल राहत कार्यों में गेहूं/चावल वितरण में अनियमितता किये जाने के फलस्वरूप उसके विरुद्ध हिसाब बकाया चल रहा है?

(2) क्या उक्त डीलर के विरुद्ध अकाल राहत कार्यों बाबत वसूली होनी शेष है? यदि हां, तो वसूली क्यों नहीं की गई और इसका प्राधिकार निरस्त क्यों नहीं किया गया? क्या सरकार उक्त डीलर का प्राधिकार निरस्त करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। तहसीलदार विराटनगर के पत्रांक/भू.अ./09/स्पे.-1 दिनांक 19.07.2009 के अनुसार ग्राम पंचायत तेवड़ी के डीलर श्री उमराव सिंह गुर्जर के विरुद्ध अकाल राहत कार्य संवत 2059 की विशेष जांच दल निदेशालय, निरीक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा रिकवरी में स्टाक गेहूं 609.59 क्विंटल राशि 4,02,329/- रुपये निकाली गई है। उक्त डीलर के विरुद्ध इस निरीक्षण सम्बन्धी रिकवरी का हिसाब बकाया है।

(2) जी हां। तहसीलदार विराटनगर द्वारा उक्त डीलर के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही की जा रही है। तहसीलदार द्वारा डीलर को नोटिस दिया गया है, जिसका उसने अभी तक जवाब पेश नहीं किया है। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 19.07.2009 पर जिला रसद अधिकारी, जयपुर द्वारा डीलर के खिलाफ प्रकरण पुन: दर्ज कर उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का नोटिस दिया गया है। डीलर का निर्धारित तिथि को जवाब नहीं आने पर नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर निर्णय किया जावेगा।

कार्यालय संयुक्त श्रम आयुक्त, अलवर का भरतपुर स्थानान्तरण प्रकरण

345. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा संयुक्त श्रम आयुक्त का पद अलवर के स्थान पर भरतपुर में स्थानान्तरित कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि अलवर जिले में भरतपुर जिले से 5 गुना अधिक औद्योगिक क्षेत्र होने और श्रमिकों की संख्या भी भरतपुर से 50 गुना अधिक है? यदि हां, तो क्या सरकार संयुक्त श्रम आयुक्त के पद को वापस अलवर स्थानान्तरित का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सम्भाग स्तर पर संयुक्त श्रम आयुक्त का पद है। भरतपुर को सम्भागीय मुख्यालय बनाए जाने से विभागीय नीति के अनुरूप भरतपुर में भी संयुक्त श्रम आयुक्त का पदस्थापन किया जाना था। अत: संयुक्त श्रम आयुक्त, अलवर का पद स्थानान्तरित किया गया।

(2) जी हां। श्रमिकों की संख्या व कार्य के अनुरूप अलवर में उप श्रम आयुक्त पदस्थापित है।

अलवर में मजदूरों की संख्या अधिक हो सकती है। परन्तु लम्बित औद्योगिक शिकायत/ विवाद व ऑथोरिटी के पास केसेज की संख्या भरतपुर में अधिक लम्बित थे। अत: सरकार संयुक्त श्रम आयुक्त पद को अलवर वापिस स्थानान्तरित करने का विचार नहीं रखती है।

नवलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में एनिमेशन अकादमी की स्थापना

346. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में एनिमेशन एकेडमी की स्थापना की गई थी? यदि हां, तो कब व कहां तथा किस उद्देश्य से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2008-09 में राज्य के अनेक जिलों में एनिमेशन एकेडमी की स्थापना की गई है? यदि हां, तो कहां-कहां?

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में एनिमेशन एकेडमी की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजकौशल एनीमेशन एकेडमी की स्थापना जयपुर में की गई थी जिसका शुभारम्भ दिनांक 8.12.2007 को हुआ था। यह एकेडमी राजकीय खेतान पालिटेक्निक महाविद्यालय, जयपुर में संचालित हो रही है। इसकी स्थापना बाजार में एनीमेशन प्रशिक्षित युवाओं की मांग को देखते हुये युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से की गई थी।

(2) जी नहीं। वर्ष 2008-09 में राज्य के किसी अन्य जिले में एनीमेशन एकेडमी की स्थापना नहीं की गई है।

(3) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में एनीमेशन एकेडमी की स्थापना करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अजमेर शहर में बाल श्रमिकों की संख्या

347. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

अजमेर शहर में कुल कामगार कितने हैं व इनमें कितना प्रतिशत बाल श्रमिकों का है और उनकी औसत आयु क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

अजमेर शहर में कुल कामगारों की संख्या 44,413 है। इनमें कोई बाल श्रमिक नहीं है।

खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र में प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालय

348. डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं? यदि हां, तो कब व कहां-कहां के तथा उक्त प्रस्ताव किस स्तर पर लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त लम्बित प्रस्तावों को स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार अपने वित्तीय प्रावधानान्तर्गत निर्धारित

(शिक्षा मंत्री)

मानदण्डों के दृष्टिगत गुणावगुणों के आधार पर प्राथमिक विद्यालय खोलती हैं। वर्तमान में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु कोई वित्तीय प्रावधान नहीं हैं।

(2) प्रश्नोत्तर के भाग संख्या-01 के उत्तर अनुसार।

सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

349. श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर जिला चूरू में किस-किस उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों के पद रिक्त हैं? विद्यालयवार शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर जिला चूरू में शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों के विद्यालयवार विवरण का परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(2) रिक्त पद राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर भरे जा सकेंगे।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

चाकसू विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पद

350. श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र चाकसू में कितने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कहां-कहां संचालित हैं तथा उक्त विद्यालयों में अध्यापकों व अन्य कर्मचारियों के स्वीकृत पदों में से कौन-कौन से पद रिक्त हैं? सरकर रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र चाकसू में संचालित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक

(शिक्षा मंत्री)

विद्यालयों की सूची मय अध्यापकों व अन्य कर्मचारियों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों सहित विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है। रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

शाहपुरा एवं विराटनगर विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं

351. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) व विराटनगर में कई प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो किन-किन में? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विद्यालयों में शौचालय के निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तों क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) व विराटनगर के जिन राजकीय विद्यालयों में शौचालय नहीं है, उनकी सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं तथा सर्व शिक्षा अभियान में उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के अन्तर्गत विद्यालयों में शौचालय निर्माण करवाये जाते हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

तहसील घड़साना के रावला मण्डी में खण्ड संदर्भ केन्द्र की स्थापना

352. श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार घड़साना तहसील में रावला मण्डी में सर्वशिक्षा अभियान का खण्ड–सन्दर्भ केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। श्रीगंगानगर जिले में डी.पी.ई.पी. कार्यक्रम के प्रारम्भ होने पर 9 खण्ड संदर्भ केन्द्र स्थापित किए गए थे। घड़साना तहसील के अन्तर्गत रावला मण्डी में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत खण्ड संदर्भ केन्द्र खोलने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

अजमेर जिले के अनार्थिक विद्यालय

353. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार अनार्थिक विद्यालय की अवधारणा के आधार पर कुछ विद्यालयों को बन्द करने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसके लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं?

(2) जिला अजमेर में सरकार द्वारा ऐसे कितने विद्यालयों को चिन्हित किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अल्पसंख्यक भाषा के माध्यम से चलने वाले विद्यालयों पर भी यह योजना समान रूप से लागू करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों को अनार्थिक घोषित करने हेतु स्थानीय लोगों की भावनाओं की जानकारी मौके पर जाकर तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं अभिभावकों की राय के पश्चात ही कार्यवाही की जायेगी।

अनार्थिक विद्यालय घोषित किये जाने हेतु माध्यमिक शिक्षा के निर्धारित वर्तमान मापदण्डों की प्रति परिशिष्ट–क एवं प्रारम्भिक शिक्षा के मापदण्डों की प्रति परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(2) अनार्थिक विद्यालय के चिन्हीकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी नहीं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

पाली जिले की छात्राओं को साइकिल वितरण में विलम्ब

354. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि छात्राओं को साइकिल योजना के तहत दी जाने वाली साइकिलें छात्राओं द्वारा 300/- रुपये प्रति छात्रा जमा करवाने के बावजूद भी साइकिलें वितरित नहीं की गई हैं? यदि हां, तो क्यों?

(श्री केसाराम चौधरी)

(2) जिला पाली में कुल कितनी छात्राओं के पैसे जमा हैं लेकिन उन्हें साइकिलें उपलब्ध नहीं करवाई? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विलम्ब के लिये जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। लोक सभा एवं विधान सभा चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण छात्राओं को साइकिलें वितरण नहीं की जा सकीं।

(2) पाली जिले में 140 छात्राओं से राशि प्राप्त की गई, परन्तु उन्हें साइकिल उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। अब साइकिलों का वितरण किया जा चुका है। विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(3) साइकिल वितरण नहीं किये जाने का मुख्य कारण लोक सभा एवं विधान सभा के कारण आदर्श आचार संहिता का लागू होना रहा है। अत: इस हेतु किसी अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र के क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों की मरम्मत

355. श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा में कौन-कौन से विद्यालयों में पर्याप्त कक्षा-कक्ष नहीं हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कई सरकारी स्कूलों की इमारतें जर्जर एवं जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं जो कभी भी गिर सकती हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से?

(3) क्या सरकार उक्त विद्यालय भवनों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा में संचालित विद्यालयों में कक्षा-कक्ष पर्याप्त हैं।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) मरम्मत योग्य भवनों के मरम्मत करवाये जाने के प्रस्ताव प्राप्त होने पर उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के तहत राशि का आबंटन किया जा सकेगा।

निजी विद्यालयों में फीस वृद्धि के सम्बन्ध में गठित समिति की सिफारिशें

356. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार निजी स्कूलों में फीस वृद्धि करने के नियम व मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार निजी स्कूलों द्वारा की जाने वाली फीस वृद्धि पर अंकुश लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा फीस वृद्धि के सम्बन्ध में कोई कमेटी गठित की गई है? यदि हां, तो उस कमेटी द्वारा क्या रिपोर्ट दी गई? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर स्कूलों में फीस वृद्धि की गई है? यदि हां, तो जयपुर शहर में कौन-कौनसी स्कूलों में व नहीं, तो क्यों? जिन स्कूलों ने पालना नहीं की उनके विरुद्ध क्या सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। आदेश की प्रति परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। फीस वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए ही दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

(3) जी हां। कमेटी की रिपोर्ट परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(4) जी हां। राज्य सरकार के उक्त आदेश राज्य के समस्त विद्यालयों पर लागू हैं। राज्य सरकार के उक्त आदेश की पालना हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करवाने हेतु निर्देशित किया गया है। राज्य सरकार को अभिभावक संघर्ष समिति, राजस्थान के माध्यम से

(शिक्षा मंत्री)

जयपुरिया स्कूल, जयपुर एवं एयरफोर्स पब्लिक स्कूल, जयपुर की शिकायत प्राप्त हुई है, जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि./मा.शि., जयपुर को परीक्षण कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। पालना नहीं करने वाली अन्य संस्थाओं की शिकायतें प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(रिपोर्ट/प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

लुण्डावास (सोजत) के प्राथमिक विद्यालय का क्रमोन्नयन

357. श्रीमती संजना आगरी (सोजत) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2007 में विधान सभा क्षेत्र सोजत के ग्राम लुण्डावास के प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत किया गया था? यदि हां, तो क्या वहां वांछित कर्मियों का पदस्थापन कर दिया गया? यदि हां, तो कब व किन-किन पदों पर कितने कर्मियों का? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विद्यालय में स्वीकृत पद के अनुसार अध्यापकों का पदस्थापन नहीं किया गया हैं क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान में स्वीकृत प्रधानाध्यापक का पद आबंटन दिनांक 26.6.2009 को संबंधित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को किया गया है तथा तृतीय श्रेणी अध्यापक के स्वीकृत दो पदों का आबंटन किया जाना शेष है। उक्त विद्यालय में पंचायतराज विभाग के तृतीय वेतन श्रृंखला के 03 अध्यापक कार्यरत हैं।

बिना सूचना अनुपस्थित कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही

358. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर शहर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा में बिना सूचना लम्बे समय से अनुपस्थित चल रहे कार्मिकों को विद्यालय कार्यालय में कार्यग्रहण कराने हेतु कोई नीतिगत निर्देश/आदेश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) बिना सूचना अनुपस्थित कर्मियों को कार्यग्रहण कराने हेतु कितने दिवस तक अनुपस्थित रहने पर कार्यग्रहण कराने हेतु कौन-कौन सक्षम अधिकारी हैं? विवरण मय आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(3) बिना सूचना अनुपस्थित कार्मिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही अमल में लाई जाती है? इसके लिए सरकार द्वारा जारी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.08.2006 की प्रति परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग में लम्बे समय तक बिना सूचना अनुपस्थित चल रहे कार्मिकों को कार्यग्रहण करने हेतु अलग से कोई नीतिगत निर्देश/ आदेश जारी नहीं किये गये हैं।

(2) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अस्थाई/परिवीक्षाधीन कर्मचारियों के मामले में 90 दिवस तक स्थायी कर्मचारियों के मामले में 120 दिन से अधिक स्वैच्छा से अनुपस्थिति के मामले में निदेशालय को अभिशंसा सहित भिजवाने तथा उससे कम अवधि के मामले अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा स्वैच्छा से निस्तारित करने के निर्देश दिये हुए हैं। निर्देश परिशिष्ट 'क' में सम्मिलित है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग में राजस्थान सेवा नियम 1951 उप नियम 86(4) के तहत निरन्तर 5 वर्ष से अधिक निरनतर अवकाश या बिना अवकाश के तो सेवा से त्याग पत्र दिया हुआ माना जायेगा, इस नियम को लागू करने से पूर्व कर्मचारी को उचित अवसर दिया जाना चाकिए कि अनुपस्थित रहने का कारण स्पष्ट करें। इस हेतु कार्यालयाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, नियंत्रण अधिकारी एवं राज्य सरकार सक्षम है। नियमों की आंशिक छायाप्रति परिशिष्ट-ख संलग्न है।

(3) स्वैच्छा से अनुपस्थिति कार्मिकों के विरुद्ध राजस्थान सेवा नियमों के नियम-86 के अन्तर्गत कार्यवाही का प्रावधान है।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश परिशिष्ट 'क' एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के निर्देशों का परिशिष्ट 'ख' संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

डेगाना विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

359. श्री अजय सिंह (डेगाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री अजय सिंह)

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र डेगाना की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डोडियाना, सिरासना, चौलियास, कितलसर एवं टेहला को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि इस वर्ष विधान सभा क्षेत्र डेगाना की राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय चांदरूण, साजू, डेगाना गांव को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है?

(3) क्या इस वर्ष विधान सभा क्षेत्र डेगाना की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय निम्बोला कलां, बवरला, खिवताना एवं पोलास को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के तहत विद्यालय क्रमोन्नति की स्वीकृति प्रदान करती है।

वित्तीय वर्ष 2009-10 में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्तर पर क्रमोन्नत करने का प्रावधन नहीं रखा गया है।

(2) वित्तीय वर्ष 2009-10 में 1900 राउप्रावि को रामावि में क्रमोन्नत कर का लक्ष्य रख गया है। विद्यालय क्रमोन्नति के प्रस्ताव पर तथा विधान सभा क्षेत्र डेगाना के बालिका विद्यालयों के प्रस्ताव प्राप्त होने पर अन्य प्रस्तावें के साथ निर्धारित मानदण्डों के तहत गुणावगुण के आधार पर समग्र स्थिति का आंकलन किये जाने के पश्चात ही स्वीकृति प्रदान किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) वित्तीय वर्ष 2009-10 में 1900 राउप्रावि को रामावि में क्रमोन्नत करने का लक्ष्य रखा गया है। विद्यालय क्रमोन्नति के प्रस्ताव पर तथा विधान सभा क्षेत्र डेगाना के बालिका विद्यालयों के प्रस्ताव प्राप्त होने पर अन्य प्रस्तावों के साथ निर्धारित मानदण्डों के तहत गुणावगुण के आधार पर समग्र स्थिति का आंकलन किये जाने के पश्चात ही स्वीकृति प्रदान किया जाना सम्भव हो सकेगा।

तहसील रावतसर-नोहर क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

360. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील रावतसर के गांव सेलासरी में अध्यापकों के स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने अध्यापक कार्यरत हैं और कितने पद रिक्त हैं तथा रिक्त पदों को कब तक भर दिया जावेगा?

(2) उक्त तहसील के गांव न्योलखी में कब तक उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलना प्रस्तावित है?

(3) तहसील नोहर-रावतसर में कितने ऐसे विद्यालय हैं जहां मात्र एक ही अध्यापक कार्यरत है तथा अब समानीकरण योजना के तहत अध्यापकों की नियुक्ति कब तक कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) रावतसर तहसील के गांव चैलासरी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 01 पद द्वितीय श्रेणी अध्यापक तथा 4 पद तृतीय श्रेणी अध्यापक के स्वीकृत हैं, इन स्वीकृत पदों के विरुद्ध 01 तृतीय श्रेणी अध्यापक कार्यरत है, तथा 01 पद द्वितीय श्रेणी का तथा 03 पद तृतीय श्रेणी के रिक्त हैं।

द्वितीय श्रेणी का रिक्त पद विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा एवं तृतीय श्रेणी के रिक्त पद राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर भरे जा सकेंगे।

(2) राज्य सरकार उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों एवं निर्धारित मानदण्डों के तहत विद्यालय क्रमोन्नति हेतु प्राप्त प्रस्तावों को गुणावगुण के आधार पर समग्र विचार किये जाने के पश्चात् विद्यालय क्रमोन्नति की स्वीकृति प्रदान करती है। वर्ष 2009-10 में राजकीय माध्यमिक विद्यालय को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने हेतु वित्तीय प्रावधान नहीं रखा गया है।

(3) नोहर रावतसर तहसील में 46 राजकीय विद्यालय ऐसे हैं जिसमें एक ही अध्यापक कार्यरत है। समानीकरण योजना प्रक्रियाधीन है।

राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय जोरावर नगर (श्रीमाधोपुर) में अन्य विद्यालयों से सचिव/अध्यक्ष का मनोनयन

361. श्री रोहिताश कुमार (बानसूर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रोहिताश कुमार)

(1) क्या यह सही है कि राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, ग्राम पंचायत जोरावर नगर, श्री माधोपुर, जिला सीकर में पर्याप्त अध्यापक होते हुए एस.डी.एम.सी. समिति में अन्य विद्यालय से उक्त समिति का सचिव/अध्यक्ष मनोनीत किया गया है? यदि हां, तो नियम विरुद्ध समिति का सचिव/अध्यक्ष मनोनीत करने के लिए कौन जिम्मेदार हैं? क्या सरकार नियम विरुद्ध उक्त समिति का सचिव/अध्यक्ष मनोनीत करने के लिए संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, ग्राम पंचायत जोरावर नगर, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर की एस.डी.एम.सी. समिति के अध्यक्ष/सचिव के पद पर वर्ष 2005 से कौन-कौन रहा एवं उक्त समिति के अध्यक्ष व सचिव के पद पर नियुक्त यह व्यक्ति पूर्व में कहां-कहां पर इसी प्रकार की समिति के अध्यक्ष व सचिव के पद पर नियुक्त किये गये तथा इनके इस पद के कार्यकालों में कराये गये कार्यों की अलग-अलग सूची, उपयोगिता प्रमाण पत्र का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय जोरावर नगर की एसडीएमसी की अध्यक्ष श्रीमती विमला नेहरा को शिक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, दुला की ढाणी में आगामी आदेशों तक लगाये जाने तथा एसडीएमसी सचिव श्रीमती संध्या फौजदार का स्थानान्तरण राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय भारणी में हो जाने के कारण एवं एक वर्ष तक एसडीएमसी की बैठक नहीं होने के कारण उक्त विद्यालय की समिति का पुनर्गठन किया गया। विद्यालय में अध्यापकों की कमी होने के कारण उसी विद्यालय परिसर में संचालित राजकीय प्राथमिक विद्यालय जोरावर नगर के अध्यापक को सचिव मनोनीत किया गया।

(2) राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय जोरावर नगर श्रीमाधोपुर में वर्ष 2005-06 से श्रीमती मोहिनी ढाका कार्यवाहक प्रधानाध्यापिक को अध्यक्ष तथा श्री शीशराम अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जोरावर नगर सचिव पद पर रहे हैं। श्री शीशराम अध्यापक को इससे पूर्व किसी भी एसडीएमसी अध्यक्ष/सचिव मनोनीत नहीं किया गया है, तथा ना ही उनके द्वारा कोई निर्माण कार्य करवाया गया है।

सीकर जिले में विकलांगों को स्वरोजगार हेतु ऋण

362. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में विकलांगों के उत्थान हेतु वर्तमान में केन्द्र/राज्य सरकार की क्या–क्या योजनायें चल रही हैं?

(2) गत पांच वर्षों में सीकर जिले में कितने-कितने विकलांगों को किस-किस योजनाओं में लाभान्वित किया गया? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विकलांग व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु ऋण दिया जाता है? यदि हां, तो सीकर जिले में गत पांच वर्षों में किन-किन विकलांगों को किस-किस कार्य हेतु कितना-कितना ऋण दिया गया तथा वर्तमान में ऋण हेतु आवेदन लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में विकलांगों के उत्थान हेतु केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में संचालित योजनाओं की सूची परिशिष्ट 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सीकर जिले में योजनावार गत पांच वर्षों में लाभान्वित किये गये नि:शक्तजनों की तहसीलवार सूची परिशिष्ट 'ब' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। नि:शक्तजनों को स्वरोजगार हेतु बैंकों/निगमों द्वारा अपनी योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृत किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा विस्वास योजना के अन्तर्गत अनुदान स्वीकृत किया जाता है। सीकर जिले में गत पांच वर्षों में 102 नि:शक्तजनों को उपरोक्तानुसार लाभान्वित किया गया है। लाभान्वितों की सूची परिशिष्ट 'स' तथा वर्तमान में ऋण हेतु लम्बित आवेदनों का विवरण परिशिष्ट 'द' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

किशनगढ़बास विधान सभा क्षेत्र में वृद्धावस्था पेंशन की बकाया राशि

363. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़वास) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रामहेत सिंह)

(1) जिला अलवर में विधान सभा क्षेत्रानुसार वर्ष 2008-09 में कितने व्यक्तियों को वृद्घावस्था पेंशन स्वीकृत की गई? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में कुछ लोगों को वृद्घावस्था पेंशन स्वीकृत करने के उपरान्त भी पेंशन राशि का भुगतान कुछ माह करने के बाद बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? ऐसे व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उपकोष कार्यालय किशगनढबास (अलवर) से कितने व्यक्ति वृद्घावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तथा माह जून 2009 तक पेंशनधारियों की कितनी पेंशन राशि भुगतान किया जाना शेष है? पेंशनधारियों की सूची एवं बकाया राशियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला अलवर में विधान सभा क्षेत्रानुसार वर्ष 2008-09 में 1436 व्यक्तियों को वृद्घावस्था पेंशन स्वीकृत की गई। संख्या सूची परिशिष्ट-1 सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। वर्ष 2008-09 में वृद्घावस्था पेंशन स्वीकृत करने के उपरान्त पेंशन बन्द नहीं की गई।

(3) उपकोष कार्यालय किशनगढ़बास (अलवर) में 543 व्यक्ति वृद्घावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तथा माह जून, 2009 तक पेंशनधारियों की पेंशन राशि का भुगतान किया जाना शेष नहीं है। अत: बकाया राशि की सूचना शून्य है। पेंशनधारियों की सूची परिशिष्ट-2 सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

सेवल मंदिर गऊशाला (नगर) को सहायता राशि

364. श्रीमती अनीता सिंह (नगर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र नगर में सेवल मंदिर (सीकरी) पर स्थित गऊ शाला में गायों की संख्या कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त गायों को सुविधा मुहैया कराई जाती है? यदि हां, तो किस स्तर पर और कितनी व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नगर में सेवल मंदिर (सीकरी) स्थित गऊ शाला में वर्तमान में 115 गायें हैं।

(2) जी हां। सेवल मंदिर में एक उपकेन्द्र स्थापित है। उपकेन्द्र के माध्यम से पशु चिकित्सा की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रभारी पशु चिकित्सक, सीकरी द्वारा सप्ताह में एक दिन एवं आवश्यकतानुसार चिकित्सा सुविधा तथा तकनीकी मार्गदर्शन दिया जा रहा है।

निवाई विधान सभा क्षेत्र के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

365. श्री कमल बैरवा (निवाई) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में कहां-कहां पशु चिकित्सालय हैं तथा इनमें कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त राजकीय पशु चिकित्सालयों में पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कितने पद कहां-कहां तथा इन्हें कब तक भर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई के पशु चिकित्सालयों का वांछित विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। राजकीय पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर दर्शाया गया है।

जब-जब रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति प्राप्त होती है, रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाता है।

परिशिष्ट–अ

निवाई विधान सभा क्षेत्र के पशु चिकित्सालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	नाम पशु चिकित्सालय	वरि. प.चि. अधिकारी		प.चि. अधिकारी		पशु चिकित्सा सहायक		पशुधन सहायक		पशुधन परिचर		जलधारी		सफाईकर्ता	
		स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त
1	निवाई	1	-	-	-	1	-	2	-	4	1	-	-	1	-
2	सिरस	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1
3	झिलाय	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	1	-
4	वनस्थली	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-
5	दतवास	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	1
6	राहोली	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	-
7	पीपलू	-	-	1	-	1	-	1	1	2	1	-	-	1	-
8	रानोली	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	1	1	-	-
9	कठमाना	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-
10	नानेर	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	1	-
11	अतालिकपुरा	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	1	-

डीडवाना विधान सभा क्षेत्र के पशु चिकित्सालय

366. श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के कौन-कौन से ग्राम ढाणी व वार्ड में दुधारू एवं पालतू पशुओं की संख्या कितनी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि यहां के दुधारू एवं पालतू पशुओं के इलाज-उपचार हेतु पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में उपलब्ध पशु चिकित्सालयों में पर्याप्त सुविधाएं, औषधियां, चिकित्सीय व अन्य स्टाफ की कमी बनी हुई है? यदि हां, तो कब से क्या-क्या कमी है? चिकित्सालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार पशु इलाज-उपचार से वंचित दूरस्थ क्षेत्रों में नवीन पशु चिकित्सालय खोलने, पर्याप्त चिकित्सा, औषधि, सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) वर्तमान में पशुगणना वर्ष 2007 की तहसीलवार एवं जिला स्तरीय संख्या ही उपलब्ध है। अतः ग्रामवार संख्या उपलब्ध नहीं होने के कारण विधान सभा क्षेत्र की जानकारी नहीं दी जा सकती।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) वर्तमान में नवीन पशु चिकित्सालय खोले जाने का विचार नहीं है। प्रत्येक गांव को नजदीक की पशु चिकित्सा संस्था के माध्यम से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो रही है।

रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति प्राप्त होने पर प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकतानुसार रिक्त पदों को भरा जाता है।

फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों को देय प्रोत्साहन राशि

367. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जयपुर में कितनी दूध डेयरियां चलाई जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री निर्मल कुमावत)

(2) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में उक्त प्रकार की कितनी दूध डेयरियां कहां-कहां चलाई जा रही हैं? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त दूध डेयरियों पर सरकार द्वारा दूध उत्पादकों को कितनी राशि का भुगतान किस हिसाब से किया जा रहा है तथा दूध उत्पादकों को सरकार द्वारा क्या सुविधाएं उपलब्ध करवायी जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि दूध उत्पादकों को प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है? यदि हां, तो किस योजना में व कितनी? क्या प्रावधानानुसार प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. जयपुर से सम्बद्ध 1645 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां हैं। विवरण प्रदर्श-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में जयपुर जिला दुग्ध संघ के तहत 172 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां हैं। ग्रामवार विवरण प्रदर्श-2 पर संलग्न है।

(3) वर्तमान में जयपुर दुग्ध संघ द्वारा समबद्ध जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से दुग्ध उत्पादक सदस्यों को मिश्रित दूध हेतु रुपये 320/- प्रति किलोग्राम फैट एवं गाय के दूध हेतु रुपये 320/- प्रति किलोग्राम फैट+रुपये 1.50 प्रति किलोग्राम (स्थिर एस.एन.एफ. निर्धारित) की दर से भुगतान किया जा रहा है। दुग्ध भुगतान का विवरण प्रदर्श-3 पर संलग्न है। जयपुर दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध उत्पादकों को अनेक सुविधाएं यथा पशु स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं, कृत्रिम गर्भाधान सुविधाएं, सन्तुलित पशु आहार, पूरक पशु आहार, दुग्ध उत्पादक सदस्यों, उनके परिजनों तथा पशुओं का बीमा इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

(4) समय-समय पर समिति अपने लाभार्जन क्षमतानुरूप, व्यापार में वृद्धि हेतु प्रोत्साहन राशि दिये जाने हेतु निर्णय लेने को सक्षम है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु 100 दिन की कार्य योजना

368. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा 100 दिन की कार्य योजना बनाकर कार्य किया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त अवधि में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा कौन-कौनसी नई कार्य योजनाएं हाथ में ली गई तथा अनुसूचित क्षेत्र के विकास के लिए क्या-क्या निर्णय लिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। सरकार द्वारा 100 दिन की कार्य योजना बनाकर कार्य किया जा रहा है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा कार्य योजना में निम्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं :-

क्र.सं.	बिन्दु संख्या	कार्यक्रम
1	24.01	वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत दिसम्बर 08 तक प्राप्त दावों के निस्तारण की प्रभावी कार्यवाही की गई।
2	24.02	अनुसूचित जनजाति के 1026 बेरोजगार युवक/युवतियों को स्वरोजगार के लिए उपयोजना क्षेत्र एवं गैर उपयोजना क्षेत्र में नई ऋण योजना प्रारम्भ कर लाभान्वित किया गया।
3	24.03	46 बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया।
4	24.04	महाविद्यालयों में अध्ययनरत 3510 छात्राओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गयी।
5	24.05	5933 जनजाति छात्र-छात्राओं का मकान किराया पुनर्भरण किया गया।
6	24.06	10वीं, 12वीं एवं स्नातक परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास करने पर 1504 जनजाति छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन सहायता दी गयी।
7	24.07	12057 सहरिया विद्यार्थियों (कक्षा 1 से 5) को मुक्त पौशाक एवं 9892 छात्र को स्टेशनरी की राशि वितरित की गयी। इसी तरह 2008 सहरिया विद्यार्थियों को (कक्षा 6 से 12) को मुफ्त स्टेशनरी व पौशाक की राशि वितरित की गयी।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

क्र.सं.	बिन्दु संख्या	कार्यक्रम
8	24.08	सहरिया क्षेत्र में 39 मां-बाडी भवनों का निर्माण प्रारम्भ किया गया।
9	24.09	सहरिया क्षेत्र में 36 नि:शुल्क सामुदायिक डीजल पम्प वितरण किये गये।
10	24.10	100 व्यक्तियों को मशरूम उत्पादन के लिये 1.25 लाख रुपये एवं 150 व्यक्तियों को रेशम कीट पालन हेतु 3.03 लाख रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई।
11	24.11	पशु चिकित्सा के 99 शिविर लगाये गये।

बाली विधान सभा क्षेत्र के चयनित माडा/टाडा क्षेत्रों के उत्थान हेतु कार्य योजना

369. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली के कौन-कौन से गांव, ढाणी, वार्ड एवं कालोनी माडा/टाडा चयनित हैं और उक्त क्षेत्र में कौनसी जनजाति बसती है? गांव, ढाणी एवं वार्डवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त माडा/टाडा चयनित गांव-ढाणियों का शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्तर, रोजगार, व्यापार-व्यवसाय, सरकारी नौकरियों में भागीदारी का प्रतिशत नगण्य है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र सड़क, नाली, पेयजल, विद्युत, महिला एवं बाल विकास, चिकित्सा सेवाओं से भी वंचित है? यदि हां, तो कब से?

(4) क्या सरकार प्रश्न के बिन्दु संख्या 2 से 3 में वर्णित प्रत्येक समस्या एवं कमी के समाधान का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, बाली क्षेत्र में कुल 21 राजस्व ग्राम माडा योजना के तहत चयनित हैं तथा इन ग्राम में निवास करने वाली जन जातियों की जनसंख्या का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

(2) जी नहीं। माडा लघुखण्ड में निवासरत जनजाति परिवारों का शैक्षणिक आर्थिक एवं सामाजिक स्तर लगभग सामान्य है। इस लघुखण्ड के जनजाति परिवार कृषि पर आधारित है, इनका साक्षरता प्रतिशत 28.63 है। जिसमें लगभग 20 प्रतिशत व्यक्ति रोजगार, व्यवसाय, सरकारी नौकरियों में भागीदार हैं।

(3) जी नहीं। अधिकांश गांव सड़क से जुड़े हुए हैं, पेयजल हेतु हैण्ड पम्प सुविधा उपलब्ध है, अधिकांश गांवों में विद्युत, चिकित्सा एवं महिला एवं बाल विकास की सुविधाएं उपलब्ध हैं इन सभी सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु प्रयास जारी हैं।

(4) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं का लाभ इस लघुखण्ड के जनजाति परिवारों को भी मिल रहा है। छात्रों की शिक्षा हेतु भीमाणा एवं दानवरली में कुल 2 आश्रम छात्रावास संचालित हैं जिसमें कुल 200 जनजाति छात्र लाभान्वित हो रहे हैं।

इस वित्तीय वर्ष में पाली जिले में विशेष केन्द्रीय सहायता राशि 81.91 लाख, महाराष्ट्र पैटर्न राशि 27.91 लाख, संविधान की धारा 275(1) राशि 38.00 लाख कुल 147.82 लाख राशि का प्रावधान रखा गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

स्थगित प्रश्न

(बुधवार, दिनांक 15 जुलाई, 2009)

गौशाला मैदान, जोधपुर में खेल सुविधा

106. श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जोधपुर स्थित गौशाला मैदान में किन-किन खेलों को खेलने की सुविधा है? क्या यह सही है कि इस मैदान पर इन्डोर खेल भी खेले जा सकते हैं? यदि हां, तो उसके लिये अलग से क्या व्यवस्था है? यदि नहीं, तो इसके लिये क्या योजना प्रस्तावित है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त गौशाला मैदान में खेलने वाले खिलाड़ियों से शुल्क वसूल किया जाता है? यदि हां, तो किस खेल के लिये कितनी राशि?

(3) क्या यह सही है कि उक्त खेलों को खिलाने के लिये कोई कोच उपलब्ध रहता है? यदि नहीं, तो किन-किन खेलों के लिये कोच नहीं है? क्या भविष्य में इस हेतु सरकार की कोई योजना विचाराधीन है?

उत्तर

(1) गौशाला मैदान शिक्षा विभाग के अधीन है। इसमें फुटबाल, वालीबाल, बास्केटबाल, हैण्डबाल, तैराकी, जिम, एथेलेटिक्स ट्रेक, स्केटिंग रिंग, सिन्थेटिक टेनिस कोर्ट की सुविधा है। गौशाला परिसर में इन्डोर गेम भी खेले जा सकते हैं। इसमें टेबिल टेनिस, बैडमिन्टन, जिमनास्टिक, कुश्ती जैसे इन्डोर गेम की व्यवस्था है। ऊपरी मंजिल पर दो स्क्वेश कोर्ट बने हुए हैं।

(2) गौशाला मैदान में खिलाड़ियों से शुल्क के रूप में वसूल की जाने वाली राशि का विवरण इस प्रकार से है :-

तैराकी- 12 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए

250/- रु प्रतिमाह, 12 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए

350/- रु. प्रतिमाह तथा

18 वर्ष से ऊपर 500/- रु. प्रतिमाह

टेनिस- 300 रु. प्रतिमाह

जिम- 200 रु. प्रतिमाह

अन्य खेलों में जैसे एथेलेटिक्स, फुटबाल, बास्केटबाल, हैण्डबॉल सहित 18 वर्ष से कम उम्र के लिए नि:शुल्क, 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए रुपये 300/- प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष का शुल्क लिया जाता है।

टेनिस व तैराकी को छोड़कर शिक्षा विभाग से सम्बन्धित स्कूलों के नियमित अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। शुल्क लेने का निर्णय शाला क्रीड़ा संगम, गौशाला विकास समिति द्वारा तय किया जाता है।

(3) जी नहीं। अपितु खेल विशेष में दक्ष शारीरिक शिक्षकों को पदस्थापित किया हुआ है जो कि बालक/बालिकाओं को अलग-अलग खेलों का प्रशिक्षण प्रदान करते है।

एथेलेटिक्स, फुटबाल, तैराकी, टेनिस, बास्केटबाल, हैण्डबाल, वालीबाल के लिए कोच नहीं है।

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(बुधवार, दिनांक 15 जुलाई, 2009)

करौली जिले के छात्रों को छात्रवृत्ति

118. श्री रमेश चन्द मीणा (सपोटरा) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रमेश चन्द मीणा)

करौली जिले में गत पांच वर्षों में सरकार द्वारा कितनी-कितनी छात्रवृत्ति किस योजनान्तर्गत किन-किन विद्यालयों/महाविद्यालयों में वितरित की गई? योजनावार राशि के वितरण का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विभाग द्वारा करौली जिले में गत पांच वर्षों में वितरित छात्रवृत्ति का विवरण विद्यालय/महाविद्यालयवार परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-1

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-258 के निर्देश की प्रति)

कार्यालय जिला कलक्टर (रसद) श्रीगंगानगर

क्रमांक :- दिनांक 1-6-2009

प्रेषिति :-

जिला कलक्टर,

बीकानेर

विषय : खाजूवाला क्षेत्र के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं को 365 हैड मण्डी में भारतीय खाद्य निगम को अवैध बेचान के संबंध में।

महोदया,

निम्न हस्ताक्षरकर्ता को समाचार पत्रों एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के माध्यम से ज्ञात हुआ हैं कि आपके क्षेत्राधिकार में खाजूवाला मण्डी से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूं कतिपय डीलरों द्वारा उठाकर श्रीगंगानगर की सीमावर्ती मण्डी 365 हैड के मैसर्स स्वामी ब्रदर्स पर विक्रय किया गया है। इस प्रकरण की जांच करवाये जाने पर कुछ लोगों ने बीकानेर से ट्रकों में गेहूं आना एवं 365 हैड मण्डी में मैसर्स स्वामी ब्रदर्स को विक्रय किया जाना बताया है। प्रवर्तन निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार से करवाई गई जांच इस पत्र के संलग्न भिजवाई जा रही है।

अत: प्रकरण आपके ध्यान में लाया जाकर निवेदन है कि आपके अधीनस्थ खाजूवाला क्षेत्र में जारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूं जिन डीलर्स को दिया गया है उनकी सघन जांच करवाकर यदि गेहूं के दुरुपयोग का मामला पाया जावे तो आवश्यक कार्यवाही करने का श्रम करें।

संलग्न पृष्ठ 10

जिला कलक्टर

श्रीगंगानगर

दिनांक :-

परिशिष्ट-2

कार्यालय जिला कलक्टर (रसद) बीकानेर

क्रमांक : सीबी/रसद/सत/2009/2166   दिनांक 5/6/2009

उपखण्ड अधिकारी

खाजूवाला

विषय :- खाजूवाला क्षेत्र के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं को 365 हैड मण्डी में भारतीय खाद्य निगम को अवैध बेचान के संबंध में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कृपया जिला कलक्टर (रसद) श्रीगंगागनर से प्राप्त पत्र क्रमांक 5074 दिनांक 1-6-2009 के द्वारा अवगत करवाया है कि खाजूवाला मण्डी से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूं कतिपय डीलरों द्वारा उठाकर श्रीगंगानगर की सीमावर्ती मण्डी 365 हैड के मैसर्स स्वामी बद्र्स पर विक्रय किया गया जाना बताया है।

इस प्रकरण में जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा जांच कराये जाने पर कुछ लोगों पूछताछ में अवगत करवाया है कि बीकानेर से ट्रकों में गेहूं आना एवं 365 हैड मण्डी के मैसर्स स्वामी ब्रदर्स का विक्रय किया जाना बताया है। (जांच रिपोर्ट की फोटो प्रति संलग्न है)। जिसके फलस्वरूप खाजूवाला क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूं जिन डीलर्स को दिया गया है, उसकी संघन जांच कर जांच रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

जिला कलक्टर (रसद)

बीकानेर

परिशिष्ट-2

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख के प्रस्ताव जो पढ़े हुए माने गये

तकनीकी शिक्षा निदेशालय द्वारा छात्रों से ऑप्शन फार्म के साथ ली जाने वाली राशि लौटाये जाने बाबत

महोदय,

मैं माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री का ध्यान अभियांत्रिकी महाविद्यालय के वर्ष 2006 के छात्रों की ऑप्शन फार्म के साथ जमा 10,000 रु. की राशि को लौटाये जाने की ओर आकर्षित करना चाहती हूं।

मान्यवर, वर्ष 2006 में राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार सीधी भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत छात्रों से ऑप्शन फार्म के साथ 10,000 रु. प्रति छात्र से जमा किये गये थे।

राजकीय अभियांत्रिक महाविद्यालय, अजमेर द्वारा भी समन्वयक आरपीईटी ईएपी 2006 प्रावधिक शिक्षा निदेशालय जोधपुर को पत्र प्रेषित कर उक्त फीस छात्रों को लौटाये जाने की मांग की गई। जिसके जवाब में उपशासन सचिव तकनीकी शिक्षा ने लिखा है इन छात्रों ने ऑप्शन फार्म द्वारा आबंटित कालेज में अपनी उपस्थिति नहीं दी। इसलिए इनकी जमा राशि जब्त की जाती है। जबकि माननीय मंत्री महोदय ऐसा नहीं है। मैं एक छात्र के उदाहरण द्वारा यह बात स्पष्ट करना चाहती हूं। छात्र जितिन कुण्डारा का प्रथम काउसलिंग में जयपुर इंजिनियरिंग कालेज कूकस आबंटित हुआ जिसका रोल नं. 39263/2006 था। जितिन द्वारा वहां उपस्थित होकर कॉलेज में प्रवेश लिया गया व प्रवेश फीस 34000 स्लिप संख्या जेईसी/बीई (प्रथम वर्ष/109) दिनांक 29.07.2006 को रसीद सं. 6110 द्वारा जमा करवा कर ब्रांच कम्प्यूटर इंजीनियर ने नियमित कक्षाओं में अपनी उपस्थिति दी।

दूसरी काउंसलिंग में जितिन को पूर्णिमा कालेज आफ इंजिनियरिंग में रोल नं. 39263/2006 द्वारा अगस्त 2006 में कालेज आबंटित किया गया। जहां उसने प्रवेश लेकर नियमित कक्षाओं में उपस्थिति दी।

तृतीय काउंसलिंग में जितिन को पत्र क्रमांक 06/765 दिनांक 4.1.2007 को अजमेर इंजिनियरिंग कालेज आबंटित हुआ। राजस्थान सरकार की तकनीकी यूनिवर्सिटी के दिशा-निर्देशानुसार जितिन में राजकीय इंजिनियरिंग कालेज अजमेर में प्रवेश पा लिया।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि छात्रों को आबंटित सभी कालेजों में उपस्थिति देकर टेक्नीकल यूनिवर्सिटी के नियमों का पालन किया गया है अत: छात्रों की मांग को ध्यान में रखते हुए छात्रों की मांग अनुसार उनके आप्शन फार्म के साथ जमा 1000 रु. की राशि लौटाने का श्रम करें।

अनिता भदेल

(अजमेर दक्षिण)

विराटनगर विधान सभा क्षेत्र की पेयजल योजनाओं को क्रियान्वित न करने से उत्पन्न स्थिति

मान्यवर,

निवेदन है कि विराटनगर विधान सभा क्षेत्र के भैरूपुरा ककूडेला, बरवाडा, नीमली, पणदो, जयसिंहपुरा एवं विराटनगर वार्ड 14, 15, 16 में स्वीकृत पेयजल योजनाओं को स्वीकृति मिले 10 माह के लगभग हो गया है ऐसे गांव हैं जो अनुसूचित एवं पिछड़ी जातियों के बाहुल्य वाले हैं तथा जहां पर शून्य पानी की उपलब्धता तथा भूमिगत चट्टानों का इलाका होने के कारण हैण्ड पम्प भी पूर्णतया असफल है इन सभी स्थानों के लिए स्थायी पेयजल व्यवस्था आवश्यक है।

मा. अध्यक्षजी, सरकार से इन परियोजनाओं के लिए कई बार टेण्डर प्रक्रिया चालू की गयी तथा बार-बार निरस्त किया गया है मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि सरकार ने कार्य चालू करने के स्थान पर राजनैतिक द्वेषता अपनाते हुए निरस्त कर दी गयी है।

मा. अध्यक्षजी, जनता आन्दोलित है तथा इन गांवों में कभी भी कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है।

अत: समय रहते हुए सरकार गरीब एवं ग्रामीण जनता के लिए अतिशीघ्र पेयजल व्यवस्था करवाये जाने का आग्रह करता हूं।

डा. फूलचन्द भिण्डा

(विराटनगर)

ग्रामदानी गांवों में कोयला माफिया द्वारा जंगलों की कटाई

महोदय,

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव की सूचना प्रस्तुत कर निवेदन है

कि राजस्थान सरकार ने हरित राजस्थान के माध्यम से राज्य को हराभरा करने का अभियान छेड़ा है। लेकिन सिरोही जिले में इस अभियान के शुरू होने की घोषणा से पहले और उसके बाद कई स्थानों पर जैसे अनादरा के समीपवर्ती ग्रामदानी ग्राम हाथल में व मण्डार के निकटवर्ती ग्राम मेथीपुरा बडची पादर, ढीबडी, डरेली खेड़ा व आमालिया सहित जिला सिरोही की पांचों पंचायत समितियों में पेड़ और बीड़ कोयला बनाने वाले माफिया के लालच की भेंट चढ़ गई हैं। आलम यह है कि कहीं पर ग्रामदानी गांव होने का बहाना बनाकर अधिकारी अपनी इच्छा से ही कोयला माफिया को माफी दे रहे हैं तो कहीं पर ग्राम पंचायतों की अनदेखी से पेड़ों पर आरी चल रही है। कोयला बनाने वाले माफिया इस तरह के आधुनिक औजार इस्तेमाल कर रहे हैं कि रातों रात पेड काटकर कोयला बना लिया जाता है।

अतः हरित राजस्थान अभियान की सफलता हेतु कोयले की टीपी की छूट दिया जाना तत्काल बन्द किया जावे ताकि पंचायत व रेवेन्यू क्षेत्र में कोयला बनाने की आड़ में वन क्षेत्र के पेड़ों की कटाई न हो सके, नियमों में संशोधन कर ग्रामदानी गांवों से पेड़ों की कटाई के स्वतंत्र निर्णय के अधिकार को वापस लिया जावे, कोयला माफिया एवं इससे मिलीभगत करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जावे, सिरोही वन क्षेत्र के अधिकारियों, कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर इन्हें वन सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराये जावें।

जगसीराम कोली

(रेवदर)

डी.एन.पी. क्षेत्र के गांवों को सरकारी योजना का लाभ दिलाने बाबत

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क स्थापित है उसके बारे में मैं निवेदन है कि सरकार द्वारा जैसलमेर में डी एन पी क्षेत्र प्रभावित गांवों की समस्याओं के निवारण एवं डी एन पी क्षेत्र की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति का गठन किन-किन उद्देश्यों को लेकर हुआ था तथा इसमें कौन-कौन सदस्य हैं। मैं इसके साथ यह भी जानकारी चाहता हूं कि इस समिति ने अब तक क्या-क्या समीक्षा के कार्यों की रिपोर्ट सरकार को दी है।

मुझे जानकारी मिली है कि राज्य सरकार द्वारा डी एन पी के बारे में

कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है और यदि वास्तव में यह समीक्षा का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है तो क्या उसका प्रति उत्तर राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है। साथ ही यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस उच्च स्तरीय समिति का कोई औचित्य भी है यदि नहीं तो सरकार स्पष्ट करे ताकि आम जनता में भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो सके।

जैसलमेर जिले का एक चौथाई क्षेत्र डी एन पी क्षेत्र में आता है वहां पर सड़क पानी व बिजली की व्यवस्था नहीं के बराबर है। कोई भी सरकारी योजना का लाभ उस क्षेत्र के गांव वालों को नहीं मिल रहा है। डी एन पी के विषय में विधान सभा में पूर्व में भी कई बार चर्चा हो चुकी है परन्तु उन गांवों को मूलभुत सुविधायें नहीं उपलब्ध करवाई गई।

अत: मेरा आपसे निवेदन है कि उक्त डी एन पी क्षेत्र के गांवों को सरकारी योजना का लाभ दिलवाकर सुविधायें दिलवाने की व्यवस्था करवायें।

इसी आशा के साथ,

छोटूसिंह भाटी

(जैसलमेर)

सांगोद में उपनिदेशक कृषि का कार्यालय खोले जाने की मांग

महोदयजी,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी, कोटा में काफी वर्षों पूर्व राज्य सरकार द्वारा कृषि विभाग का उपनिदेशक कार्यालय स्थापित किया गया था। जिसके माध्यम से क्षेत्र के किसानों को समय-समय पर कृषि से संबंधित जानकारिया उपलब्ध होती रही हैं। यहां पर विश्वविख्यात धनिया मण्डी स्थापित है। जिससे सम्पूर्ण भारतवर्ष से किसानों व व्यापारियों का आना जाना लगा रहता है। जिसके कारण इस कार्यालय का लाभ सभी किसानों को मिलता रहा है।

वर्तमान में क्षेत्र में शीघ्र ही पूर्ण होने वाली ताकनी बांध सिंचाई परियोजना के कारण पूर्व में इस क्षेत्र में स्थित डार्क जोन खतम होने की शीघ्र सम्भावना है। जिससे इस क्षेत्र की पैदावार का रकबा बढ़ेगा, अभी-अभी राज्य सरकार द्वारा इस कार्यालय का स्थानांतरण रामगंजमण्डी, कोटा से सांगोद, कोटा कर दिया गया है। जो क्षेत्र के हजारों किसानों के साथ कुठाराघात है एवं क्षेत्र के किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

इस प्रकरण में मेरा यह सुझाव है कि अगर सांगोद में उक्त कार्यालय खोला जाना आवश्यक है तो पूर्व राज्य सरकार के निर्णयों जैसे उपखण्ड कार्यालय पुलिस उप-अधीक्षक कार्यालय की भांति प्रथक से उपनिदेशक कृषि कार्यालय खोला जाना उचित होगा।

सधन्यवाद

चन्द्रकांता मेघवाल

(रामगंजमण्डी)

तीन माध्यमिक विद्यालयों में परीक्षा केन्द्र स्थापित करने हेतु

महोदय,

निवेदन है कि कठूमर विधान सभा क्षेत्र की राज. माध्यमिक विद्यालय खुडियाना व नीमैडा तथा रा.उ.मा.वि. ईटेडा जिला अलवर में परीक्षा केन्द्र नहीं है जिसके कारण छात्राओं को दूरस्त स्थानों पर परीक्षा देने जाना पड़ता है। जिससे युवा लड़कियों को बहुत परेशानी होती है तथा माता-पिताओं को टेन्सन रहता है। तथा दूर जाकर लड़कियां ठीक प्रकार से तैयारी नहीं कर पातीं। इन तीनों विद्यालयों में पर्याप्त भवन हैं तथा बडे-बडे कस्बे हैं। परीक्षा केन्द्र के चक्कर में बहुत से छात्र इन विद्यालयों में न पढ़कर छात्र-छात्राएं अन्यत्र प्रवेश ले लेते हैं जिसके कारण यहां छात्र संख्या भी कम हो जाती है। इस सम्बन्ध में यहां के प्रधानाध्यापकों ने अजमेर बोर्ड को भी पत्र लिखकर निवेदन कर चुके हैं।

अत: आपसे निवेदन है कि इसी सत्र में इन तीनों विद्यालयों में परीक्षा केन्द्र इसी वर्ष से स्थापित हो जाने चाहिये। ताकि इन विद्यालयों में पढ़ने वाली लड़कियों को राहत की सांस मिल सके यहीं अध्ययन कर यहीं परीक्षा दे सकें।

बाबूलाल बैरवा

(कठूमर)

डेगाना कस्बे में राजकीय महाविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता

महोदय,

मैं आपकी अनुमति से उक्त विषय को सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। कि डेगाना विधान सभा क्षेत्र में डेगाना कस्बा राज्य के लगभग मध्य में स्थित है। वर्तमान में इसकी आबादी लगभग 20 हजार है इस कस्बे से लगती हुई ग्राम पंचायतों को शामिल करने पर जनसंख्या 30 हजार से भी

ज्यादा होती है। यहां से आस-पास के गांवों में प्रतिदिन लगभग 250 प्राइवेट बसों का आवागमन होता है। डेगाना कस्बा जयपुर जोधपुर रूट का एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है। डेगाना कस्बे में राज्य सरकार के महत्वपूर्ण कार्यालय जैसे उपखण्ड एवं तहसील कार्यालय, पंचायत समिति, ब्लाक शिक्षा अधिकारी, चिकित्सालय, सहायक अभियन्ता, पीएचईडी, सहायक अभियनता सार्वजनिक निर्माण विभाग, भेड़ ऊन विभाग, कृषि उपज मण्डी, पशु चिकित्सालय, न्यायालय एवं विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यालय हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कस्बे में 4 राजकीय व गैर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, 5 माध्यमिक विद्यालय हैं। शिक्षा के नोडल क्षेत्र में 15 उच्च माध्यमिक विद्यालय, 49 माध्यमिक विद्यालय हैं। कस्बे में उपरोक्त सभी विद्यालयों में पढ़ने वाले उच्च कक्षाओं के छात्रों की संख्या लगभग 4000 है। डेगाना कस्बा कई नजदीक ग्रामों का एक मात्र शहर है, जो कि मकराना और मेड़ता सिटी के बीच स्थित है।

लेकिन यहां की मुख्य समस्या यह है कि यहां के कर्मचारियों, मध्यम एवं गरीब आय वर्ग के विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा प्राप्ति के लिए अन्य बडे शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है। धनाढ्य लोग तो अपने बच्चों को शहरों में पढ़ाई के लिए बाहर भेज सकते हैं परन्तु गरीब एवं मध्यम आय वर्ग के विद्यार्थियों को आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है।

यदि डेगाना कस्बे में राजकीय महाविद्यालय स्थापित कर दिया जावे तो डेगाना कस्बे एवं 50 किमी की परिधि में आने वाले सभी गांवों के विद्यार्थियों को कम खर्च में उच्च शिक्षा प्राप्ति का अवसर मिल जावेगा एवं क्षेत्र का भी समुचित विकास होगा। उल्लेखनीय है कि यहां के उच्च माध्यमिक विद्यालय का विशाल भवन व बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है जिसमें थोड़े से प्रयास एवं कम खर्च से ही महाविद्यालय संचालित किया जा सकता है। सरकार को केवल शैक्षणिक स्टाफ ही उपलब्ध करवाना पड़ेगा।

माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से आग्रह है कि इस जायज मांग को पूरा कर डेगाना की जनता के साथ न्याय करेंगे।

अजय सिंह

(डेगाना)

धोद पंचायत समिति का स्वयं का कार्यालय न होने की वजह से पंचायत समिति धोद की जनता को होने वाली असुविधाओं व परेशानियों के सम्बन्ध में

महोदयजी,

निवेदन है कि जहां तक मुझे मालूम है राजस्थान में एकमात्र पंचायत समिति धोद ही है जिसका स्वयं का कोई कार्यालय नहीं है आये दिन कार्यालय भवन का स्थानान्तरण होता है जिससे धोद क्षेत्र की आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा पंचायत समिति के कर्मचारियों का भी कोई आवास नहीं है।

वर्तमान में पंचायत समिति जिस भवन में स्थानान्तरण होकर आई है वह एक निजी व्यक्ति का भवन है तथा पंचायत समिति का कार्यालय ऊपरी मंजिल पर चलता है जिसकी सीढ़ियों से चढ़ना उतरना आसान नहीं है। आये दिन उन सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने में औसतन एक व्यक्ति सीढ़ियों से गिर जाता है।

वर्तमान निजी व्यक्ति का भवन भी क्षीण अवस्था में है जिसका प्लास्टर टूटता है कभी भी भारी जनहानि होने की सम्भावना है तथा आज तक राजनैतिक कारणों से उक्त भवन नहीं बना है। पिछले 10 वर्षों पूर्व पंचायत समिति का कार्यालय भवन हेतु भूमि का अलाट सरकार ने किया था लेकिन वन विभाग बाधा पैदा कर रहा है तथा पंचायत समिति एवं वन विभाग कोर्ट कचहरियों में उलझा हुआ है, जबकि सरकारी कार्यालय के लिए जमीन अलाट हुई है तथा पंचायत समिति एवं वन विभाग दोनों ही सरकारी विभाग हैं और दोनों ही आपस में कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। अत: तुरन्त सरकार का हस्तक्षेप की आवश्यकता है, जिससे पंचायत समिति धोद की जनता को स्वयं का सरकारी कार्यालय उपलब्ध हो सके।

पेमाराम

(धोद)

धौलपुर जिले में फैली चिकित्सा की अव्यवस्था के क्रम में

महोदयजी,

माननीय चिकित्सा मंत्री एवं राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि धौलपुर जिला राजस्थान का सबसे पिछड़ा जिला है तथा

इस जिले की आधी से अधिक जनसंख्या डांग क्षेत्र में निवास करती है और अधिकांश लोग गरीबी से बेहाल होकर अपनी जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं। इस जिले की जनता का कोई रखवाला नहीं है। मौसमी बीमारियों से हर वर्ष मौतें हो जाती हैं। इस क्षेत्र की गरीब जनता झोला छाप नीम हकीम डाक्टरों के हाथ अपनी जिन्दगी सोप देते है चाहे बचे या मौत का ग्रास बने। ये झोला छाप डाक्टर आए दिन गरीबों की जिन्दगी से खेलते रहते हैं।

इस गरीब जनता की आशा का केन्द्र एक मात्र 300 बैड़ों वाला जिला अस्पताल है, परन्तु वहां भी गरीबों का समुचित इलाज नहीं हो पाता है। मायूस होकर गरीबों को मौत का ग्रास बनाना पड़ता है। श्रीमान धौलपुर जिला 3034 वर्ग किमी. में फैला है जिसमें ग्रामीण जनसंख्या 806640 तथा शहरी जनसंख्या 176618 है। इस जनसंख्या पर मात्र 1 चिकित्सालय, 1 डिस्पेन्सरी, 6 सामुदायिक केन्द्र मात्र 22 पी.एच.सी. केन्द्र हैं। श्रीमान इस जिला चिकित्सालय में रोजाना 700-800 मरीज आउटडोर में तथा रोजाना 40-50 मरीजों का इन्डोर में इलाज किया जाता है परन्तु इन अस्पतालों में सुविधाओं के नाम पर डाक्टरों तथा प्रशासन की झिड़कियां ही मिलती हैं। श्रीमानजी इस जिला अस्पताल में न तो इको कोर्डियोग्राफी मशीन, सर्जरी दूरबीन (शल्य क्रिया) मशीन नहीं है।

धौलपुर जिला यू.पी. तथा एम.पी. के बीच स्थित है जो राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर है इसलिए दुर्घटना के मरीज भी इस अस्पताल में इलाज कराने आते हैं। उनके लिए सी.टी. स्केन मशीन, ई.ई.जी. मशीन नहीं है। इनसे बढ़कर यह हैं कि अस्पताल में लगभग 65 पद स्वीकृत हैं उनमें से लगभग 25 पद रिक्त है। इनमें से भी अधिकांश डाक्टर अपने निजी क्लीनिकों में इलाज कर जनता का रक्त चूसते हैं। सरकार चाहे तो मैं इनकी सूची भी उपलब्ध करा सकता हूं। बी.पी.एल. परिवारों को भी समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई नहीं जाती है। डाक्टर उस कम्पनी की ही दवाई लिखते जिनसे उनको पैकेज मिलता है। उनको मरीज की कोई चिन्ता नहीं। गरीब मरे या जिए।

श्रीमान इन अस्पतालों की स्थिति दयनीय है अत: इस जिला अस्पताल में 100 बैड बढ़ाये जाएं तथा डाक्टरों के रिक्त पद भरे जाएं। डाक्टरों को गांव में भेजा जाए। जो डाक्टर 5 वर्ष से ज्यादा जमे बैठे हैं, उन्हें गांव में नियुक्त किया जाए जिससे गरीबों को राहत मिल सके।

श्रीमान बसेड़ी सामुदायिक अस्पताल में भी 6 डाक्टरों के पद स्वीकृत हैं इनमें से 3 पद आज भी रिक्त हैं। बसेड़ी के अधिकांश पी.एच.सी. केन्द्रों में डाक्टर बैठते नहीं हैं। ए.एन.एम. भी अपने कार्यस्थल पर न रुक कर शहरों में निवास करते हैं। गरीबों को सहारा देने वाले इस अस्पताल की स्थिति दयनीय है। मरीजों को धौलपुर या जयपुर के लिए रैफर कर दिया जाता है, जो रास्ते में ही मरीज दम तोड़ देते हैं। श्रीमान इस अस्पताल में एक ब्लड बैंक है परन्तु उसके लिए तकनीशियन नहीं है। एक जनरेट है चलता तो कम है, परन्तु उसका बिल लगातार उठता रहता है। बी.पी.एल. परिवारों को दुत्कारा जाता है। अस्पताल परिसर में संचालित सहकारी दवाओं की दुकानों पर भी दवा नहीं मिलती है।

श्रीमानजी बसेडी में आगरा से नकली दवाएं लायी जाती हैं जिससे मरीजों का जीवन खतरे में पड़ जाता है, परन्तु बार-बार शिकायत करने पर भी दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। श्रीमानजी सरमथुरा अस्पताल की भी ऐसी हालत है जबकि वह डांग क्षेत्र में स्थित है। जहां इलाज का कोई और साधन नहीं है। बाडी अस्पताल की भी हालत दयनीय है। वहां भी व्यवस्था के नाम पर मरीजों को दुत्कार मिलती है।

श्रीमानजी कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कोई कारगर उपाय नहीं है। आप इन प्राइवेट क्लीनिकों के लिए कुछ मापदण्ड बनाएं। फीस से गरीब जनता को इलाज मिल सके। श्रीमानजी आपसे अनुरोध है कि सलमेपुर, जारगा, ममौधन, बौरेली, गुलावली, बरौली, नादनपुर में पी.एच.सी. केन्द्र खोले जाएं, जिससे गरीब जनता को चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें तथा डाक्टरों को रात्रि में अपने नियुक्ति स्थान पर रुकने के सख्त निर्देश दिए जाएं।

श्री मानजी से निवेदन है कि इन अस्पतालों में हुए निर्माण कार्यों की जांच की जाए क्योंकि इसमें हेराफेरी कर सरकार की छवि को धूमिल किया है। गरीबों के लिए आयी दवाइयां भण्डारों में नष्ट हो जाती हैं, परन्तु वे दवाएं गरीबों को नहीं दी जाती हैं।

अत: श्रीमानजी से निवेदन है कि दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए।

सुखराम कोली

(बसेड़ी)

रूदावल से मठबदलेश्वर, जटमासी से रूपवास तहसील रूपवास तक सड़क की मरम्मत बाबत

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना (भरतपुर) की तहसील रूपवास के अन्तर्गत रूदावल से मठबदलेश्वर एवं जटमासी होकर रूपवास को जाने वाली सड़क उखड़ गई है। वाहनों के आवागमन में भारी व्यवधान एवं वाहन टूट जाते हैं यहां तक कि पैच कार्य भी नहीं हुआ है। यह सड़क रूदावल से मठबदलेश्वर जटमासी से रूपवास तक 12 किमी. सडक की हालत जीर्ण शीर्ण हो चुकी है विभाग बिलकुल शान्त मुद्रा में बैठा है।

मैं चाहूंगा कि सरकार इस रोड की मरम्म्त कराने के कारगर कार्यवाही अविलम्ब करावे ताकि आम जनता को राहत मिल सके।

ग्यारसाराम कोली

(बयाना)

चौमूं अजीतगढ़ मार्ग पर नगरपालिका क्षेत्र के पास स्थित टोल टैक्स बूथ को महारकला ग्राम से आगे स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि पिछले शासन में चौमूं अजीतगढ़ मार्ग पर चौमूं नगरपालिका सीमा से केवल 2 कि.मी. दूरी पर सामोद सीमा में टोल टैक्स बूथ स्थापित किया गया था, जो अवैध है। नगरपालिका सीमा के नजदीक होने के कारण आम आदमी टौल टैक्स के दायरे में आ जाता है।

उपरोक्त टोल टैक्स नगरपालिका सीमा से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थापित करना चाहिए था, जिसको तमाम नियमों की अवहेलना करते हुए गलत जगह स्थापित कर दिया। सरकार बदलने के उपरान्त पिछले 6 माह से चौमूं-सामोद व महारकला ग्राम की जनता टोल बूथ को स्थानान्तरण करवाने के लिए बराबर दबाव डाल रही है, बन्दोल स्थित प्राचीन महामाया देवी का मंदिर व महारकला स्थित मालेश्वर नाथजी का प्राचीन मंदिर भी टोल टैक्स सीमा में आ गया है।

मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि जनता की जन भावना को देखते हुए उपरोक्त टोल

टैक्स बूथ को महारकला ग्राम से आगे धोली ग्राम सीमा में स्थापित करवाने की कृपा करें।

भगवान सहाय सैनी

(चौमूं)

जयपुर शहर की राशन की दुकानों में अव्यवस्था तथा गैस सिलेण्डरों की बिक्री में कालाबाजारी

महोदय,

जयपुर शहर में स्थित राशन की दुकानों में काफी अव्यवस्थाएं हैं। कई जगहों पर घटिया किस्म का गेहूं बेचा जा रहा है तथा इसे लेने के लिए लोगों को बाध्य किया जा रहा है। इस घटिया गेहूं के सेवन से कई लोग बीमार हो चुके हैं।

इन राशन की दुकानों का राशन सामग्री वितरित करने का समय भी निर्धारित नहीं है। चार दरवाजा, सुभाष चौक में मेहरों की नदी व रामगंज की राशन की दुकानों में अव्यवस्थाओं के खिलाफ आमजन द्वारा मोर्चा भी खोला जा चुका है। आमजन के विरोध के बावजूद भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूं वितरण की व्यवस्था में सुधार नहीं हो पा रहा है। इसके अलाव गैस सिलेण्डर वितरण प्रणाली भी व्यवस्थित नहीं है। लोगों को बुकिंग कराने के डेढ़-दो माह बाद सिलेण्डर मिल रहे हैं। गैस सिलेण्डर की बिक्री में कालाबाजारी हो रही है, सिलेण्डर ब्लैक में 200 से 300 रु. अधिक लेकर बेचे जा रहे हैं।

अत: मेरा माननीय खाद्य मंत्री महोदय से अनुरोध है कि राशन वितरण प्रणाली तथा सिलेण्डर वितरण में सुधार कर आम जन को राहत प्रदान करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देने का कष्ट करें।

केरोसिन तेल भी राशन की दुकानों पर पूरा नहीं मिलता-सप्लाई होने के 3-4 दिन बाद ही गायब हो जाता है ज्यादातर तेल ब्लैक में बिक जाता है।

मोहन लाल गुप्ता

(किशनपोल)

परिशिष्ट-3

अनुदान की मांग संख्या-16 पुलिस पर ग्राह्य कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-16 मुख्य शीर्षक पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय-

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

1. राज्य में जनवरी, 2009 से जून, 2009 तक आम नागरिकों द्वारा पुलिस कर्मियों को पीटे जाने पर चर्चा के लिये।
2. उदयपुर, प्रतापगढ़ व चित्तौड़गढ़ में जनवरी, 2009 से जून, 2009 तक पुलिस व मनचलों द्वारा महिलाओं से छेडछाड़ चैन खींचने, जेवर के लिए घायल करने, पैर काटने की घटनाओं पर चर्चा के लिये।
3. प्रतापगढ़ जिले में बिना लाइसेंस के हथियारों पर कोई कदम नहीं उठाने पर चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के विभिन्न थानों में दर्ज मुकदमों के चालान पेश करने व लम्बे समय से फरार-मुल्जिमों की फरारी पर उनकी चल-अचल सम्पत्ति जप्ती पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) :

5. श्रीगंगानगर शहर में श्री राहुल सोनी की हत्या में पुलिस व डाक्टर्स की संदेहास्पद भूमिका एवं दोषियों के खिलाफ ठोस कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिये।
6. श्रीगंगानगर जिले में निरन्तर हो रही चोरियों पर अंकुश लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।
7. श्रीगंगानगर शहर में बढ़ रहे क्रिकेट सट्टा बुकी पर अंकुश लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।
8. श्रीगंगानगर जिले में रात्रि 8.00 बजे बाद पुलिस के सहयोग द्वारा बेची जा रही नाजायज शराब पर अंकुश लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।
9. श्रीगंगानगर जिले में स्मैक व अन्य नशीली वस्तुओं की हो रही तस्करी को रोकने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

10. ग्राम पंचायत बालेसर सत्ता में उप अधीक्षक (पुलिस) कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) :

11. राज्य में पुलिस कर्मियों की कठिन ड्यटी को देखते हुए पुलिस कर्मियों के लिए उच्च वेतनमान, भत्तों एवं सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के संबंध में चर्चा के लिये।

12. कारगिल शहीद विजय पाल सिंह की विधवा के खिलाफ कोतवाली थाना झुंझुनूं में दर्ज एफ.आई.आर. संख्या 73/09 पुलिस द्वारा शहीद की विधवा को प्रताड़ित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

13. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के विभिन्न थानों में रिक्त पद भरने एवं नये पद सृजित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

14. राज्य में गत वर्षों में हुई आतंकवादी घटनाओं के मध्यनजर राज्य की आन्तरिक सुरक्षा को मजबूत करने, राज्य पुलिस को ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु प्रशिक्षित करने व आधुनिक उपकरण/हथियार उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) :

15. पुलिस में आधुनिक यंत्र लगाने, मैन पावर बढ़ाने एवं पुलिस अधिकारियों को जनता के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) :

16. भीम पुलिस स्टेशन के एस.एच.ओ. द्वारा जनता में भय, भ्रष्टाचार एवं आतंक फैलाकर हफ्ता वसूली करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

17. राजसमंद क्षेत्र में पुलिस द्वारा फैलाये जा रहे आतंक को रोकने के संबंध में चर्चा के लिये।

18. राज्य में बढ़ रहे महिला अत्याचार में पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) :

19. कानोड़ (बाड़मेर) में पुलिस चौकी स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
20. चवा (बाड़मेर) में पुलिस चौकी स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

21. राज्य में पुलिस कर्मियों का व्यवहार सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
22. राज्य में पुलिस थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार की रोकथाम के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) :

23. होमगार्ड कर्मियों को नियमित ड्यूटी दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।
24. ट्रैफिक पुलिस की जवाबदेही तय करने के संबंध में चर्चा के लिये।
25. राज्य में बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए आधुनिक साधन व अव्यवस्थाओं से पुलिस को सुसज्जित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

26. जिला सीकर में नये पुलिस थाने स्वीकृत करने, नयी पुलिस चौकियां बनाने व रिक्त पदों पर भर्ती करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

27. विधान सभा क्षेत्र सोजत के ग्राम चाड़वास रामपुरा, बिजलीयाबास में पुलिस चौकी खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्राम) :

28. सी.आई.डी. (सी.बी.) एवं अन्य संवर्ग में पदस्थापित पुलिस कर्मियों को सिविल पुलिस में स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
29. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के पुलिस थानों में लम्बे समय से पदस्थापित पुलिस कर्मियों को नहीं हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली) :

30. पुलिस तंत्र को आधुनिक बनाने व पुलिस चौकी में मैन पावर बढ़ाने, पुलिस का जनता के साथ व्यवहार में सामंजस्य बनाने के उपायों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती रोहिणी कुमारी (करौली) :

31. राज्य के पुलिस विभाग में व्याप्त अनुशासनहीनता एवं राज्य के बढ़ते अपराधों तथा थानों में स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

32. विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उपकरणों की बड़ी संख्या में हो रही चोरी की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. राज्य में पुलिस बल को सुविधायें मुहैया करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

34. विधान सभा क्षेत्र चौपासनी, पश्चिमी पाल रोड योजना में बढ़ती हुई चोरी, नकबजनी, गुण्डागर्दी आदि घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) :

35. पुलिस थाना फालना में दर्ज हत्या की एफ.आई.आर. संख्या 75/2009 में नामजद मुख्य आरोपियों को आज दिनांक तक गिरफ्तार नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

36. विधान सभा क्षेत्र बाली के ग्राम मालनूं, मुण्डारा में पुलिस चौकी खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

37. विधान सभा क्षेत्र बाली में बढ़ती डकैती, चोरी, अपहरण की वारदातों की रोकथाम के संबंध में चर्चा के लिये।

38. राज्य में वर्ष 2005 से 2009 के मध्य धार्मिक आस्था केन्द्र मंदिरों में आये दिन होने वाली चोरी-डकैती की रोकथाम एवं माल बरामद करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

39. राज्य में पुलिस ढाचें की वर्तमान व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) :

40. धौलपुर में पुलिस की विशेष पेट्रोलिंग की व्यवस्था कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) :

41. अजमेर में बंगलादेशी घुसपैठियों को रोकने की व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) :

42. रावला थाना क्षेत्र में रोसड़ी में पुलिस चौकी स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

43. घड़साना किसान आंदोलन में दर्ज किये गए विभिन्न मुकदमों को वापस लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी) :

44. डूंगरपुर जिले का धम्बोला थाना हैड क्वार्टर पर 10 होमगार्ड पद सृजित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा चौकी पर एक सब-इन्सपेक्टर एवं छह सिपाही के पद स्थायी कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. डूंगरपुर जिले का सागवाड़ा थाना हैड क्वार्टर पर 10 होमगार्ड पद सृजित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. डूंगरपुर जिले की चितरी थाना हैड क्वार्टर पर 10 होमागार्ड पद सृजित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. डूंगरपुर जिले की सीमलवाड़ा उप खण्ड स्तर पर एक पुलिस उप अधीक्षक का पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) :

49. जयपुर शहर के महेश नगर थाना क्षेत्र में जुलाई, 2008 में मिलावटी घी के पकड़े गये कारखानों के अभियुक्तों के साथ पुलिसकर्मियों की मिलीभगत के कारण अभियुक्तों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही नहीं किये जाने एवं न्यायालय में चालान पेश नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली) :

50. गम्भीर प्रकृति के सेसन ट्रायल प्रकरणों में साक्षियों को सुरक्षा देने के संबंध में चर्चा के लिये।

51. राज्य में पुलिस एक्ट के अन्तर्गत नियम बनाने में हो रहे विलम्ब के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री प्रभुलाल सैनी)

52. राज्य में बढ़ते अपराध तथा घटती पुलिस व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

53. राज्य में महिलाओं की चैन टूटने की घटनाओं में विभिन्न थानों में अलग-अलग धाराओं में प्रकरण दर्ज करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर) :

54. थानों के वाहन अधिक पुराने होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र नगर में गुलपाड़ा, बुर्जा, सीकरी रोड पक्की पर, नगर अलवर रोड, धाधोली मोड़ व अन्य स्थानों पर नई पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजकुमार रिणवा (रतनगढ़) :

56. प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था तथा रतनगढ़ शहर में पुलिस की मनमानी की रोकथाम के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री ओम जोशी (फलौदी) :

57. राज्य में 108 की तर्ज पर पुलिस नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर मोबाइल वाहन प्रत्येक थाना क्षेत्र में दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

58. कानून व्यवस्था की समुचित व्यवस्था हेतु फलौदी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पद सृजित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

59. फलौदी क्षेत्र के थानों में पर्याप्त मात्रा में कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में चर्चा के लिये।

60. फलौदी शहर में यातायात सुव्यवस्थित करने हेतु यातायात पुलिस कर्मियों की समुचित व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिये।

61. व्यावहारिक समरसता एवं कुशलता हेतु सामाजिक व्यवस्था मुताबिक बर्ताव के लिए पुलिस कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना) :

62. जिला नागौर में वर्ष 2005 से अब तक निरन्तर बढ़ते विभिन्न श्रेणी के अपराध, हथियार बरामदगी प्रकरण तथा दिनांक 27.6.2006 को दर्ज एफ.आई.आर. नं. 114/2006 को डीडवाना में घटित गोलीकांड

(श्री रूपाराम डूडी)

आदि के नामजद अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

63. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के तेवड़ी के डीलर के खिलाफ एफ.आई.आर. का चालान पेश नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अशोक पींचा (सरदार शहर) :

64. सरदार शहर उपखण्ड में डी.एस.पी. कार्यालय स्थापित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई) :

65. नदबई कस्बा में हो रही चोरियों की रोकथाम के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री बहादुर सिंह (वैर) :

66. विधान सभा क्षेत्र के हलैना थाना (भरतपुर) को अपग्रेड कर पुलिस निरीक्षक का पद नव सृजित करने के संबध में चर्चा के लिए।

67. उप अधीक्षक पुलिस भुसावर (भरतपुर) के लिए कार्यालय एवं आवास निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़) :

68. पुलिस थानों में एस.सी./एस.टी. के दर्ज मुकदमों की प्रगति रिपोर्ट के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) :

69. जिला टोंक की पुलिस चौकी पौल्याड़ा तथा सरोली मोड़ के पुलिस कर्मियों के लिए आवास निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

70. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की छावनी एवं ब्रिटिशकालीन सैनिक छावनी रहे देवली (टोंक) में पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिये।

71. अनुसूचित जाति/जन जाति वर्ग की जिलेवार पुलिस में भर्ती की जाने में हो रहे अनदेखी पर चर्चा के लिये।

72. अपराधियों द्वारा अपनाई जा रही नवीनतम तकनीक के मुकाबले अपराध की रोकथाम हेतु पुलिस बल को सक्षम बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री रामनारायण मीणा)

73. चुनाव प्रक्रिया में नियुक्त अधिकारी द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमे में मुल्जिमों के खिलाफ त्वरित कार्यवाही कर न्यायालय में चालान पेश करने में हो रहे विलम्ब पर चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

74. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के ग्राम खातोलाई में दिनांक 7.2.2009 को पुलिस द्वारा बर्बर तरीके से ग्रामवासियों के साथ मारपीट करने व निर्दोष लोगों पर मुकदमे दर्ज करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

75. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आंतकवादी घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु राज्य में सुरक्षा परिषद् के गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) :

76. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर सीमांत जिला होने के कारण एस.ओ.जी. की स्थापना करने तथा ए.आई.एस. की यूनिट स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

77. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में डकैती, चोरियों व अन्य अत्याचारों को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. पुलिस कर्मियों के भत्ते तथा अन्य सुविधाओं को बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

79. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में नये पुलिस स्टेशनों को खोलने तथा रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय) :

80. विधान सभा क्षेत्र सिकराय में उप अधीक्षक कार्यालय खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

81. मेंहदीपुर बालाजी में थाना खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी) :

82. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के बड़ी सादड़ी, प्रतापगढ़ में पुलिस जाप्ता व साधन बढ़ाकर अपराधों की रोकथाम के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री प्रकाश चन्द चौधरी)

83. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के ग्राम बोहेड़ा, मूंजवा, मदुरा तालाब, संगेसरा में नवीन पुलिस चोकियां खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मुरारी लाल मीणा (दौसा) :

84. विधान सभा क्षेत्र दौसा में कोतवाली, सदरथाना, नांगल राजावतान, सैंथल में पुलिस स्टाफ बढ़ाने व ग्राम पापड़दा में नई चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूर सागर) :

85. विभाग द्वारा पुलिस कर्मियों हेतु क्वाटर निर्माण या रिहायशी सुविधा उपलब्ध कराने एवं मैस भत्ते की राशि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में पुलिस नफरी बढ़ाने एवं वाहनों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में पुलिस विभाग के सभी रिक्त पदों को भरने एवं नये पदों के सृजन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर की पाश्चिमपाल सेड योजना में नये पुलिस थाना एवं यातायात थाना की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

89. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में ग्राम पंचायत चामू, भालू, राजवा, आगोलाई में नवीन पुलिस चौकी स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में पुलिस थाना बालेसर में पुलिस निरीक्षक का नवीन पद सृजित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) :

91. विभाग द्वारा सिरोही जिले में बढ़ते अपराधों में लूट, चोरी व हत्याओं की वारदातों में हो रही बढ़ोत्तरी की रोकथाम के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) :

92. पुलिस व जनता के बीच मधुर संबंध स्थापित करने व पुलिस पर लोगों का विश्वास कायम हो उसके लिए ठोस कदम उठाने पर चर्चा के लिये।

93. राज्य में संगठित अपराधों की की रोकथाम हेतु पड़ोसी राज्यों यथा-उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली व गुजरात की पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. पुलिस थानों में लावारिस पड़े वाहनों व सामान का डिसपोजल हेतु आवश्यकता कदम उठाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

95. राज्य में अपराधों की रोकथाम हेतु पुलिस को आधुनिक हथियार व अच्छे वाहन उपलब्ध कराने व पुलिस कर्मियों के रिक्त पद शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. राज्य में पुलिस के अधिकारियों जिनके विरुद्ध गबन, भ्रष्टाचार, अनियमितताओं व अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है उनको फील्ड पोस्टिंग नहीं देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर) :

97. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर में स्थित गोविन्द मार्ग पर पड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 मोती डूंगरी गणेश मंदिर सर्किल से आगरा रोड तक के विभिन्न चौराहों पर यातायात के दबाव के मध्यनजर लाल बत्ती लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

98. राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा) :

99. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में विभिन्न श्रेणी के अपराधों की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा) :

100. धौलपुर जिले में पुलिस व्यवस्था में सुधार करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

101. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में ग्राम कवास में पुलिस चौकी खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री मेवाराम जैन)

102. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के ग्राम पंचायत इदाबेरी, सुरा और नांद को हल्का पुलिस थाना रामसर से हटाकर पुलिस थाना सदर बाड़मेर में शामिल करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (पिलानी) :

103. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के मण्ड्रेला कस्बे में थाना खोलने एवं नरहड़ में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. विधान सभा क्षेत्र पिलानी में हरियाणा राज्य सीमा से सटे थानों में नयी जीप/जिप्सी उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये ।

105. विधान सभा क्षैत्र पिलानी के हरियाणा राज्य की सीमा के निकट होने के फलस्वरूप अन्य राज्यों के निवासियों का तथा उनसे मिलने आने वाले व्यक्तियों का पुलिस रिकार्ड रखने एवं उन पर ध्यान रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

106. राज्य के पुलिस कर्मियों को मैस भत्ता, वर्दी धुलाई भत्ता, वाहन भत्ता, अच्छी किस्म की वर्दी, हार्ड ड्यूटी अलाउंस बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

107. राज्य में थाने स्तर पर कार्मिकों के लिए आवासीय मकान उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर) :

108. पुलिस थाना पुष्कर को कोतवाली में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

109. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के ग्राम बंधान में स्थित पुलिस चौकी को क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

110. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के ग्राम पचकोडिया में पुलिस चौकी हेतु भूमि का आरक्षण होने के उपरान्त भी पुलिस चौकी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री नन्द लाल मीणा (प्रतापगढ़)

111. जनवरी, 2009 से 20 जुलाई, 2009 के मध्य प्रतापगढ़ जिले के विभिन्न थानों में अनुसूचित जाति/जन जातियों पर स्वर्णों द्वारा अत्याचार, मारपीट, बंदूक से फायरिंग के दर्ज मामलों में कार्यवाही न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) :

112. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में चौरडिया पैट्रोल पम्प से मालपुरा दरवाजे तक की यातायात व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

113. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में स्थित थानों के भवन निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) :

114. पुलिस थाना घड़साना, रावला में पुलिस स्टाफ के लिए रिहायशी मकान बनाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

115. रावला के थाना प्रभारी द्वारा की गई अनियमितता की जांच कराने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) :

116. राज्य में भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कारगर योजना बानाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

117. राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को दुरस्त करने, नये पुलिस थाने व चौकियां स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

118. राजस्थान पुलिस के सभी जिलों में ट्रेनिंग संस्थानों में आरमोर वर्कशॉप के पद स्थापित कोर्सशुदा आरमोर कानिस्टेबलों को आरमोर भत्ता स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये ।

119. विभाग द्वारा दिनांक 18.2.2009 को रात्रि में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गंगा पत्नि केसाराम ग्राम फुलिया पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन की हत्या कर कंठी एवं चांदी की कुडिया लेकर जाने वाले हत्यारों को गिरफ्तार नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर)

120. राज्य में पिछले सात माह में पुलिस कर्मियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के संबंध में चर्चा के लिये ।

121. राज्य में सड़क दुर्घटना में मृतकों की संख्या में निरन्तर वृद्धि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

122. आई.पी.एस. केडर का रिविजन नहीं होने के संबंध में चर्चा के लिये।

123. राज्य में दस हजार पुलिस आवास निर्माण में धन की उपलब्धता के बाद भी काम में शिथिलता आने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

124. दिसम्बर 2008 से जून, 2009 के मध्य अपराधों में अत्यधिक वृद्धि होने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) :

125. राज्य में बढ़ते अपराधों में पुलिस की अकर्मण्यता एवं मिलीभगत से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) :

126. अलवर जिले में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी) :

127. आबकारी विभाग में लगाये गये पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों की सेवायें वापस मूल विभाग में ही लिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

128. विधान सभा क्षेत्र धरियावाद, प्रतापगढ़ में एस.डी.ओ. मुख्यालय पर सी.आई. का पद सृजित किये जाने एवं देवल्दी गांव में सब इंस्पेक्टर चौकी कायम करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

129. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के वर्तमान उप-अधीक्षक कार्य क्षेत्र में 6 पुलिस थानों के कारण अरनोद उपखण्ड पर पृथक से पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अजय सिंह (डेगाना) :

130. पुलिस विभाग द्वारा किये जाने वाले अनुसंधान पर चर्चा के लिये ।

131. भ्रष्टाचार अन्वेषण ब्यूरो के कार्यकलापों पर चर्चा के लिये ।

132. डेगाना कस्बे में उप-अधीक्षक पुलिस का कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) :

133. अजमेर शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार हेतु विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. अजमेर शहर में बढ़ती हुई चोरी, हत्या अपहरण, चैन तोड़ने आदि घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(श्रीमती अनिता भदेल)

135. अजमेर के अलवर गेट थाना के नगरा क्षेत्र एवं क्लॉक टावर थाना अन्तर्गत तोपदड़ा शिक्षा परिसर में नई पुलिस चौकियां स्थापित की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

136. अजमेर के राजकीय संग्राहालय में संचालित पुलिस के सी.आई.डी. विभाग को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

137. अजमेर के रामगंज व दरगाह थाना क्षेत्रों में हो रहे अवैध शराब निर्माण तथा अवैध नशीले पदार्थो जैसे स्मैक, अफीम आदि की तस्करी रोकने हेतु प्रभावी ढंग से पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजभान (राजगढ़ लक्ष्मणगढ़) :

138. पुलिस कर्मियों के व्यवहार एवं कार्य प्रणाली से आमजन को राहत दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम) :

139. बीकानेर में पर्यटन पुलिस की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. बीकानेर में यातायात पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोले जाने एवं पर्याप्त स्टाफ लगाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

141. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पश्चिम) की मुरलीधर व्यास कालोनी को गंगाशहर थाने से नया शहर थाना क्षेत्र में सम्मिलित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) :

142. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के ग्राम मोमासर, बापेऊ, सूडसर व कस्बा श्रीडूंगरगढ़ को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये ।

143. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के पुलिस थाने में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) :

144. जोधपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुखराम (बसेड़ी)

145. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में 2007 से आज तक हुई चोरियां, हत्या, डकैती, फिरौती के अपराधियों को पुलिस द्वारा नहीं पकड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

146. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में पुलिस द्वारा अपराधियों को आश्रय देने तथा निरपराध लोगों पर मुकदमे बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

147. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में खनन, आरा मशीन एवं अन्य से की जा रही अवैध वसूली को रोकने के संबंध में चर्चा के लिये।

148. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में कोतवाली के भवन निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

149. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में नादनपुर झिरी में थाना तथा वौरेली, सिहौली, सलेमपुर, बरौली, डोमई में नई चौकी स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :

150. थानों में दर्ज प्रकरणों के मुकाबले चालान की प्रतिशतता कम होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

151. जयपुर शहर में चोरी की घटनाओं में बढ़ोत्तरी के बावजूद अपराधियों को नहीं पकड़े जाने, पकड़े गये अपराधियों से माल बरामदगी नहीं होने एवं चैन तोड़े जाने की घटनाओं पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

152. जयपुर शहर के थानों में नफरी बढ़ाये जाने एवं रात्रि गश्त की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

153. पुलिस कर्मियों की मिलीभगत से जयपुर शहर में खाली पड़ी भूमि पर कब्जे की प्रवृति, एस.ओ.जी. द्वारा पिछले दिनों भू-माफियाओं के विरुद्ध चलाये गये अभियान में कोई प्रभावी परिणाम सामने नहीं आने एवं भूमाफियों के विरुद्ध की गई शिकायतों पर कार्यवाही नहीं किये जाने से एस.ओ.जी. की छवि पर पड़ रहे खराब प्रभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

154. राजस्थान पुलिस अकादमी एवं अन्य स्थानों पर बने हुये क्वाटरों में रहने वालों से विभाग द्वारा सफाई शुल्क की वेतन में से कटौती किये

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

जाने के बावजूद उक्त आवास गृहों में सफाई की व्यवस्था नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री दौलतराज नायक (रायसिंहनगर) :

155. अन्य राज्यों की भांति बोर्डर विग होमगार्ड के जवानों को रोजगार देने एवं स्थायी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) :

156. चौमूं तहसील के ग्राम मालेरा को थाना हल्का सामोद में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

157. चौमूं कस्बे की बढ़ती आबादी व नई कालोनियों में सुरक्षा हेतु पुलिस कर्मियों की नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

158. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के थाने सामोद, गोविन्दगढ़, कालाडेरा में पुलिस कर्मियों की नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

159. चौमूं तहसील के ग्राम सामोद की पहाड़ी पर स्थित वीर हनुमानजी मंदिर व खोल में नई पुलिस चौकी स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये ।

160. चौमूं बस स्टैण्ड पर ट्रैफिक कन्ट्रोल की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री विजय बंसल (भरतपुर) :

161. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में पुलिस चौकी ऊंचा नगला को थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

162. भरतपुर शहर में पिछले 18 दिन में ही तीन बैंक की लूट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

163. थाना चिकसाना (भरतपुर) में दर्ज एफ.आई.आर. नं. 90/09 की जांच थाना कोतवाली (भरतपुर) के ही अनुसार शीघ्र कार्यवाही कर मुलजिमों को गिरफ्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

164. भरतपुर के थाना उद्योग नगर, चिकसाना द्वारा यू.पी. से आने-जाने वाले वाहनों से कर रहे चौथ वसूली को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

165. दिनांक 17.7.2009 को बयाना (भरतपुर) में एडवोकेट अग्रवाल की हत्या की पुख्ता जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) :

166. यू.पी. के बार्डर के पास थाना कुम्हेर के अन्तर्गत गुम्हेर-सोंख रोड, ग्राम-भेसोखरा मोड़ पर कार्यरत चैकपोस्ट को स्थायी पुलिस चौकी का दर्जा दिलाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

167. सी.ओ. रूरल भरतपुर के अन्तर्गत तीन थाने कुम्हेर, नदबई और सेवर कस्बा कुम्हेर इन तीनों के मध्य में होने के कारण सी.ओ. रूरल का कार्यालय भरतपुर से कुम्हेर में स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

168. पुलिस चौकी रारह (थाना कुम्हेर) को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

169. पुलिस थाना कुम्हेर में एक नई जीप मुहैया करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

170. धार्मिक स्थल पूंछरी (भरतपुर) की अस्थायी पुलिस चौकी को स्थायी करवाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

171. पुलिस थानों एवं पुलिस चौकियों में वृद्धि कर अपराधों को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

172. लक्ष्मणगढ़ (सीकर) का पुलिस थाना भवन पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा अनुपयोगी घोषित होने के बावजूद भी नया भवन बनाने में विभागीय अनदेखी पर चर्चा के लिये ।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं) :

173. विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं में बढ़ते हुये चोरी, डकैती व अन्य अपराधों को रोकने हेतु कारगर कदम उठाने के संबंध में चर्चा के लिये ।

174. विभाग द्वारा हरियाणा से अवैध शराब की आवक को रोकने के संबंध में चर्चा के लिये।

175. पुलिस कर्मियों को आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग दिलाने के संबंध में चर्चा के लिये।

176. आन्तरिक सुरक्षा में कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप्स का पुनर्गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन लाल (डग) :

177. 1.7.2005 को डग थाना काण्ड में राजनैतिक द्वेषता पूर्वक झूठे मुकदमे में फंसाये गये निर्दोष लोगों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर) :

178. आत्मरक्षा हेतु शस्त्र लाइसेंस देने की प्रक्रिया/नवीनीकरण में सुधार व पारदर्शिता की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

179. पुलिस थानों के मालखानों में जब्तशुदा लावारिस सामान के निस्तारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

180. गंगानगर जिले के सीमावर्ती जिला होने के कारण कानून-व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिये रिक्त पदों की पूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़बास) :

181. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में बढ़ते अपराधों को रोकने के संबंध में चर्चा के लिये।

182. तहसील तिजारा, कोटकासिम, किशनगढबास में हो रहे अवैध खनन कार्य में पुलिस की मिलीभगत से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

183. बड़ोदा मेवा अन्तर्गत घाट ग्राम में पुलिस चौकी एवं एम.आई.ए. थाना अन्तर्गत साहडोली में पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

184. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के थाना गोविन्दगढ थाना बड़ोदा थाना एम.आई.ए. को क्रमोन्नत कर एस.आई. के स्थान पर सी.आई. नियुक्त करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रमेश चन्द्र मीणा (सपोटरा) :

185. डकैती समस्या के निराकरण हेतु उपखण्ड मुख्यालय मण्डरायल पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

186. डकैती क्षेत्र (माढी भाट बरूला, रोधई, बाहादरपुर) में पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

187. डकैती क्षेत्र (लॉगरा, हाड़ौती) में पुलिस स्टेशन खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सूरजभान (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) :

188. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ में चुनाव बाद भड़के दंगों में जो व्यापारी वर्ग को क्षति हुई उसकी क्षतिपूर्ति व जिन दंगाइयों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हुई उन पर कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा) :

189. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा भौखुन्दा में पुलिस चौकी स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

190. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में पुलिस के खाली पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

191. पुलिस उप अधीक्षक गंगापुर के आवास की मरम्मत कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (सांगरिया) :

192. पुलिस कर्मिकों को देय सुविधाओं में बढोत्तरी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

193. राज्य में पुलिस बल की संस्था में बढ़ोत्तरी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

194. प्रदेश में महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

195. प्रदेश के थानों को आधुनिकरण के साधनों से लैस करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

196. सी.ओ. कार्यालय (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक) रामगढ़ में ही स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) :

197. खण्डेला शहर संवेदनशील होने के कारण पुराने थाने में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी)

198. थानागाजी में पुराने थाने की बिल्डिंग पर चौकी स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

199. अलवर जिले में हरियाणा सीमा पर चौकी संख्या-9 में स्टाफ बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़)

200. पुलिस अधिकारियों द्वारा जवानों से नाजायज अपने घरेलू कार्य में लगाने, समय पर छुट्टी नहीं देने एवं जवानों को प्रताड़ित करने से बल में हीन भावना उत्पन्न होने से आये दिन होने वाली घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

201. राज्य की पुलिस को आधुनिक हथियार एवं आधुनिक वाहन उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

202. राज्य में कानून व्यवस्था छिन्न–भिन्न होने एवं अपराधियों के हौसले बुलन्द होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

203. विभाग द्वारा एफ.आई.आर. नं. 116/09 पुलिस थाना श्रीमाधोपुर सीकर, एफ.आईआर. नं. 169/09 पुलिस थाना लक्ष्मणगढ़ एवं विनोद कुमार पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा मु.पो.-रोसावा, सीकर का मुकदमा पुलिस थाना भानीपुरा चूरू द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री पेमाराम (धोद) :

204. अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों पर हो रहे अत्याचार के मुकदमों में तुरन्त कार्यवाही करके अपराधियों को सजा दिलवाने के लिये केस आफिसर नियुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

205. पुलिस थानों में अनुसूचित जाति/जनताति के व्यक्तियों को थानेदार पद पर पोस्टिंग नहीं देने के संबंध में चर्चा के लिये।

206. सीकर जिले में कानून व्यवस्था खराब होने के संबंध में चर्चा के लिये।

207. पुलिस कर्मियों को समय से ज्यादा ड्यूटी देने पर आवर टाइम देने के संबंध में चर्चा के लिये।

208. पुलिस थानों को नया वाहन तथा आधुनिक हथियार देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

209. विधान सभा क्षेत्र सोजत के अन्तर्गत पुलिस थाने में कांस्टेबल की संख्या बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्रीमती संजना आगरी)

210. विधान सभा क्षेत्र सोजत के अन्तर्गत थाना में महिला थाना सोजत सिटी एवं रायपुर में खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

211. विधान सभा क्षेत्र सोजत के शिवपुरा थाना के ग्राम चौपड़ा तहसील सोजत में एवं बिपलीयावास में पुलिस चौकी खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

212. विधान सभा क्षेत्र सोजत में पुलिस थानों की चौकियों में राजकीय वाहन/जीप उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवराय पाटन) :

213. विधान सभा क्षेद्ध केशवराय पाटन के करवर पुलिस चौकी को क्रमोन्नत कर पुलिस थाना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

214. विधान सभा क्षेत्र केशवराय पाटन के मुख्यालय पर पुलिस उप अधीक्षक का पद सृजित कर कार्यालय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) :

215. विभाग द्वारा आयोजित कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जुलाई, 2008 में नकल कराने में लिप्त पाये गये पुलिस कर्मियों के विरुद्ध जांच में दोषी पुलिस कर्मियों को बचाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) :

216. राज्य की जनसंख्या के अनुपात में पुलिस कर्मियों के पद निर्धारित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

217. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के जमवारामगढ़ में वृताधिकारी कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

218. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में नये पुलिस थाने/चौकियां कायम करने एवं रिक्त पद भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

219. पुलिस थाना शाहपुरा (जयपुर) का क्षेत्राधिकार को यथावत् रखने के संबंध में चर्चा के लिये।

अनुदान की मांग संख्या-17 कारागार पर ग्राह्य कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-17 मुख्य शीर्षक कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री नन्द लाल मीणा (प्रतापगढ़) :

1. राज्य की जेलों में बंद कैदियों द्वारा आपस में झगड़ा करने, नशा व मोबाइल फोन का इस्तेमाल किये जाने पर चर्चा के लिये।
2. जनवरी, 2009 से जून 2009 तक राज्य में पुलिस की गिरफ्त से भागे कैदियों पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) :

3. श्रीगंगानगर कारागार में फैली अव्यवस्थाओं को दूर करने के संबंध में चर्चा के लिये।
4. श्रीगंगानगर कारागार में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।
5. श्रीगंगानगर कारागार में जेल कर्मियों द्वारा बंदियों से मुलाकात करवाने के लिए रिश्वत के रूप में रुपये लेने के संबंध में चर्चा के लिये।
6. श्रीगंगानगर कारागार में बंदियों को जेल प्रशासन द्वारा दिये जो रहे बासी व अध-कच्चे भोजन के संबंध में चर्चा के लिये।
7. श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जेल में जेल अधिकारियों व कर्मियों द्वारा नशीली दवाओं के बढ़ रहे प्रचलन पर अंकुश लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) :

8. राज्य की जेलों के आधुनिकीकरण एवं सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
9. कैदियों की अपराधवृत्ति एवं उनके समाज विरोधी विचारों में बदलाव के लिये जेलों में विभिन्न धर्मों के उपदेशकों के प्रवचन शिविर आयोजित करने के संबंध में चर्चा के लिये।
10. राज्य के केन्द्रीय कारागृह जो शहर के बीच आ गये हैं, उन्हें शहर से बाहर स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।
11. जेलों की सुरक्षा के लिये वर्तमान में रिक्त पद भरने एवं आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पद सृजित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) :

12. उदयपुर जिले के विभिन्न कारागारों की बिगड़ती स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती रोहिणी कुमारी (करौली) :

13. विभाग द्वारा प्रदेश में कारागारों की स्थिति में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. प्रदेश के कारागारों के कैदियों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

15. जोधपुर केन्द्रीय कारागार की महत्ता के मध्यनजर सुरक्षा के आधुनिकतम उपकरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) :

16. भीम सब जेल हेतु आबंटित भूमि पर सब जेल भवन निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

17. बहरोड़ कारागार में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

18. अलवर एवं बहरोड़ कारागार में भोजन की व्यवस्था खराब होने के संबंध में चर्चा के लिये।

19. अलवर एवं बहरोड़ कारागार में बिछाने एवं ओढ़ने हेतु दरियां एवं कम्बल की कमी से कैदियों को रही असुविधा के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) :

20. जेलों में अलग सेल बनाकर बैगेर जमानती अपराध में पहली बार फंसे व्यक्तियों की अलग से व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

21. राज्य की जेलों में कैदियों द्वारा अवैध रूप से मोबाइल एवं अन्य साधनों का उपयोग करने पर अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने पर चर्चा के लिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) :

22. विधान सभा क्षेत्र बाली के उप कारागृह में क्षमता से ज्यादा कैदी होने व भवन की जर्जर स्थिति के चलते नवीन कारागृह बनवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) :

23. प्रत्येक केन्द्रीय जेल में क्षेत्रीय विधायक को जेल विजिटर नियुक्त करने की कार्य की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (संगरिया) :

24. श्रीगंगानगर जिले के विभिन्न कारागृहों में आवास स्थान बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

25. नव निर्मित अनूपगढ़ कारागार शीघ्र प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिये।

26. रायसिंहनगर कारागार में कैदियों के लिये दैनिक सुविधाऐं उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता सिंह (धौलपुर) :

27. कारागार में मोबाइल फोन्स पर रोक लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

28. कारागार में कैदियों को दिये जा रहे भोजन की गुणवत्ता के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री ओम जोशी (फलौदी) :

29. कारागार में विचाराधीन कैदियों के लिये भोजन की सही व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिये।

30. जेल केन्द्रों पर जेल समितियों का समय पर गठन किया जाकर उसका प्रभावी मार्ग दर्शन प्राप्त किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

31. कैदियों को सन्त महापुरूषों के प्रवचनों से चिन्तन मार्ग दर्शन देने का समय-समय पर कार्यक्रम रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़) :

32. राज्य में कैदियों के फरार हो जाने के गम्भीर मामलों पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) :

33. जेलों में अधिकारियों की मिलीभगत से हार्डकोर मुल्जिमों द्वारा सामान्य कैदियों पर किये जा रहे अत्याचार को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिये।

34. पुरानी हवालात एवं जेलों के उन्नयन किये जाने में विभागीय अनदेखी पर चर्चा के लिये।

35. जेलों में बढ़ रहे कैदियों के अनुपात में जेल स्टाफ की बढ़ोतरी की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. बूंदी जिला कारागार तथा नैनवां (बूंदी) उप कारागार के कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. अलीगढ़-उनियारा (जिला टोंक) क्षेत्र में उप कारागार बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

38. जिला कारागार बाड़मेर में रिक्त पदों को भरने तथा कारागार में विशेष सुरक्षा करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (सादड़ी) :

39. बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ में उप कारागृह खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

40. प्रदेश के जेलों में बंद कैदियों के लिए नियमित योग, चारित्रिक एवं मानसिक विकास के नियमित कार्यक्रमों के संचालन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. विभाग द्वारा केन्द्रीय कारागार में बंद महिला बंदियों के साथ क्रेच में रहने वाले उनके बच्चों की उचित देखभाल एवं शिक्षा की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. प्रदेश की जेलों में मोबाइल जेमर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. विभाग द्वारा प्रदेश के कारागृहों में बंदियों द्वारा अनाधिकृत सुविधाओं यथा: मोबाइल व अन्य सामग्री के उपयोग पर सख्ती से रोक लगाने एवं दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां)

44. राज्य की जेलों में बंद कैदियों को सुधारने के लिये धार्मिक व समाज सुधारकों के उपदेश दिलवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों के काम (सश्रम कारावास) के बंटवारे व मिलाई की व्यवस्था में सुधार करने के संबंध में चर्चा के लिये।

46. कारागार विभाग द्वारा बनाई पैरोल, सुविधा, सलाहकार, निरीक्षण आदि की विभिन्न स्तर की समितियों की नियमित बैठकें नहीं होने तथा जेल कर्मियों के काफी पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा) :

47. विधान सभा क्षेत्र बालोतरा के उप कारागार के भवन की मरम्मत कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुन्दर लाल (पिलानी) :

48. कारागार में कैदियों से मिलने आ रहे लोगों की पुलिस सत्यापन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. जेलों में कतिपय कैदियों के पास मोबाइल रखे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

50. कैदियों के जीवन सुधार के लिये जेलों में आध्यात्मिक ज्ञान, योग शिविर एवं ज्ञानवर्धन हेतु उपाय करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) :

51. जयपुर में स्थित कारागार के अलावा दूसरे स्थान पर कारागार का निर्माण करने एवं सांगानेर खुली जेल को स्थानान्तरित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

52. जेलों में हो रहे मोबाईल फोन के उपयोग से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

53. जेलों में कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) :

54. जेल कर्मचारियों का वेतन पुलिस की तुलना में बहुत कम हो जाने से जेल कर्मचारियों में भारी असंतोष पर चर्चा के लिये।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

55. जेल में बढ़ रही फरारी पर चर्चा के लिये।

56. जेल में बंद अपराधियों के द्वारा अपराध कारित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

57. जेल आधुनिकरण के तहत चल रहे कामों पर चर्चा के लिये।

58. जेल में बंद अपराधियों के पास आपत्तिजनक सामग्री के बढ़ते प्रचलन पर रोक लगाने के लिए चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) :

59. किशनगढ़ जेल की स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) :

60. केन्द्रीय कारागृह अजमेर को शहर के मध्य से हटाकर अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. विभाग द्वारा केन्द्रीय कारागारों में बंदियों के पास मादक पदार्थ पाये जाने के उपरान्त भी दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

62. विभाग द्वारा राज्य में जेल कर्मियों के आवास, वर्दी तथा वेतन/भत्तों में सुधार एवं जेल प्रहरियों की कम संख्या के कारण नई भर्ती करने के साथ-साथ अत्याधुनिक सुरक्षा साधनों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. प्रदेश के कारागृहों में बंद अपराधियों द्वारा जेल से भागने की घटनाओं में हो रही वृद्धि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुखराम (बसेड़ी)

64. धौलपुर कारागार में कैदी सुधार के लिए विधायकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

65. धौलपुर कारागार में कैदियों को मानवता का पाठ पढ़ाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने तथा उनको अच्छा खाना दिये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

66. कारागारों में महिला एवं बाल कैदियों के लिए अलग कारागार स्थापित किये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

67. धौलपुर कारागार में विचाराधीन कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार करने तथा कारागार में कैदियों से मिलने वाले व्यक्तियों हेतु समुचित व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री सुखराम)

68. कारागारों में उचित स्टाफ, खाना कैदी शयन की सही व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :

69. अपराधियों द्वारा जेलों में से ही दी जा रही धमकियां एवं अवैध वसूली से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

70. जेलों में कैदियों के पास से मोबाइल बरामद होने के बावजूद इनकी रोकथाम के लिये कोई कारागर कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

71. कारागार प्रहरियों को पुलिस एवं वायरलैस कांस्टेबल के समान वेतन नहीं दिये जाने से प्रहरियों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

72. जेल विभाग के अधिकारियों पर गम्भीर आरोपों के बावजूद विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

73. जेलों से एवं पेशी के दौरान अपराधियों के फरार होने की बढ़ रही घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री विजय बंसल (भरतपुर) :

74. सेवर (भरतपुर) की जेल में कैदियों को दी जा रही अमानवीय यातनाओं के संबंध में चर्चा के लिये।

75. सेवर (भरतपुर) की जेल में कैदियों के द्वारा मोबाइल सैट का उपयोग किया जाकर चौथ वसूली करने के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) :

76. सेवर (भरतपुर) की जेल में कैदियों द्वारा किये जा रहे मोबाइल फोन के उपयोग को रोकने के संबंध में चर्चा के लिये।

77. सेवर (भरतपुर) की जेल में सरकार द्वारा कैदियों को दी जा रही सुविधाओं में और अधिक वृद्धि किये जाने पर चर्चा के लिये।

78. सेवर (भरतपुर) की जेल में भोजन की गुणवत्ता में सुधार एवं सफाई की व्यवस्था सुचारू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर) :

79. कारागार प्रशासन में सुचारू रूप से व्यवस्था रखने के लिये रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. कारागार में बंदियों को नैतिक शिक्षा प्रदान कर उन्हें सभ्य नागरिक बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. कारागारों में बंदियों की जांच हेतु नियमित निरीक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) :

82. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बांस के जेल में महिला कांस्टेबल लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

83. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास की जेल में खाने व रहने की सही व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिये।

84. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बांस की जेल में बोरिंग (नलकूप) लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

85. अलवर जेल की व्यवस्था को सुधारने के संबंध में चर्चा के लिये।

86. अलवर जेल को सेण्ट्रल जेल में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रमेश चन्द मीना (सपोटरा) :

87. कारागारों में विलासिता सामग्री, मोबाइल एवं नशीले पदार्थों की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

88. राज्य के कारागारों में सुरक्षा प्रहरियों की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सूरज भान (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) :

89. राज्य के कारागारों में सुधार एवं सुरक्षा कर्मियों की कमी पर चर्चा के लिये।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (सांगरिया) :

90. राज्य के कारागारों में अवैध रूप से पहुंचने वाले मादक पदार्थों की रोकथाम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह)

91. कारागार में बंद अपराधियों की सामाजिक स्थिति सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला) :

92. कारागार में कैदियों द्वारा मोबाइल का उपयोग करने पर कठोर कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

93. राज्य की जेलों में बंद अपराधियों द्वारा मोबाइल का उपयोग करने में जेल कर्मियों की मिलीभगत होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

94. केन्द्रीय कारागारों में सह-श्रम से बनने वाले सामान में जेल के खर्चे जोड़ने से सामान महंगा होने पर उसकी ब्रिकी नहीं होने से पीड़ितों को उनका हिस्सा नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

95. राज्य की जेलों से अपराधियों के फरार होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री पेमाराम (धोद) :

96. कारागारों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने व नई भर्ती करने के संबंध में चर्चा के लिये।

97. राज्य में जेलों की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के संबंध में चर्चा के लिये।

98. जेल मेनुअल लागू करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन) :

99. विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन के मुख्यालय पर उप कारागृह खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-4

माननीय गृह मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल द्वारा दिनांक 27.07.2009 को मांग संख्या-16, पुलिस के सम्बन्ध में दिया गया वक्तव्य एवं घोषणाओं का विवरण

1. पूर्व सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश में ऐसे हालात पैदा हो गये कि आमजन का सरकारी तंत्र से विश्वास उठ गया। अपराधियों को बढ़ावा मिलने लगा क्योंकि छोटी से छोटी समस्या का समाधान नहीं मिला तो लोगों ने अपना गुस्सा सरकारी कर्मियों पर, खासकर पुलिस पर निकाला।
2. वर्ष 2008 में सरकारी कर्मियों के साथ हुई मारपीट में 1566 प्रकरण दर्ज हुये जिनमें से 373 प्रकरण पुलिस के साथ मारपीट के हैं। जून, 2009 तक भी 848 प्रकरण दर्ज हुए हैं। जिनमें से 236 प्रकरण पुलिस पिटाई के हैं। आज पुलिस के मनोबल में भारी गिरावट हुई है।
3. पूर्व सरकार के समय में पुलिस विभाग में भर्ती, पदोन्नति एवं पदस्थापन में स्थापित नीतियों की व्यापक रूप से की गयी अवहेलना के कारण पुलिस कार्य प्रणाली पर विपरीत असर पड़ा जिसके कारण अपराधों में वृद्धि हुई एवं पुलिस का मनोबल टूटा।
4. पूर्व सरकार द्वारा पुलिस विभाग में अक्षम व दागी छवि वाले अधिकारियों को नियम विरुद्ध पदोन्नति दी गई। दारिया प्रकरण के दोषी एस.ओ.जी. में तैनात उ.नि./कर्मचारी पदोन्नत किये गये। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा भी भर्ती के कार्य में रिश्वत की शिकायत पर ट्रैप किया गया।
5. पिछली सरकार की असंवेदनशीलता व नकारात्मक राजनीति के कारण राज्य में जातीय वैमनस्यता को बढ़ावा मिला। गुर्जर आरक्षण आन्दोलन के चलते सारे राज्य में अशांति फैल गई, नेशनल हाइवे तक जाम हो गये। हजारों लोग सड़कों पर अटक गये। प्रदेश पूरी तरह से देश से कट गया।
6. पिछले वर्षों की तुलना में महिलाओं में जागृति आने एवं स्वच्छन्द रूप से अभियोग पंजीकरण किये जाने से महिला अत्याचार के अपराधों का अधिक पंजीकरण हुआ है, जो समग्र आंकड़ों में वृद्धि का एक कारण है।

7. वर्तमान सरकार द्वारा इन्टेलीजेन्स विभाग का सुदृढ़ीकरण और ए.टी.एस. की स्थापना की गई और आई.आर. बटालियन बढ़ाने का प्रस्ताव भारत सरकार के पास भिजवाया गया जो विचाराधीन है।

8. बढ़ते आतंकवाद से निपटने के लिए राज्य सरकार तत्पर है। फौज के विशेषज्ञ अधिकारियों द्वारा ई.आर.टी. (Emergency Response Team) को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ई.आर.टी. के प्रशिक्षित कमाण्डो को रेंज मख्यालय पर तैनात किया गया है। यह टीमें भविष्य में मुम्बई जैसे आतंककारी हमने से निपटने के लिए पूर्णत: सक्षम हैं।

(क) पुलिस विभाग

क्र. सं.	विषय	विवरण	राशि लाख रु.
1	मैस भत्ता	725/- रु. से बढ़ाकर 775/- रु. प्रतिमाह	223.75
2	कर्मचारी कल्याण निधि	-	30.00
3	राजस्थान पुलिस हितकारी निधि	-	40.00
4	स्पोर्टस फण्ड	-	15.00
5	उत्सव फण्ड	-	20.00
6	अंशकालीन रसोइयों की दरों में वृद्धि	1500/- रु. से बढ़ाकर 2500/- रु. प्रतिमाह	131.60
7	वर्दी सिलाई चार्जेज में बढ़ोतरी	95/- रु. प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 200/- प्रतिवर्ष	76.17
	योग		**536.52**

गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में प्रस्तावित की जाने वाली घोषणाएं

(ख) होमगार्ड विभाग

1. मैस भत्ता 725/- रु. से बढ़ाकर 775/- रु. प्रतिमाह पुलिस विभाग के समान किया जा रहा है।

2. गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में अग्निशमन सेवा के कांस्टेबल तथा विभाग के सभी कांस्टेबल ड्राइवरों को वर्तमान में मैस भत्ता नहीं दिया जा रहा है। समानता बनाने की दृष्टि से इनको भी 775/- रुपये प्रतिमाह मैस भत्ता दिया जावेगा।

3. होमगार्ड कर्मियों के उत्साह वर्धन, लम्बी एवं गम्भीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता दिये जाने/ऋण प्रदान किये जाने एवं प्रशिक्षण/ड्यूटी के दौरान गम्भीर रूप से घायलों को आर्थिक सहायतार्थ स्थापित कर्मचारी कल्याण निधि में गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी 5.00 लाख रुपये का अनुदान दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. विभाग के संस्थागत उत्सवों यथा नागरिक सुरक्षा दिवस आदि के लिए पुलिस विभाग की तरह ही इस वर्ष होमगार्ड कर्मियों के लिए भी उत्सव फण्ड में 2.00 लाख रुपये का अनुदान दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

5. पुलिस विभाग की तरह होमगार्ड विभाग में भी पार्ट टाइम लांगरी रसोइयों को वर्तमान में दिये जा रहे 1500/- रुपये प्रतिमाह पारिश्रमिक को बढ़ाकर 2500/- रुपये प्रतिमाह किये जाने का निर्णय लिया गया है।

6. सीमा गृह रक्षा दल के कांस्टेबलों/हैड कांस्टेबलों को वर्तमान में वर्दी धुलाई भत्ता नहीं दिया जा रहा है, इनको भी 50/- रुपये प्रतिमाह वर्दी धुलाई भत्ता दिया जावेगा।

7. गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में स्वयं सेवकों को ड्यूटी भत्ता वर्तमान में 120/- रुपये प्रति दिवस दिया जा रहा है। गत वर्षों में ड्यूटी भत्ते में 10 रुपये प्रति दिवस की वृद्धि की जाती रही है, इस वर्ष इसमें 30 रुपये प्रति दिवस की वृद्धि करते हुए 150/- रुपये प्रतिदिन ड्यूटी भत्ता दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

8. स्वयं सेवकों को वर्तमान में दिये जा रहे प्रशिक्षण भत्ते को 35 रूपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 50 रूपये प्रतिदिन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

9. स्वयं सेवकों को वर्तमान में दिये जा रहे परिवहन भत्ते को 8 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 12 रुपये प्रतिदिन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

परिशिष्ट-5

माननीय कारागार राज्य मंत्री द्वारा सदन में दिनांक 27.7.2009 को मांग संख्या-17 (कारागार) के सम्बन्ध में दिया गया वक्तव्य एवं की गई घोषणाएं

माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-17 कारागार विभाग के सम्बन्ध में कुल 99 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। माननीय सदस्यों द्वारा मांग संख्या-17 पर कटौती प्रस्तावों के जरिये रचनात्मक अमूल्य सुझाव दिये गये हैं, मैं उनका हृदय से आभारी हूं और इस सदन में विश्वास दिलाना चाहूंगा कि कारागार विभाग के मांग संख्या-17 पर कटौती प्रस्तावों के माध्यम से माननीय सदस्यों द्वारा कारागार विभाग में सुधार के लिये, बंदियों के कल्याण एवं आचरण सुधार के लिये तथा अपराधियों में विधि के प्रति सम्मान का भाव बनाये रखने जैसे महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं, उन पर सरकार निश्चित रूप से आवश्यक कदम उठायेगी। माननीय सदस्यों को सम्बन्धित कटौती प्रस्तावों के जवाब अविलम्ब भिजवा दिये जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा समाज में व्यवस्था कायम रहे, इसके लिये कुछ परम्परायें एवं सीमायें तय की हुई होती हैं व इनका निर्धारण कानून एवं नियम बनाकर किया जाता है। समाज में इनका उल्लंघन करने वालों को दण्डित करने एवं आपराधिक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि न्यायालय से अभिरक्षा में भेजे गये व्यक्तियों को समुचित अभिरक्षा में रखते हुए विधि के प्रति उनमें सम्मान का भाव जागृत करना तथा अभिरक्षा में ऐसी शिक्षा देना एवं रोजगारोन्मुख कार्य सिखाना जिससे कि वे रिहा होने के पश्चात् उद्देश्यपूर्ण जीवन व्यतीत कर राष्ट्र के लिये उपयोगी नागरिक साबित हो सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जेल विभाग की संरचना एवं प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि कारागार विभाग को प्रशासनिक दृष्टिकोण से सात मंडलों – उदयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर व भरतपुर मण्डल में विभाजित किया हुआ है। इसी प्रकार कारागार विभाग की 108 जेलों में क्रमश: 8 केन्द्रीय कारागृह, 3 जिला ए श्रेणी कारागृह, 22 जिला बी श्रेणी कारागृह, 59 उप कारागृह, 2 महिला बंदी सुधार गृह, 1 किशोर बंदी सुधार गृह, 13 बंदी खुला शिविर सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त एक जेल प्रशिक्षण संस्था भी संचालित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 30.6.2009 के बंदी आंकड़ों के अनुसार जेल विभाग राजस्थान में 8 केन्द्रीय कारागृहों में सभी प्रकार के दंडित व विचाराधीन 8780 बंदी रखे जा रहे हैं। जिला कारागृह 'ए' श्रेणी की 3 जेलों में 10 वर्ष तक के दंडित तथा अन्य विचाराधीन कुल 1311 बंदी, जिला कारागृह 'बी' श्रेणी की 22 जेलों में 3 वर्ष तक की सज़ा व अन्य विचाराधीन 2924 बंदी, 59 उप कारागृह में 3 माह तक की सज़ा वाले व अन्य विचाराधीन 2753 कैदी, 2 महिला बंदी सुधार गृह में सभी प्रकार की 274 महिला कैदी तथा 1 किशोर गृह में 18 से 21 उम्र के 38 दंडित कैदी, और 13 खुले बंदी शिविरों में 490 पात्र कैदी रखे जा रहे हैं। वर्तमान में राज्य की 33 जेलों में 2141 बंदी क्षमता से अधिक हैं, जिनमें 4 केन्द्रीय कारागृह यथा जयपुर, उदयपुर, अजमेर एवं कोटा में 1426 बंदी, 6 'बी' श्रेणी जिला कारागृहों में 253 बंदी तथा 23 उप कारागृहों में 462 बंदी स्वीकृत क्षमता से अधिक हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के जेल भवनों की स्थिति में सुधार एवं आधुनिक सुविधाओं युक्त नये भवन निर्मित कराने के लिये विभिन्न स्तरों पर प्रयास किये जा रहे हैं। जेल आधुनिकीकरण योजना 2008-09 के प्रथम चरण में केन्द्र और राज्य अंशदान के क्रमश: 75 व 25 प्रतिशत के आधार पर 65.15 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया था। जिसमें 10 नये कारागृह भवन निर्मित कराने 46 वर्तमान कारागृह भवनों की मरम्मत व नवीनीकरण कराने व 44 वर्तमान कारागृह भवनों के सेनिटेशन और पानी सप्लाई व्यवस्था में सुधार कार्य तथा 295 स्टाफ आवास गृहों का निर्माण किया जाना था, तथा इसी योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय व जिला कारागृह में सुरक्षा तथा तकनीकी उपकरणों की स्थापना 4 जेलों में योग कक्ष व महिला सुधार गृह जयपुर में बच्चों के लिये क्रेच की स्थापना का कार्य किया जाना था।

ये सभी कार्य लगभग पूर्ण कराये जा चुके हैं। इसी योजना में करौली में नये जेल भवन का निर्माण कार्य और विभिन्न जेलों में 66 स्टाफ आवास गृहों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जो इसी वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जेल आधुनिकीकरण द्वितीय चरण के लिये राज्य सरकार द्वारा गृह मंत्रालय भारत सरकार को 465 करोड़ 58 लाख रुपये के प्रस्ताव भेजे गये हैं। जो अभी गृह मंत्रालय भारत सरकार स्तर पर विचाराधीन हैं।

मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि राज्य योजना के अन्तर्गत माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदया के निर्वाचन क्षेत्र झालावाड़ में नये जेल भवन का निर्माण करवाया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य योजना वर्ष 2008-09 के अन्तर्गत 10 नये बंदी खुला शिविर (झुन्झुनूं, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सीकर, प्रतापगढ़, धौलपुर, बाड़मेर, नागौर, टोंक एवं जैसलमेर) स्थापित करने के लिये एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जिसमें कुल 100 बंदी आवास का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

बंदी सुधार एवं कल्याणकारी कार्यक्रम :- राजस्थान जेल विभाग में विभिन्न कारागृहों में बंदियों को साक्षरता कार्यक्रमों व उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये विभिन्न कार्यक्रमों से जोड़ा जा रहा है। जेलों में कम्प्यूटर व तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था के साथ ही विभिन्न उद्योग धन्धों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

तकनीकी प्रशिक्षण माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य की 9 कारागृहों में दंडित बंदियों को विभिन्न व्यवसायों जैसे – दरी, निवार, कपड़ा, बुनाई सिलाई कार्य कारपेंटरी, होजरी व लुहारी कार्य सिखाये जा रहे हैं। कपड़ा बुनने के लिये पॉवर चलित मशीनें लगाई गई हैं। राज्य की तीन केन्द्रीय जेलों में डेजर्ट कूलर निर्माण कार्य किया जाकर बंदियों को न केवल प्रशिक्षित किया जा रहा है, बल्कि इन उद्योगों में उत्पादन कार्य किया जाकर विक्रय भी किया जाता है। इसी प्रकार तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत केन्द्रीय कारागृह जयपुर में दंडित बंदियों को दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स फीटर व हाउस वायरमैन व्यवसाय से जोड़ा जा रहा है तथा इसके साथ ही एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स कारपेंटरी, कटिंग एण्ड स्वीईग प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

अजमेर जेल में दो वर्षीय फीटर व एक वर्षीय डीजल मैकेनिक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये सभी तकनीकी प्रशिक्षण कार्य राजस्थान तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से स्थापित आई.टी.आई. के माध्यम से करवाये जाते हैं। इन सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सम्पूर्ण व्यय बंदी कल्याण कोष से किया जाता है।

साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत जेल के शिक्षित बंदियों द्वारा निरक्षर बंदियों को साक्षर करने के लिये विभिन्न जेलों की बंदी बैरिकों में साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है जिसमें राज्य प्रौढ़ शिक्षा समिति, राजस्थान प्रसार समिति द्वारा भी सहयोग दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इस कार्य में

विभिन्न एन.जी.ओ. का भी सहयोग लिया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा हेतु शैक्षणिक योग्यता में उन्नति के अवसर देते हुए राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न स्तरों की परीक्षाओं में भाग लेने की सुविधा सुलभ करवाई जा रही है। यही नहीं, केन्द्रीय जेल जयपुर में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय का विशेष अध्ययन केन्द्र भी स्थापित है। साथ ही विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से विशेष कम्प्यूटर प्रशिक्षण व टेलरिंग, फ्रीज, मरम्मत आदि प्रशिक्षण करवाये जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आध्यात्मिक उन्नयन व विवेक जागरण हेतु समय-समय पर राज्य की जेलों में विभिन्न धर्म और सम्प्रदायों से संबंधित विशेष आध्यात्मिक प्रवचन, पर्व-त्यौहारों के आयोजन, भजन-कीर्तन व प्रार्थनाएं निरन्तर करवाई जाती हैं, ताकि बंदी सकारात्मक सोच के साथ निरन्तर अपने आचरण में उत्तरोत्तर सुधार कर सकें। योग प्रशिक्षण आर्ट आफ लिविंग कार्यक्रम, प्रेक्षाध्यान, विपश्यना, जिन-शिन जित्सु कला के विशेष आयोजन जेलों में किये जा रहे हैं। सद्ग्रन्थों व अच्छी सीख का वाचन एवं प्रवचन के कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बंदी खेल प्रतियोगिता कार्यक्रमों में बंदियों में शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिये अच्छी प्रतिभा को पहचान कर उनको निखारने के लिये जेलों के भीतर और विभिन्न जेलों के बीच बंदी खेलकूद यथा बालीवाल, कबड्डी, खो-खो, कैरम, संगीत साहित्य व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। बंदियों को टी.वी. कैसेट प्लेयर आदि की सुविधा है। बंदियों को समाचार पत्र-पत्रिकाएं, धार्मिक एवं सामाजिक पुस्तकें आदि उपलब्ध करायी जाती हैं। बंदी खेलकूद व सांस्कृतिक सप्ताह का आयोजन किया जाता है। बंदियों को विविध जानकारियां, विचार गोष्ठियों के माध्यम से दी जा रही है और समाज के विभिन्न समूहों से जेल के बंदियों को जोड़ा जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भोजन व्यवस्था में राज्य में सभी बंदियों को एक ही श्रेणी में रखकर बिना किसी भेदभाव के निर्धारित मापदण्डों और गुणवत्ता के आधार पर राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है। रसोई में तैयार भोजन सामग्री को वितरित करने से पहले जेल चिकित्साधिकारी व जेल अधिकारी चखकर रजिस्टर में अंकित करके उसे समानता के आधार पर अपने सामने वितरित करवाते हैं। अन्य आवश्यक सामग्री में जैसे : ओढ़ने बिछाने के

बिस्तर, खाने-पीने के बर्तन सभी दंडित बंदियों को पहनने के कपड़े व चप्पल उपलब्ध करवाये जाते हैं। प्रत्येक बंदी को तेल, साबुन व मंजन उपलब्ध करवाया जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बीमार बंदियों की चिकित्सा व्यवस्था बंदियों की चिकित्सा व्यवस्था हेतु सभी कारागृहों में पूर्णकालीन एवं अंशकालीन चिकित्साधिकारी एवं नर्सेज के पद स्वीकृत हैं। गम्भीर बीमारियों से ग्रसित बंदियों की चिकित्सा उन्हें सामान्य अस्पतालों में भेजकर विशेषज्ञ चिकित्सकों की राय अनुसार कार्यवाही की जाती है। केन्द्रीय कारागृह जयपुर एवं जोधपुर में पैथोलोजीक लैब भी स्थापित है जिसमें सोनोग्राफी, एक्स-रे मशीन, सेमी-आटोएनेलाइजर और मोनीटर आदि की व्यवस्था की गई है। बंदियों की चिकित्सा का सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है तथा समय -समय पर विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के सौजन्य से मेडिकल कैम्प आदि का आयोजन करवाकर बंदियों की चिकित्सकीय देख-रेख की जाती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विचाराधीन बंदियों को पुलिस गार्ड के माध्यम से संबंधित न्यायालयों में पेश किया जाता है। राज्य की केन्द्रीय कारागृह जयपुर एवं जोधपुर में विडियो कांफ्रेसिंग सिस्टम स्थापित है, जिसके माध्यम से बंदियों को न्यायाधीश महोदय के समक्ष पेश किया जाता है। विचाराधीन बंदियों के प्रकरणों की सुनवाई में विलम्ब नहीं हो, इसकी समीक्षा हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय की अध्यक्षता में आवधिक समीक्षा समितियां गठित हैं। समिति की बैठक में सभी विचाराधीन बंदियों के प्रकरणों की समीक्षा की जाकर प्रकरणों का सामयिक निस्तारण के लिये संबंधित न्यायालयों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बंदियों को बंदी खुले शिविरों में रखने की व्यवस्था के संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि बंदियों में अच्छे आचरण एवं स्व-अनुशासन को बढ़ावा देने के लिये कुल 13 बंदी खुला शिविर संचालित हैं, जो अन्य राज्यों के लिये भी आदर्श एवं अनुकरणीय होने के कारण वहां से भ्रमण दल आकर अध्ययन करके जाते हैं। ऐसे दंडित बंदियों को, जिन्होंने अपनी कुल सज़ा का 1/3 भाग रेमीशन सहित पूरा कर लिया है और जिनका आचरण कारागृहों में अच्छा रहा है, को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय स्थाई पैरोल समिति की अनुशंसा पर बंदियों को खुले बंदी शिविरों में भेजा जाता है।

खुले बंदी शिविरों में बंदी स्वयं की रूचि के उद्यम अपनाकर या सामान्य श्रमिक की भांति मजदूरी करके अपना एवं अपने परिवार का पोषण करते हैं। इन खुले शिविरों पर जो कर्मचारी पदस्थापित किये हुए हैं, उनका कार्य इन शिविरों में बंदियों के कार्य में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना तथा इन्हें कार्य प्राप्त करने में सहयोग देना है। खुले शिविर बंदियों के विश्वास पर ही संचालित हैं।

पैरोल एवं समय पूर्व रिहाई-

माननीय अध्यक्ष महोदय, जेल मैन्युअल के आधार पर नियमानुसार दी जाती है तथा सज़ा भुगतने के दौरान बंदियों में हुए सुधार को दृष्टिगत रखते हुए शेष सज़ा माफ कर समय पूर्व रिहाई करके इन्हें समाज में पुनर्स्थापन का अवसर दिया जाता है।

राजस्थान प्रिजन्स (शार्टनिंग आफ सैन्टेन्सेज) रूल्स, 2006 के अन्तर्गत दण्डित बंदियों को समय पूर्व रिहाई के मामलों पर विचार कर अपनी सिफारिश राज्य सरकार को भेजने हेतु केन्द्रीय एवं जिला कारागृहों पर सलाहकार मण्डलों का गठन किया जाता है। सलाहकार मण्डल बंदियों के समय पूर्व रिहाई प्रकरणों पर विचार कर बंदियों को छोड़े जाने/न छोड़े जाने की सिफारिश राज्य सरकार को करते हैं और राज्य सरकार द्वारा सलाहकार मण्डलों की सिफारिश को दृष्टि में रख कर बंदियों को समय पूर्व रिहा करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मोबाइल एवं निषिद्ध सामग्री का उपयोग कैदियों द्वारा नहीं किया जावे तथा बंदियों के आपसी झगड़े को रोकथाम के लिए कारागृहों के नियमित/आकस्मिक तलाशी ली जाती है तथा आदतन अपराधी बंदियों को अन्य बंदियों से अलग-अलग रखे जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर परिपत्र-जारी कर निर्देश प्रदान किये जाते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्तावों के द्वारा माननीय सदस्यों ने कारागृहों में मोबाइल व निषिद्ध सामग्री का उपयोग बंदियों द्वारा किये जाने का उल्लेख किया है, इस पर मैं कहना चाहूंगा कि दिनांक 01.01.2009 से 30.06.2009 तक की अवधि में बरामद 133 मोबाइल में से 41 बंदियों के पास तथा एक अन्य में आस बरामद किये गये तथा 91 मोबाइल लावारिस पाये गये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जेलों में मोबाइल के उपयोग पर रोक

लगाने हेतु प्रथम चरण में राज्य की सभी 8 केन्द्रीय कारागृहों में 77 सेल्यूलर जैमर लगाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा 10.78 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये थे। केन्द्र सरकार द्वारा 8 सेल्यूलर जैमर लगाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई जिसके अनुक्रम में केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर पर 8 सेल्यूलर जैमर लगवाये जा रहे हैं। पुन: सर्वे में 77 के बजाय 67 जैमर की ही आवश्यकता महसूस की गई है अत: शेष 59 सेल्यूलर जैमर लगाये जाने की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को अनुमति हेतु निवेदन कर दिया गया है, स्वीकृति उपरान्त शेष केन्द्रीय कारागृहों में भी सेल्यूलर जैमर लगवाये जायेंगे।

बंदियों के पास अनाधिकृत वस्तुओं की पहुंच पर अंकुश के लिये राज्य की सभी केन्द्रीय एवं जिला कारागृहों में सुरक्षा एवं तकनीकी उपकरण यथा 33 कम्प्यूटर/33 वेब कैमरा एवं 8 डोर फ्रेम व 40 हैण्ड मेटल डिटेक्टर उपलब्ध कराये गये हैं जिनकी सहायता से कारागृह के अन्दर जाने वाली आपत्तिजनक धातु की सामग्री यथा, फनर, चाकू, छूरी आदि की रोकथाम की जाती है तथा वेब कैमरा से यदि कोई बंदी की मुलाकात के समय कोई आपत्तिजनक निषिद्ध सामग्री सामान के साथ देने का प्रयास करता है तो भविष्य में उसकी मुलाकात पर मुलाकातकर्ता की फोटो पहचान कर प्रतिबन्ध लगाने में सहायता मिलती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में कारागृहों में बंदियों द्वारा गलत आचरण या लड़ाई झगड़े व अन्य गतिविधियों में लिप्त होने का एक यह भी कारण रहा है कि कारागृहों में बंदियों की रहने की स्वीकृत क्षमता से अधिक बंदी, कारागृहों में हैं। ऐसी स्थिति में ओवर क्राउडिंग व अन्डर स्टाफ भी कारण रहा है जिसके निवारण हेतु उपाधीक्षक के एक पद तथा सहायक कारापाल के 18 रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती के माध्यम से करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सुरक्षा प्रहरियों की कमी को दूर करने के लिए 250 प्रहरियों की भर्ती की कार्यवाही की जा रही है तथा 250 पदों की पूर्ति सीधी भर्ती के माध्यम से किये जाने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी के बजट भाषण में की गई है।

घोषणाएं :-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कुछ घोषणाएं करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, कारागार विभाग में प्रहरियों/मुख्य प्रहरियों को मैस भत्ता वर्तमान में 725/- रुपये दिया जा रहा है जिसे बढ़ाकर 775/- रुपये

प्रतिमाह पुलिस विभाग के समान किया जाने का माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा निर्णय लिया गया है, जो कुछ 1474 कर्मचारियों को देय होगा जिसके कारण 5.16 लाख रुपये का कुल वित्तीय भार राज्य सरकार को वहन करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, कारागार विभाग के कर्मियों के उत्साह वर्धन, गम्भीर तथा लम्बी बीमारी के इलाज के लिये आर्थिक सहायता दिये जाने अथवा ऋण दिये जाने तथा सदस्यों के बच्चों को छात्रवृत्ति आदि कल्याणार्थ कार्यों हेतु स्थापित कर्मचारी कल्याण निधि में गत वर्ष 5.00 लाख रुपये का अनुदान किया गया था, अध्यक्ष महोदय, इसमें वृद्धि करते हुए इस वर्ष कर्मचारी कल्याण निधि में 10.00 लाख रुपये का अनुदान दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, राज्य के कारागारों में बंदियों के कल्याणार्थ, प्रशिक्षण, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों/गतिविधियों के आयोजनार्थ स्थापित बंदी कल्याण कोष में गत वर्ष 5.00 लाख रुपये का अनुदान दिया गया था, इसे बढ़ाकर इस वर्ष बंदी कल्याण निधि में 10.00 लाख रुपये का अनुदान दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, कारागार कर्मियों का उत्साहवर्धक/मनोरंजन एवं विभिन्न खेल-कूद प्रतियोगिताओं में भाग लिये जाने हेतु साधन सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग की तरह की कारागार कर्मियों हेतु भी इस वर्ष 5.00 लाख रुपये स्पोर्टस फण्ड में अनुदान दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, कारागार विभाग के कर्मियों द्वारा संस्थागत उत्सव आदि के आयोजन किये जाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग की तरह ही इस वर्ष कारागार कर्मियों के लिये भी उत्सव फण्ड में 5.00 लाख रुपये का अनुदान दिये जाने का निर्णय हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री अशोकजी गहलोत के द्वारा लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार कुल 35.16 लाख रुपये का कुल वित्तीय भार राज्य सरकार पर रहेगा।

अन्त में, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरा निवेदन है कि कारागार विभाग की मांग संख्या-17 को पारित कराये जाने की कृपा करें।